खण्ड-143, अंक-3
बुधवार, 21 आश्विन, शक संवत् 1876
(13 अक्टूबर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 143 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १३ अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में ११ब जे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४४)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टन्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्लल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल ,श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामआधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुब्जू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री

हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बरेली सेंट्रल जेल में मारपीट

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि इसी अगस्त या सितम्बर मास में बरेली सेन्ट्रल जेल में मारपीट के कारण अनेक बन्दी घायल हुए? अगर हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, इस सम्बन्ध में एक नोट, जिस में आवश्यक विवरण दिया है, सदन की मेज पर रखा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२३ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस ७ सितम्बर वाली दुर्घटना की जांच किन्होंने की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जेल अधिकारियों ने जिला अधिकारियों और सरकार को इस घटना की सूचना समय पर नहीं दी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे याद है १३ सितम्बर को सूचना आ गयी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जेल अधिकारियों ने उन कारणों पर प्रकाश डाला है, जिनके कारण उनको ७ और १३ के बीच में यानी ६ दिन तक सूचना देनी नहीं पड़ी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत सीधी बात है। ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वह जाँच की। उनकी रिपोर्ट आने के बाद, आना ठीक भी था।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय मन्त्री जी सदन की सूचना के लिए इस रिपोर्ट को पढ़ने का कष्ट उठायेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं उसका सार बताने के लिए अनुमति दूंगा। पूरी रिपोर्ट लम्बी है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक कनविक्ट ओवरसियर था। उसका तसला खो गया। तो यह जो ट्रांसपोर्ट वाले कैदी थे, उनमें एक लीलाधर पाठक है। उन्होंने एक रसोईदार का नाम बताया कि उस रसोईदार ने तसला चुराया है। जब इस सम्बन्ध में पूछताछ हुई, तो इतने में, दो एक कनविक्ट ओवरसियर और आ गये। उन्होंने, जिसका तसला था, उससे कहा कि तुमने इस रसोईदार का नाम उनके कहने से क्यों लगाया कि उसने चोरी की है। आपस में झगड़ा हो रहा था कि लीलाधर पाठक जिनके कहने से वह चोर बनाया गया था, वह आ गये। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने और साथियों को बुला लिया और झगड़ा होने लगा। उस वक्त जेल अधिकारियों ने उसमें बीच-बचाव कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर झगड़ा शुरू हुआ और जेल अधिकारी फिर आ गये और उन्होंने उनको शान्त करने की कोशिश की। इस बीच में कैदियों और कनविक्ट ओवरसियरों का झगड़ा हुआ। जेल का कोई वार्डर उसमें शरीक नहीं हुआ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो रोडवेज के स्ट्राइक के सिलसिले में कैदी बन्द थे, और जो छूट चुके हैं, उनके ऊपर इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा चलाने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो इस रिपोर्ट में बीच में कैदियों ने ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं, यह कौन से कैदी थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लीलाधर पाठक के साथियों ने।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिन कनविक्ट ओवरसियरों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है वह क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—"क्या है" का मतलब मैं ठीक समझा नहीं। जेल के रूल के मुताबिक, उन्होंने चूंकि मारपीट की इसलिए उनके ऊपर कार्यवाही की जायगी।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि रोडवेज की स्ट्राइक के सिलसिले में जिन कैदियों ने नारे लगाये थे, वह कितने थे, जो एक तारीख में बन्द किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरा ख्याल है २२-२३ आदमी शायद थे। ठीक तादाद तो मुझे याद नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस घटना से सम्बन्धित जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, उनके विरुद्ध इन कर्मचारियों ने और सारे जो क्रिमिनल कर्मचारी हैं, उन्होंने चार दिन तक भूख हड़ताल भी की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

इटावा जिले में अदालत पंचायत एरवा के सरपंच की मुअत्तली

*१—श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अदालत पंचायत एरवा कटरा, तहसील बिधुना, जिला इटावा के सरपंच को मुअत्तल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—ऐरवा कटरा के सरपंच को मुअत्तल कर दिया गया था, परन्तु इनको बहाल किया जा चुका है।

हिसाब-किताब रखने में असावधानी तथा कुछ और अनियमितताओं के आरोपों के सम्बन्ध में ये मुअत्तल किये गये थे।

श्री गजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वे अनियमिततायें क्या थीं ?

श्री कृपाशंकर—उनके ऊपर ९ चार्जेज लगाये गये थे, जिनमें तीन साबित हुए थे और उनमें यह समझा गया कि ये ऐसे सीरियस नहीं हैं कि उन पर कोई कार्यवाही की जाय। अगर आप इजाजत दें, तो मैं वे ९ चार्जेज पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—तीन जो साबित हुए वही पढ़ कर सुना दें।

श्री कृपाशंकर—हिसाब-किताब और लिखा-पढ़ी में अनियमिततायें थीं।

श्री गजेन्द्रसिंह—यह जांच किस विभाग द्वारा हुई थी ?

श्री कृपाशंकर—यह जांच वहां के असिस्टेंट पंचायत राज आफिसर द्वारा हुई थी।

जिला बोर्ड इटावा के सदस्यों के रिक्त स्थान

*२—श्री गजेन्द्रसिंह—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड, इटावा के सदस्यों की कितनी सीटें खाली हैं, जिनका चुनाव होना है ?

श्री कृपाशंकर—जिला बोर्ड, इटावा में सदस्यों के दो स्थान रिक्त हैं।

अल्मोड़ा जिले में वीरस इन्सफिलायटिस से मृत्युयें

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार का ध्यान उपाध्यक्ष विधान सभा श्री हरगोविन्द पन्त के दिनांक २२ अगस्त के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है जो अखबारों में प्रकाशित किया गया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्मोड़ा जिले में गत चार सप्ताहों में सौ मनुष्यों की मृत्यु नयी बीमारी से हुई है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—यदि प्रश्न-कर्त्ता का तात्पर्य "रहस्यमय रोग" से है, जिसे अंग्रेजी में virus Encephalitis कहते हैं, तो उत्तर "हां" में है, परन्तु अल्मोड़ा में जो मौतें हुई हैं, वह इस रोग से नहीं, बल्कि मलेरिया से हुईं और उनकी संख्या १०० नहीं है, बल्कि जुलाई के महीने में २१ व अगस्त में ५ हैं।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बीमारी से विभिन्न जिलों में अभी तक की मृत्यु संख्या क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—चूंकि इस रोग के लक्षणों की अभी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि और जिलों में इस बीमारी से कितनी मौतें हुईं। परन्तु अनिश्चित निदान के अनुसार अब तक प्रदेश में इस रोग से ६ ग्रस्त हुए और ३ की मृत्यु हुई।

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार ने उक्त बीमारी के सम्बन्ध में कोई छान-बीन करायी है ? यदि हां, तो वह किस परिणाम पर पहुंची है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, रहस्यमय रोग की सूचना पाते ही, सरकार ने चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी इस रोग की जांच-पड़ताल के लिए नियुक्त की। जमशेदपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल के० एस० मास्टर, डा० नजीब खां तथा पूना के वाइरस इन्स्टीट्यूट के प्रसिद्ध डा० राव भी इस विषय में खोज के सिलसिले में लखनऊ आये। परन्तु वे इस रोग के कारण व उपचार के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय तक नहीं पहुंच सके।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि लखनऊ मेडिकल एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध में जो कमेटी मुकर्रर की थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार केवल लखनऊ में ५० बच्चों की मृत्यु हुई थी ?

श्री बदलेवसिंह आर्य—जी नहीं। सिर्फ तीन बच्चों की यहां मृत्यु हुई। बलरामपुर अस्पताल में ४ बच्चे अलग-अलग तारीखों में दाखिल हुए और २ की मृत्यु हुई और गांधी मेमोरियल अस्पताल में २ बच्चे दाखिल हुए और एक की मृत्यु हुई और एक को आराम हो गया।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि कानपुर के उर्सला हार्समैन अस्पताल में दाखिल होने वाले ४५ बच्चों में १२ की मृत्यु हो गयी थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या श्री हरगोविन्द पन्त ने अपने वक्तव्य की पुष्टि करते हुए कोई पत्र सरकार के पास भेजा ? अगर हां, तो वह क्या था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि आगरा के अस्पतालों के डाक्टरों ने इसके सम्बन्ध में कुछ खोज की थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री बलदेव सिंह आर्य—आगरे की कोई सूचना नहीं है, किन्तु यहां पर मेडिकल आफिसरों ने इसका अनुदान किया और उनके अनुदान के मुताबिक वीरस इन्सफिलाइटिस बीमारी का यहां उल्लेख किया गया है?

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि सरकार ने अभी हाल ही में वीरस इन्सफिलाइटिस बीमारी को एपिडेमिक क़रार दिया है, यदि हां, तो क्या सरकार इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि इसका इन्फेक्शस होने का क्या कारण है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कमेटी मुकर्रर की थी, उसकी रिपोर्ट उनके पास आ गयी है, यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उस तरह की रिपोर्ट तो प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु जो कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके आधार पर ही यह उत्तर दिया गया है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि इस बीमारी से उरई में काफी लोगों का इन्तकाल हुआ है और सिविल सर्जन को वहां पर स्पेशल वार्ड अलग करना पड़ा था?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अलग-अलग जिलों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—वीरस इन्सफिलाइटिस बीमारी से अस्पतालों के अलावा कितनी मृत्युएं हुई हैं, इसकी कोई सूचना माननीय मन्त्री जी को है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस बीमारी से हरिजन कितने प्रतिशत आहत हुए हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मैंने उसका मतलब आपको बताया कि इन लोगों से कहा गया था कि वह इस बीमारी का निदान करें और उसी सिलसिले में इन लोगों ने निदान करने की कोशिश की। यहां पर जो कमेटी मेडिकल अफसरों की थी, उनके नाम इस समय मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी कब बनी और उसके कितने फंक्शन्स हुए?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मैंने अभी बतलाया कि जिन मेडिकल आफिसरों ने इस पर निदान किया उनके नाम मेरे पास नहीं हैं, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनकी सूची दे दी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने इस वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार और दूसरी प्रान्तीय सरकारों से मिल-जुल कर कोई कार्यवाही की है और यदि की है, तो वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर प्रश्नों के जो उत्तर पढ़े गये, उनमें ही दिया जा चुका है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जिन लोगों को इस बीमारी की जांच के लिए भेजा गया था उन्होंने माननीय हरगोविन्द पंत से इस बारे में कोई पूछ ताछ की कि कहां मौतें हुईं और कौन लोग मरे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--यह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहां के डी० एम० एच० और जिला स्वास्थ्य अधिकारी उस क्षेत्र में गये थे, और उन्होंने इन गांवों में जाकर इन बीमारियों को देखा तथा उन्होंने जो निदान किया उसी के अनुसार मैंने यहां उत्तर में कहा कि वहां मलेरिया फैला हुआ था। वह राम गंगा के खड्ड में है, और वह ३-४ हजार फीट ऊंचा है, और आम तौर पर वहां पर मलेरिया फैला करता है। और वह इस साल अधिक मात्रा में फैला।

*६-८--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[स्थगित किये गये।]

बंगाल के डाक्टर श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त द्वारा वनस्पति तेल में मिलाने के लिये रंग का प्रबन्ध

*९--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या यह सत्य है कि दस हजार रुपये का पारितोषिक घोषित होने पर खादी प्रतिष्ठान सौदपुर बंगाल के डाक्टर श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त ने वनस्पति तेल में मिलाने के लिए दो तीन रंग सरकार के पास भेजे थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां।

*१०--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इन रंगों की जांच हुई ? यदि हां, तो जांच के बाद इन रंगों का बनस्पति तेल पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां।

इन नमूनों की जांच की गयी थी। जांच के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह रंग तेल में घुलने वाले नहीं हैं, तथा फिल्टर पेपर द्वारा छानने पर तेल से विलग किये जा सकते हैं। अतः सरकार ने इन रंगों को वनस्पति तेल में मिलाने के लिए उपयुक्त नहीं समझा।

*११--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार डा० गुप्त द्वारा आविष्कृत इन रंगों को बनस्पति तेल में मिलाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी नहीं।

क्योंकि यह रंग छानने पर विलग किये जा सकते हैं, इसलिए जिस उद्देश्य से बनस्पति में रंग मिलाने का सुझाव है, वह उद्देश्य इनके मिलाने से पूर्ण नहीं हो सकता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन रंगों के घुलने अथवा न घुलने के सम्बन्ध में उन्होंने किस अधिकारी से जांच करायी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--सरकार ने जिस अधिकारी को आदेश दिया, उसने उसकी जांच की।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अपने उस निर्णय को सौदपुर आश्रम के श्री सतीशचन्द्र दास को भेजा है और इन रंगों को मिलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो रंग उन्होंने तजवीज किया, वह ठीक नहीं पड़ता था। जरूरत इस बात की है कि जो रंग वेजिटेबिल आयल में मिलाया जाय, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो, वह केमिकल प्रयोगों से अलहदा न हो सके, तथा पकाने और गर्म करने पर नष्ट न हो। इन बातों की पूर्ति उससे न होती थी, जो रंग डाक्टर दास ने तजवीज किये थे अतः वह ठीक साबित न हो सके।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब वे ऐसा कोई उपयुक्त रंग प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इस सिलसिले में तो जो विशेषज्ञ हैं, उनको इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और वे सरकार को इस तरह से सुझाव दें या इस तरह की रिपोर्ट दें कि इस तरह के रंग उपयुक्त हो सकते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मन्त्री जी उस जांच अधिकारी का नाम बतलाने कीकृपा करेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य---मैंने बतलाया तो है डाक्टर दास।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अपनी लेबोरेटरी में कोई ऐसा रंग खोज करवाने की कोशिश की है जो इस वेजिटेबिल आयल में मिलाया जा सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इस सम्बन्ध में कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी विधान सभा के सदस्यों को यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि ट्रापिकल स्कूल आफ साइंस कलकत्ता के डाक्टरों ने यह साबित कर दिया है कि बनस्पति घी मनुष्य के लिए अहितकर है और इसमें किसी रंग के मिलाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---अभी तक ऐसी कोई सूचना सरकार के पास तो है नहीं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)---क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल का भी यह विश्वास है कि बनस्पति घी के इस्तेमाल से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, और मंत्रिमंडल के सदस्य लोग बनस्पति घी का व्यवहार भी नहीं करते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इसीलिए तो इस वेजिटेबिल प्रोडक्ट में रंग मिलाने का प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसा रंग हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह निर्णय करने में सरकार के पास क्या अड़चन है कि बनस्पति घी के उत्पादन को बिलकुल ही बन्द कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---यह दूसरा सवाल है, इससे नहीं उठता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार अपने उस निष्कर्ष को माननीय सतीशचन्द्र दास गुप्त के यहां विचारार्थ भेजेगी ताकि डाक्टर सतीशचन्द्र दास जी अपनी बात कह सकें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह जो उतर दिया गया है, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या सरकार अपने केमिकल एनेलिस्ट की रिपोर्ट को उन रंगों के साथ श्री सन्तोषदास गुप्त के पास कमेंट के लिए भेजने को तैयार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस पर कोई आपत्ति तो नहीं हो सकती।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बनस्पति घी को शुद्ध घी में मिलाया जाय, उसके लिए वे क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--अब भी कोशिश जारी रखी जा रही है कि कोई अच्छा रंग मिल जाय, तो मिला दिया जाय।

*१२-१३--श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---[स्थगित किये गये।]

भिखमंगों को श्रम-कार्य में लगाने की योजना

*१४---श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--क्या सरकार ऐसे भिखमंगों के लिए जो श्रम करने योग्य हैं, कोई ऐसी योजना बना रही है, जिससे ये लोग उन्नति के कामों में लग सकें ?

श्री कृपा शंकर---इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री गंगाधर शर्मा---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह इस प्रश्न पर पूर्णतः विचार कब तक कर लेगी ?

श्री कृपा शंकर---इस प्रश्न के ऊपर सरकार छानबीन कर रही है, और एक योजना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कहना बड़ा कठिन है कि कब तक वह कार्यरूप में परिणत हो सकेगी।

श्री गंगाधर शर्मा---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हृष्टपुष्टांग भिखमंगों के लिए भीख मांगना सरकार अपराध करार देगी ?

श्री कृपा शंकर---यह तो जब पूरी योजना बन जाय, तभी कहा जा सकता है कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाय, जुर्म करार दिया जाय या न दिया जाय, यह सब तो पूरी स्कीम तैयार होने पर ही कहा जा सकता है कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाय ।

श्री कन्हैया लाल (जिला सीतापुर)--क्या सरकार उन भिखमंगों के जो अपाहिज हैं चित्र लेकर, उनको एक लिस्ट स्थानीय निकायों के पास रखने की कृपा करेगी ?

श्री कृपा शंकर---अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने भिखमंगे हैं जो कि श्रम करने के लायक हैं ?

श्री कृपा शंकर---इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि ऐसे फकीरों की जो काम करने लायक हैं इस सूबे में कितनी तादाद इस वक्त है ?

श्री अध्यक्ष--अभी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके पास सूचना नहीं है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह योजना कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--- क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन भिखमंगों के सम्बन्ध में सरकार कोई ऐसा बिल इस विधानसभा में उपस्थित करेगी, जिसके द्वारा उनका कांसक्रिप्शन कर के उनको बड़ी-बड़ी योजनाओं में लगाने की बात सोची जाय ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब वह दे चुके हैं।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसके पास भिखमंगों की संख्या मौजूद है, और अगर नहीं, तो उनकी गणना करने की उस योजना में गुंजाइश है ?

श्री कृपा शंकर---जी हां, इस प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो योजना बनाई जा रही है, वह ब्रीफ में क्या है ?

श्री कृपाशंकर ---यह तो योजना बनाने के बाद ही कहा जा सकता है कि योजना क्या है।

श्री केशव गुप्त---क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि जिससे सूबे में सब को काम मिल सके और कोई भीख मांगने पर बाध्य न हो और अगर बना रही है तो कब तक बन जायगी।?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यसिंह राणा---क्या सरकार ऐसे बेकार व्यक्तियों को भी जो जेब काटने या अन्य प्रकार के कार्य इस तरह के करते हैं, उनको भी भिख मंगों में शामिल करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष ---यह भी इससे उठता नहीं ।

*२५-१७---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[स्थगित किये गये।]

*१८-१९---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) ---[स्थगित किये गये।]

बलरामपुर नगरपालिका द्वारा सड़कों को बनवाने के लिये धनराशि की मांग

*२०---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलरामपुर नगरपालिका ने सड़कों को बनाने के लिये सरकार से कुछ धनराशि की मांग की है ?

श्री कृपाशंकर---जी हां।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि बलरामपुर नगरपालिका ने अपनी सड़कों को सुधार के लिये कितने रुपये की मांग की है ?

श्री कृपा शंकर---एक लाख रुपये की मांग की है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर के बतलायेंगे कि सरकार ने बलरामपुर नगरपालिका को रुपये देने के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

श्री कृपा शंकर---यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

गोंडा जिले में तुलसीपुर कस्बे को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव

*२१---श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या स्वशासन मंत्री कृपा कर के बतलायेंगे कि जिलाधीश गोंडा में तुलसीपुर कस्बे ने टाउन एरिया बनाने का सरकार से प्रस्ताव किया है ?

श्री कृपाशंकर--जी हां।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि जिलाधीश गोंडा ने तुलसीपुर को टाउन एरिया बनाने के लिये पिछली दफा कब प्रस्ताव भेजा है ?

श्री कृपा शंकर--पहला प्रस्ताव सन् १९५१ में आया था वह आगे नहीं बढ़ सका। अब यह प्रस्ताव सन् १९५४ में आया है। उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है और अगर सम्भव होगा तो सरकार को इसके बनाने मे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर में टाउन एरिया का चुनाव वह कब कराने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो जवाब आ चुका है, उसके बाद अब सवाल नहीं उठता।

श्री केशव गुप्त--तुलसीपुर की जन संख्या क्या है ?

श्री कृपा शंकर--जन संख्या ७,०९६ है।

*२२--श्री नारायण दत्त तिवारी-- [स्थगित किया गया।]

*२३--श्री राम भजन (जिला खीरी)--[स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा नगर में जल के वितरण की व्यवस्था

*२४--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह पता है कि अल्मोड़ा नगर में जल के वितरण की व्यवस्था बहुत ही असुविधाजनक और त्रुटिपूर्ण है ?

श्री कृपा शंकर--जी हां, उसमें कुछ सुधार आवश्यक हैं।

*२५--श्री गोवर्धन तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा नगर के पेयजल के सुरक्षा तथा वितरण के लिये जो योजना उसने बनायी थी वह पूरी तौर पर कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायगी ?

श्री कृपा शंकर--अल्मोड़ा नगर की जलकल योजना का पहला भाग पूण हो चुका है किन्तु बोर्ड ने अभी तक समुचित जलकर (water tax) नहीं लगाया और न जल वितरण के नियमों में आवश्यक परिवर्तन किया है जिससे कि बोर्ड की आमदनी बढ़े, उसकी जल कल योजना सुव्यवस्थित तथा आत्मनिर्भर (Self Supporting) बन सके और बोर्ड इस सम्बन्ध में सरकार से लिये हुये ऋण को अदा कर सके। जलकल वितरण योजना को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिये कुछ और काम होना है, जिसकी लागत लगभग ३,९१,००० रुपये हैं। बोर्ड को यह रकम ऋण के रूप में दी जा सकती है किन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि बोर्ड पहले अपने जल वितरण के नियमों में आवश्यक सुधार कर के, तथा समुचित जलकर लगा कर वर्तमान जलकल तथा जलवितरण का समुचित प्रबन्ध कर ले।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि योजना के शेष भाग में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं ?

श्री कृपा शंकर--वहां वाटर टैक्स रिवाइज करने हैं, और जलकल योजना के नियम बनाने हैं, यह सब बातें हैं अभी तक हुई नहीं हैं, इसलिये यह लागू नहीं हो सका।

श्री गोवर्धन तिवारी--मैं जानना यह चाहता हूं कि योजना का जो शेष भाग पूरा होना है उसमें कौन-कौन सी चीज सम्मिलित है जो अभी पूरी होने को है ?

श्री कृपा शंकर---इस योजना के दो भाग हैं। पहला भाग खत्म हो चुका है। यह दूसरा भाग है जो कि इम्पार्टेन्ट है उसमें कितना काम हुआ ? है और कितना बाकी है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि कोसी जल-कल योजना के अनुसार बनाई गई पम्प लाइन जो अल्मोड़ा शहर को पानी पहुंचाती थी कई बार बुरी तरह से फट गई, बर्स्ट हो गई है। अगर हां, तो इसका क्या कारण है।

श्री कृपा शंकर---मैंने तो बतलाया कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, वह ठीक से काम नहीं कर रही है। लेकिन वह कई बार बर्स्ट हुई, किन कारणों से बर्स्ट हुई, इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी को जानकारी है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मदन मोहन उपाध्याय के घर पर एक सस्ती जल-कल की व्यवस्था है और उसको देखने के लिये डेवलपमेंट कमिश्नर साहब और दूसरे अधिकारी गये थे, उसकी जानकारी से सरकार फ़ायदा उठायेगी ?

श्री कृपा शंकर---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस जल-कल योजना से रानीखेत को भी पानी मिलेगा ?

श्री कृपा शंकर---जी नही।*

जिला बोर्ड में सदस्यों के रिक्त स्थान

*२६---श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिला बोर्डों में कितने सदस्यों की जगहे कब से खाली पड़ी हैं ?

श्री कृपा शंकर---प्रदेश के जिला बोर्डों में सदस्यों के रिक्त स्थानों की एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-२२४-२२६ पर।)

*२७---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार उन जगहों की पूर्ति के लिये उप-चुनाव करेगी ?

श्री कृपा शंकर---उपनिर्वाचन कराने का अधिकार नियमानुसार जिलाधीशों को है तथा किन्ही परिस्थितियों में उप-चुनावों को न कराने का भी अधिकार जिला बोर्डों को है। जिन बोर्डों में सदस्यों के स्थान रिक्त हैं वहां उपचुनाव अब तक क्यों नहीं किये जा सके और उनके सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्यवाही होनी चाहिये, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गोरखपुर जिला बोर्ड में जो पांच जगहें खाली हुई हैं उनकी सूचना जिला बोर्ड द्वारा मिलने पर जिलाधीश गोरखपुर ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कृपा शंकर---गोरखपुर बोर्ड की तो खास तौर से रिपोर्ट नहीं है। लेकिन आमतौर से यह है कि जो जगहें खाली होती हैं मौत से उसके बारे में तो जिला बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ती है और तब वह नियमानुसार चुनाव कराता है। और इसके अलावा जो जगहें खाली होती हैं उसमें जिला बोर्ड को सूचना देने की जरूरत नहीं होती और जिलाधीश ही नियमानुसार चुनाव करा देता है। लेकिन कुछ ऐसी ग़लत

*श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार 'हां' को 'नही' में संशोधित किया गया।

फ़हमी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बीच में रही कि कहीं सूचना देने की जरूरत हुई तो नहीं दी। और कहीं जिलाधीश यह सोचता था कि जिला बोर्ड से सूचना आवेगी तब होगा। और कहीं-कहीं ऐसा हुआ कि जिला मैजिस्ट्रेट ने गवर्नमेंट से एप्रूवल मांगी और यहां से लिखा गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन तमाम कारणों से बहुत देर हो गई। अब गोरखपुर के बोर्ड के बारे में खास तौर से क्या दिक्कत पैदा हुई, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला खीरी में जहां पर ९ सीटें खाली हैं वहां का काम जिला बोर्ड की मीटिंग वगैरह का करने में इन जगहों के खाली होने से बाधा पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो राय का सवाल है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन-किन जिला बोर्डों ने चुनाव न कराने का प्रस्ताव जिलाधीश या सरकार के पास भेजा था ?

श्री कृपा शंकर---बदायूं, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, जौनपुर, गोंडा और प्रतापगढ़।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार यें चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इसलिये नहीं करा रही है कि आइन्दा उनको चुनाव की नीति ही बदलनी है ?

श्री कृपा शंकर---ऐसा तो नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार ऐसा सोच रही है कि निकट भविष्य में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होने वाले हैं, इसलिये उन चुनावों को वह नहीं करा रही है ?

श्री कृपा शंकर---सरकार तो इन उपचुनावों के कराने पर विचार कर रही है

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट ने सन् १९५३ के आखीर में ऐसे अहकाम भेजे हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को कि जहां वह वक्त पर चुनाव नहीं कर सकते हैं वहां की कार्यवाही उनकी आइन्दा के लिये जायज नहीं होगी ?

श्री कृपा शंकर---इस तरह के सर्क्युलर नहीं भेजे हैं, बल्कि जहां से पूछा गया कि यहां का चुनाव करा दिया जाय या न कराया जाय वहां सब जगह एक ही प्रकार के आदेश भेजे गये और वह यह कि वहां के लोग जैसा चाहें करें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार जिलों में जो वैकेंसीज हैं उनका चुनाव जनता के असन्तोष को देखते हुये दिसम्बर के अन्दर करवा देने का विचार रखती है ?

श्री कृपा शंकर---दिसम्बर के अन्दर तो नहीं, लेकिन चुनाव कराने का विचार अवश्य रखती है।

*२८---३०---श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---[स्थगित किये गये।]

*३१---श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---[स्थगित किया गया।]

*३२---श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)---[स्थगित किया गया।]

*३३---श्री चिरंजी लाल जाटव (जिला एटा)--- [स्थगित किया गया।]

*३४-३६---श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---[स्थगित किये गये।]

नये ज्वर की बीमारी से मृत्युऐं

*३७--श्री राम हेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो नये ज्वर की बीमारी लखनऊ, आगरा आदि शहरों में प्रचलित हुई है उससे हमारे प्रदेश में कितनी मृत्युएं हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--चूंकि इन रोग के लक्षणों की अभी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में इस बीमारी से कितनी मौतें हुई। परन्तु अनिश्चित निदान के अनुसार अब तक प्रदेश में इसरोग से ६ ग्रस्त हुए और ३ की मृत्यु हुई।

*३८--श्री राम हेत सिंह--क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस नई बीमारी को रोक-थाम के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां, रहस्य मय रोग की सूचना पाते ही सरकार ने चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी इस रोग की जांच पड़ताल के निमित्त नियुक्त की। जमसेदपुर के लैफ्टिनेन्ट कर्नल के० एस०, मास्टर, डा० नजीब खां तथा पूना के वाईरस इन्स्टीट्यूट के प्रसिद्ध डा० राव भी इस विषय में खोज के सिलसिले में लखनऊ आये। परन्तु वे इस रोग के कारण व उपचार के बारे में अभी तक कोई अंतिम निणय तक नहीं पहुंच सके।

*३९--श्री बाबू नन्दन--[स्थगित किया गया।]

*४०--४१--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा) --[स्थगित किये गये।]

*४२--४४--श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--[स्थगित किये गये।]

*४५--श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)--[स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद के व्यापार मंडल द्वारा चुंगी हटाने की मांग

*४६--श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के व्यापार मण्डल का डेपुटेशन प्रधान मंत्री से चुंगी हटाने के संबंध में मिला था, यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री कृपा शंकर--जी हां, सरकार ने इलाहाबाद नगरपालिका के प्रशासक को इस सम्बन्ध में यह आदेश दिया था कि वे इलाहाबाद के व्यापारीगण से भी इस विषय में बातचीत करके विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु--क्या प्रशासक महोदय के आने के पहले भी म्युनिसिपल बोर्ड ने कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष चुंगी हटाने के लिये भेजा था ?

श्री कृपा शंकर--इसके पहले वहां के कुछ लोग एक बार मिनिस्टर आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मिले थे लेकिन कोई खास प्रस्ताव उन्होंने नहीं भेजा था और वही बात कही थी जो अब वहां के प्रशासक के द्वारा आयी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--चुंगी हटा कर टर्मिनल टैक्स लगाने के लिये अब सरकार के सामने क्या दिक्कत है ?

श्री कृपा शंकर--यह भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई अपना सुझाव सरकार के पास इस बारे में भेजा है ?

श्री कृपाशंकर---जी हां।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रकाशक महोदय ने इस सम्बन्ध में सरकार के पास क्या सिफारिश की है ?

श्री कृपा शंकर---वह पूरी तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु---क्या सरकार चुंगी हटाने का समय निश्चित करती है कि कब तक वह वापस होगी ?

श्री कृपा शंकर---कोई नहीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या सरकार को ज्ञात है कि चुंगी न हटाने के कारण इलाहाबाद के व्यापारियों और जनता में बहुत अधिक क्षोभ है जिसके कारण उन्होंने कई बार सत्याग्रह करने की चर्चा भी की है ?

श्री कृपा शंकर---सत्याग्रह की सूचना तो नहीं है। लेकिन यह जान पड़ता है कि वहां के लोग ऐसी चुंगी को चाहते नहीं हैं। तभी इस प्रकार का वहां से सुझाव आया है।

कांधला नोटीफाइड एरिया के चेयरमैन द्वारा वाटर वर्क्स की स्कीम के लिये सहायता की मांग

*४७---श्री श्रीचन्द्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कांधला नोटीफाइड एरिया के चेयरमैन ने वहां पर वाटर वर्क्स स्कीम बनाने के लिये सरकार से कुछ सहायता की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या सहायता दी ?

श्री कृपा शंकर---जी हां, परन्तु उस समय धनाभाव के कारण यह सहायता देना संभव न हो सका। केन्द्रीय सरकार से स्वशासन संस्थाओं की जल वितरण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक धन की मांग की गई है। कांधला नोटीफाइड एरिया का नाम उन संस्थाओं की सूची में नहीं है, क्योंकि अभी तक उक्त नोटिफाइड एरिया कमेटी ने कोई निश्चित जल वितरण योजना तैयार नहीं कराई है उसके तैयार हो जाने पर ही आवश्यक आर्थिक सहायता के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

श्री श्रीचन्द्र---इस नोटीफाइड एरिया कमेटी ने कितने रुपये मांगे थे और कितने रुपये सरकार ने स्वीकृत किये ?

श्री कृपाशंकर---कुल योजना की लागत ५ लाख ८३ हजार आंकी गई है, जिसका आधा ऋण के रूप में और आधा अनुदान के रूप में मांगा है।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रुपये के देने में सरकार के सामने क्या-क्या कठिनाइयां आई हैं ?

श्री कृपाशंकर---यह तो मैंने प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर में कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी योजना तैयार नहीं की है जो उनको करनी चाहिये थी जब वह अपनी योजना बनाकर भेज देंगे तब रुपया देने का सवाल पैदा होगा कि रुपया दिया जाय या नहीं और जितना रुपया मांगा है उतना दिया या कम दिया जाय। अभी तक तो विचार नहीं किया गया है कि रुपया दिया जाय या नहीं।

श्री बलवन्तसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कांधला नोटीफाइड एरिया की वाटरवर्क्स की योजना तैयार हो गयी थी और उसके फलस्वरूप एक ट्यूब वेल इस समय बना हुआ पड़ा है ?

श्री कृपा शंकर---इसकी सूचना मेरे पास तो नहीं है ।

*४८---श्री श्रीचन्द्र---[स्थगित किया गया ।]

सेनेटरी इन्स्पेक्टरों के संबंध में पूछ-ताछ

*४९---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सेनिटरी इन्स्पेक्टर इस समय काम कर रहेहैं ? उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है और वे कितने समय तक एक जिले में रह सकते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---सेनिटरी तथा चीफ सेनिटरी इन्स्पेक्टरों की संख्या जो इस समय इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, ५७३ है ।

प्रान्तीय स्वास्थ्य मंदिर, प्राविन्शियल हाईजीन इन्स्टीट्यूट लखनऊ द्वारा सेनिटरी इन्स्पैक्टर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की एक सूची संचालक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में रहती है । जब कभी सेनिटरी इन्स्पेक्टर का स्थान रिक्त होता है तो जिला या म्युनिसिपल बोर्ड की मांग पर उस सूची की एक प्रति भेज दी जाती है । उस सूची में से बोर्ड जिस व्यक्ति को उचित समझता है नियुक्ति के लिये चुन लेता है । बद्रीनाथ यात्रा के मार्ग पर कार्य के लिये तथा विलीन रियासतों के सेनिटरी इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति संचालक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग स्वयं करते हैं ।

सेनिटरी इन्स्पेक्टर प्रायः बोर्ड के कर्मचारी होते हैं । उनकी सेवायें एक जिले से दूसरे जिले में साधारणतया परिवर्तनीय नहीं हैं । वे उसी जिले में रहते हैं जहां उनकी नियुक्ति होती है ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार इस पर विचार कर रही है यह सैनीटरी इन्स्पेक्टर्स भी राज्य कर्मचारी हो जायं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है ।

श्री रामहेत सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सैनीटरी इन्स्पेक्टर्स की बढ़ती हुई शिकायत को देखकर उनको एक जिले से दूसरे जिले में भेजने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है कि सैनीटरी इन्स्पेक्टर्स की नौकरी जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की होती है और वह एक ही जिले में रहते हैं और एक जिले से दूसरे जिले में वह नहीं बदले जा सकते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सैनीटरी इन्स्पेक्टर्स की जगह परमानेंट है या टैम्पोरेरी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड्स के इम्प्लाइज की जैसी सर्विसेज होती हैं उसी तरह की सर्विसेज इनकी हैं ?

पंचायत-कर उगाहने के सम्बन्ध में आदेश

*५०---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग से कोई भी ऐसा आदेश कुछ दिनों पहिले जारी किया गया था कि पंचायत टैक्स के वसूली में कोई सख्ती न की जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आदेश की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कृपा शंकर--जी हां। वांछित शासकीय आदेश की प्रति मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ २२७ पर)

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कि पंचायत कर वसूली में सख्ती के सिलसिले में किसी जिले के एम० एल० एज० का एक डेपुटेशन माननीय मुख्य मंत्री से मिला था ?

श्री कृपा शंकर--जी हां, बस्ती जिले का।

श्री मुईज खां--क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उसके बाद उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कृपा शंकर--उसी के फलस्वरूप जो सर्कुलर की नकल राजाराम जी शर्मा को दी गयी है यह जारी किया गया।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस चिट्ठी के बाद भी कुछ जिलों से ऐसी शिकायतें आयी हैं कि पंचायत कर की वसूली में बहुत सख्तियां होरही हैं ?

श्री कृपा शंकर--जी हां, बस्ती जिले से आयी हैं।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि फिर ऐसी शिकायत मिलने के बाद क्या कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की गयी जिन्होंने उस चिट्ठी को पाने के बाद भी सख्तियां कीं ?

श्री कृपा शंकर--उसकी जांच करवाई गयी है।

*५१--श्री राजाराम शर्मा--[स्थगित किया गया।]

टांडा म्युनिसिपल बोर्ड को नल-कूप बनाने के लिये सहायता

*५२--श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बताने की करेगी कि टांडा म्युनिसियल बोर्ड को नलकूप बनाने के लिये कुछ सहायता दी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कृपा शंकर--जी हां। स्टेट हेल्थ बोर्ड ने मार्च, १९५३ में १८,५७५ रुपये का अनुदान दिया था।

श्री रामदास रविदास--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस रुपये से कितना काम हो चुका है ?

श्री कृपा शंकर--एक ट्यूबवेल बन चुका है और बकाया काम बाकी है।

कन्नौज दक्षिण छिबरामऊ दक्षिण क्षेत्र में जच्चा-बच्चा केन्द्र

*५३--श्री चिरंजी लाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के कन्नौज दक्षिण छिबरामऊ दक्षिण क्षेत्र में कितने और कहां-कहां जच्चा-बच्चा अस्पताल हैं ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ और कन्नौज में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित है, इसके दक्षिण में कोई जच्चा-बच्चा केन्द्र नहीं है ?

विधूना (इटावा) की नजूल भूमि पर लगने वाले बाजार से आय

*५४--श्री गजेन्द्रसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधूना (इटवा) में नजूल की जगह पर जो बाजार लगता है उससे सरकार को वार्षिक आय क्या है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--विधूना में नजूल भूमि पर लगने वाले बाजार से सरकार को इस वर्ष २,६२५ रुपये की आय होगी ।

*५५--श्री गजेन्द्र सिंह--इस आय का कितना रुपया सरकार बाजार के रख-रखाव पर खर्च करती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस बाजार के रखरखाव पर १,०२० रुपया वार्षिक व्यय होता है ।

गाजियाबाद नगर के लिये मास्टर प्लान

*५६--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजियाबाद नगर (जिला मेरठ) के लिये एक मास्टर प्लान सरकार द्वारा तैयार कराया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां ।

*५७--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस प्लान के तैयार कराने में सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस प्लान को तैयार कराने में सरकार का लगभग २,००० रुपया व्यय हुआ ।

फर्रुखाबाद जिले में सीमेंट के विक्रेता

*५८--श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या अन्न मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में सीमेंट के विक्रेता कौन-कौन हैं और उन्हें सन् १९५२-५३ में कितना सीमेंट दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आवश्यक सूचना एक तालिका के रूप में सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२८ पर)

*५९--श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या अन्न मंत्री ग्रामीण जनता को सहकारी संघों द्वारा सीमेंट वितरण करने का विचार रखते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सम्प्रति ऐसा कोई विचार नहीं है ।

जिला झांसी में अतिवृष्टि से मऊ-गरौठा सड़क के पुल को क्षति

*६०--श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार को सूचना मिली है कि जिला झांसी में अतिवृष्टि के कारण मऊ-गरौठा सड़क पर राजापुर का पुल टूट गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां ।

*६१--श्री राम सहाय शर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वह उस पुल को कब तक ठीक करा देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--पुल की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ हो चुका है और यह कार्य जल्द ही पूरा हो जायगा।

*६२--श्री राम सहाय शर्मा--क्या सरकार को सूचना मिली है कि मेंगांव ग्राम (गरौठा) भसनेह के तालाब में वहां का पुल टूट जाने के कारण एक टापू बनकर रह गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उसने इस संकट के निवारणार्थ क्या तात्कालिक कार्यवाही की है तथा उक्त स्थान पर कब तक पुल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह सत्य है कि भसनेह के तालाब का भी पुल टूट गया है। ग्राम वासियों के आने-जाने के लिये एक नाव का प्रबन्ध कर दिया गया है। पुल बनवाने का प्रश्न विचाराधीन है।

*६३--श्री विश्राम राय--[स्थगित गिया गया] ।

*६४--श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[स्थगित किया गया ।]

*६५--श्री गंगा धर शर्मा--[स्थगित किया गया।]

एक ही विषय पर विरोधी दल के प्रश्नों को स्थगित करके सरकारी दल के प्रश्नों को कार्य-सूची में रखने के संबंध में उठायी गई आपत्ति

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना सदन को दे देना चाहता हूं क्योंकि माननीय राजनारायण जी ने सदन में यह प्रश्न उठाया था कि श्री रामसुभग वर्मा के जो प्रश्न हैं उनको स्थगित कर दिया गया और उसी किस्म के श्री शिव प्रसाद के प्रश्न थे उनका जवाब दिया गया और उन्होंने इस संबंध में अपनी शंका भी यहां जाहिर की थी कि ऐसा जानबूझ कर शायद किया गया है। उस सम्बन्ध में मैंने तहकीकात की और मैं उसका परिणाम सुना देना चाहता हूं ।

श्री शिवप्रसाद जी के जो प्रश्न थे वह ७ अगस्त को सचिव के दफ्तर में आये, और श्री रामसुभग जी वर्मा के जो प्रश्न थे वह २३ अगस्त को आये, यानी उसके बाद आये। उन प्रश्नों में एक प्रश्न दोनों का एक ही अर्थ का था--यानी जो शिवप्रसाद जी का था वैसा ही रामसुभग वर्मा जी का था--लेकिन दूसरा जो प्रश्न था वह थोड़ा सा भिन्न था। शिवप्रसाद जी के प्रश्न के ऊपर जब आखिर में स्वीकृति हुई तो वह सरकार के पास गया और सरकार ने उसके लिए मोहलत मांगी। पहले जब १६ सितम्बर को रखा गया था, तो सरकार ने मोहलत मांगी कि उन्हें और समय देना चाहिये, क्योंकि उन प्रश्नों के बारे में जिले से उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । तब ३० तारीख जवाब के लिये रख दी गयी। श्री रामसुभग वर्मा जी के प्रश्न भी ३० तारीख को रखे गये और उनके सम्बन्ध में कोई स्थगित करने के लिए सूचना सरकार के पास से मेरे सचिवालय में उस समय तक नहीं आयी थी। उसके बाद जो दूसरा भिन्न प्रश्न रामसुभग जी का था उसके बारे में सरकार के पास मालूमात जिले से समय के अन्दर नहीं पहुंची, तो सरकार ने इस बीच में हमारे कार्यालय को यह सूचना दी कि अभी तक इसका हमको उत्तर नहीं मिल पाया, इसको स्थगित कर दिया जाय। इसलिये एक तो रामसुभग जी के प्रश्न बाद में आये थे, दूसरे एक प्रश्न थोड़ा सा भिन्न भी था, तो इसमें कोई भी ऐसी नीयत सरकार की ओर से नहीं मालूम होती कि जानबूझ कर उनके प्रश्न स्थगित कराये गये । अगर हमारे सचिवालय को कभी यह मालूम हो जाता है कि कोई प्रश्न एक सा दो सदस्यों का है तो जिसका बाद में आता है उसको स्वीकार

[श्री अध्यक्ष]

ही नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे दफ्तर में कभी-कभी यह गलती हो जाती है कि हजारों सवाल आने की वजह से वे एक से प्रश्नों को दुबारा अनजाने स्वीकार कर लेते हैं और यह जान नहीं पाते कि एक प्रश्न पहले स्वीकार कर लिया गया है, और इस प्रकार प्रश्न स्वीकार करके सरकार के पास उसे भेज देते हैं। जैसा आज ही एक प्रश्न के सम्बन्ध में हुआ कि जो mystery disease या बीमारी कही जाती है उसके सम्बन्ध में दो सज्जनों के एक से प्रश्नों का जवाब इस सदन में दिया गया। कभी-कभी यह पुनरुक्ति डिटेक्ट नहीं होती है, मंत्रियों के दफ्तर में भी डिटेक्ट नहीं हो पाती और दुबारा प्रश्न सदन में आ जाते हैं। तो इसी तरह का यह एक उदाहरण है। इन वाकयात की दृष्टि से कोई भी पक्षपात वग़ैरह का सम्बन्ध उठाये हुए प्रश्न में उत्पन्न नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति के नियम

श्री अध्यक्ष—दूसरी सूचना यह है कि मैंने एक कार्य परामर्शदात्री समिति बनायी थी जिसके संबंध में मुझे अधिकार सदन ने दिया था। मैंने पहिले ही यह कहा था कि उसके कार्य संचालन के जो नियम होंगे उनकी सूचना मैं सदन को दे दूंगा। तो पहले तो मैं उन नियमों की सूचना दे देना चाहता हूं। यद्यपि मुझे नियम बनाने का अधिकार दिया गया था तिस पर भी मैंने यह उचित समझा कि लोक सभा के जो नियम हैं उनको उस समिति के सदस्यों के सामने रख दूं और उनसे परामर्श कर लूं और बाद में जिस रूप में लोक सभा के नियमों पर आधारित नियम समिति की सलाह से परिवर्तन होंगे उनकी सूचना मैं सदन को दे दूं।

यह नियम थोड़े से ही हैं। मैं उनको सुनाये देता हूं—

"१—(१) विधान सभा के प्रत्येक सत्र के आरम्भ में अथवा समय-समय पर, यथास्थिति, अध्यक्ष एक समिति नाम निर्देशित करेगा जिसे कार्य परामर्शदात्री समिति कहा जायगा और जिसमें अध्यक्ष को, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को, जो परिस्थिति के अनुसार समिति का पदेन सभापति होगा, लेकर ११ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

यानी अध्यक्ष अगर नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष उसके सभापति होंगे। हमने यह परिवर्तन किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अगर मौजूद न हों और समिति बुला ली गयी हो तो जो सदस्य वहां मौजूद होंगे वह अपना सभापति चुन लेंगे। इतना ही परिवर्तन उसमें है।

(२) उपनियम (१) के अन्तर्गत नाम निर्देशित समिति को तब तक पदाधिकार प्राप्त रहेगा जब तक नयी समिति का नाम निर्देशन न हो जाय।

(३) यदि किसी कारण से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों समिति के किसी उपवेशन का सभापतित्व करने में असमर्थ हों तो समिति उस बैठक के लिए अपना सभापति चुनेगी।"

२—अध्यक्ष समिति की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करेगा और ऐसी रिक्ति की पूर्ति के लिए नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को उस अवधि के लिए पदाधिकार प्राप्त रहेगा जिस अवधि के लिए नियम १ के उपबन्धों के अन्तर्गत उस व्यक्ति को पदाधिकार प्राप्त रहता जिसके स्थान पर उसको नाम निर्देशित किया गया हो।

३—समिति के किसी उपवेशन के लिए गणपूर्ति ४ होंगी। क्योंकि इस समिति में केवल ११ सदस्य रहेंगे इसलिये ४ का क़ोरम होगा।

"४—(१) समिति का यह कार्य होगा कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिए समय नियत करने के सम्बन्ध में सिफारिश करे जिन्हें

अध्यक्ष नेता सदन के परामर्श से या नेता विरोधी दल अथवा किसी अन्य विरोधी दल के नेता की प्रार्थना पर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए निदेश दे।

(२) अध्यक्ष इसी प्रकार अन्य विधेयक को कार्य समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा।

यानी इसमें अन्तर यह हुआ कि लोक सभा के नियमों नें नेता सदन के परामर्श से ही अध्यक्ष किसी विधेयक को समिति के सामनें भेज सकता है। लेकिन यहां पर विरोधी दल के नेता और अन्य दलों के नेता, अगर वह भी यह इच्छा प्रकट करें कि किसी विशेष प्रक्रम या प्रक्रमों को समिति के सामने भेजा जाय तो अध्यक्ष को यह अधिकार दिया है कि वह उस प्रक्रम या प्रक्रमों को समिति के विचारार्थ भेज सकता है।

एक और भी थोड़ा सा फर्क यह है कि अध्यक्ष किसी प्रकार के अन्य विधेयकों को भी कार्य समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा यानी प्राइवेट बिल्स को भी कार्य समिति के पास भेज सकता है। यही थोड़ा सा फर्क इस नियम में किया गया। समिति के सदस्यों ने यह उचित समझा कि प्राइवेट बिल्स के सम्बन्ध में भी यह अधिकार होना चाहिये कि वह भी समिति के पास भेजे जा सकें।

(३) समिति को प्रस्थापित समय-सारिणी में यह इंगित करने की शक्ति होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम किस समय पर समाप्त हो जायं।

(४) समिति के ऐसे अन्य कार्य भी होंगे जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायं।"

५—किसी विधेयक या विधेयक समूह के सम्बन्ध में समिति से निर्णीत समय-सारिणी अध्यक्ष द्वारा सदन को प्रतिवेदित की जायगी और साधारणतया यह प्रतिवेदन सदस्यों को पत्र द्वारा भेजा जायगा या उसे कार्यसूची में रख दिया जायगा।

६—सदन को समयसारिणी प्रतिवेदित हो जाने के उपरान्त यथासम्भव शीघ्र समिति का, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक सदस्य यह प्रस्ताव करेगा "कि यह सदन अमुक-अमुक विधेयक अथवा विधेयकों के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है", और यदि ऐसा प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हो जाय तो वह उसी प्रकार लागू होगा जैसे कि सदन का आदेश लागू होता है"।

इसको मैं स्पष्ट कर दूं। जिस समय समिति निश्चय कर देगी उस वक्त अध्यक्ष उसके निर्णय को सदन में बता देगा कि यह सिफारिश है और उस सिफारिश को जब अध्यक्ष पेश कर दे तो उसके बाद जिस सदस्य को अध्यक्ष निदेश दे वह सदस्य इस सम्बन्ध में इस आशय का प्रस्ताव लायेगा कि यह सदन अमुक विधेयक अथवा विधेयकों के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है, और यदि ऐसा प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हो जाय तो वह उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि सदन का आदेश लागू होता। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह संशोधन उपस्थित किया जा सकता है कि प्रतिवेदन निर्बंध के बिना, या किसी विशेष विषय के संदर्भ में समिति को पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय।"

यानी उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह अमेंडमेंट आ सकता है कि उसे फिर से समिति के पास भेजा जाय।

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिये आधे घंटे से अधिक समय वंटित नहीं किया जायगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर ५ मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।"

[श्री अध्यक्ष]

"सदन के संकल्प के अनुसार निर्धारित समय पर, किसी विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम को पूरा करने के लिये, अध्यक्ष विधेयक के उस प्रक्रम से सम्बद्ध समस्त अवशिष्ट विषयों के निमित्त प्रत्येक प्रश्न तत्काल मतदान के लिये रखेगा ।

इसी प्रकार अध्यक्ष किसी ऐसे प्रस्ताव को समान्य कर सकेगा जो सदन के संकल्प के विरोध में विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम के लिये वंटित समय को कम करता हो।"

लोकसभा से थोड़ी सी भिन्नता इसी नियम में है और वह यह कि अगर यहां पर समय निश्चित होने के बाद भी यदि कोई सदस्य समय कम करने का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहे तो अध्यक्ष उसे अमान्य कर सकता है। यह थोड़ा सा अन्तर है, क्योंकि लोक सभा के नियमों में यह नहीं है।

"सदन द्वारा निर्गीत समय-सारिणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा सिवाय उस दशा के जब नेता सदन इसके लिये प्रार्थना करें और मौखिक रूप से सदन को अधिसूचित करे कि ऐसे परिवर्तन के लिये सामान्य मतैक्य है। ऐसी अवस्था में अध्यक्ष सदन का आशय ज्ञात करके उसे लागू करेगा।

इन नियमों की सूचना जैसा मैंने कहा था दे दी।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर विवादार्थ समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब मैं परामर्शदात्री समिति जिसकी कल बैठक हुई थी उसने जो निश्चय किया उसकी सूचना सदन को देता हूं और उसकी सिफारिश को सदन के सामने उपस्थित करता हूं। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ को वृहस्पतिवार, ३१ अक्तूबर, ५४ की सायंकाल ४ बजे तक पारित किया जाय और उसका तृतीय पाठन उस दिन सवा बजे दोपहर तक समाप्त कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)— मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मेरी राय में जिन नियमों की सूचना आपने सदन को दी है वे सदन द्वारा स्वीकृत न हो जायं तब तक इस परामर्शदात्री समिति के किसी प्रस्ताव पर या फैसले पर यह सदन विचार नहीं कर सकता। आपको सदन ने केवल यह अधिकार दिया था कि आप परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को नामजद कर दें। नियमों की सूचना हमें पहली दफा मिली है और जब तक ये नियम स्वीकृत न हो जायं और हमारी प्रक्रिया नियमावली में उनका समावेश न हो जाय तब तक मैं समझता हूं कि इस परामर्शदात्री समिति के निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिये यह जो आगे की कार्यवाही होने जा रही है यह अवैधानिक है और कृपया आप इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उनका समर्थन करता हूं और इतना और कहना चाहूंगा कि जिन कारणों से इस परामर्शदात्री समिति का स्थापित करना उचित समझा गया उनमें एक मुख्य कारण यह था कि राजस्व मंत्री अपने एक विधेयक को शीघ्रता से पास करने की चेष्टा कर रहे थे और उस समय महसूस किया गया कि एक समिति ऐसी हो जो कि पूरी कार्यवाही की जांच करे और दिन एलाट कर दे तो उससे

सदन के सदस्यों को भी लाभ होगा और कार्यवाही चलने में भी सुविधा होगी। जो नियम पेश किये गये उनके सम्बन्ध में जब अवसर मिलेगा तो कहूंगा। लेकिन उनके सुनने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि वह समिति एक बहुत बड़ी समिति बन जायगी और बड़ी इस अर्थ में हो जायगी कि हमारे आजकल जो अधिकार हैं मैं समझता हूं कि कुछ हद तक वे भी घट जायंगे। हमारे सामने जो यह परामर्शदात्री समिति की सिफारिश आयी है उसका सूक्ष्म मतलब यह निकलता है कि एक प्रकार का गिलोटिन मोशन पास हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह मंशा उस समय नहीं था। केवल यह था कि प्रायोरिटी हो जाय ताकि जो विधेयक महत्वपूर्ण उतना न हो उनको शीघ्र पारित करा दिया जाय और जो महत्वपूर्ण विधेयक हो उस पर उचित और पर्याप्त समय मिल जाय। इस कारण इस समय कोई इस प्रकार का प्रस्ताव पास होना वह गिलोटीन का ही प्रस्ताव होगा और उसको यहां पर उपस्थित करना भी उचित नहीं होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)— श्रीमन्, जहां तक मैं समझा था कि बिजनेस कमेटी बनायी जाय उसके सम्बन्ध में मैं माननीय बालेन्दुशाह जी के मत से सहमत नहीं हूं क्योंकि जहां तक प्रायोरिटी का सम्बन्ध है वह तो अध्यक्ष माननीय नेता सदन से सलाह करके निश्चित करते हैं। यह प्रश्न सदन के सामने नहीं था। सदन के सम्मुख जो दिक्कत थी वह केवल यह थी कि कभी-कभी महत्वपूर्ण विधेयक के किसी हिस्से पर ज्यादा समय लग जाता है या कोई बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है उसमें कम समय मिलता है या उससे भी कम महत्वपूर्ण है तो उस पर ज्यादा समय लग जाता है। तो समय का बटवारा करने के लिये ऐसा सोचा गया था कि वह कमेटी बनायी जाय। मैं समझता हूं माननीय बालेन्दुशाह जी को इसको फिर से देख लेना चाहिये।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)— श्रीमान् बालेन्दुशाह जी ने जो मत प्रकट किया है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि बिजनेस कमेटी हमारे पार्लियामेंट में भी बनी हुई है जो उस समय तमाम कार्यक्रम को देखती है जो वहां पर होने वाला हो। बहुत पहले से तमाम जितना पार्लियामेंट का काम होता है उसके लिये तमाम कार्यप्रणाली वह निश्चित कर देती है। हर विधेयक के लिये समय निश्चित कर देती है कि इतने समय तक विवाद होगा, इतने समय तक विचार होगा और इतने समय में वह पारित हो जायगा ऐसा कार्यक्रम वह निर्धारित कर देती है। इससे सदस्यों को बहुत सुविधा होती है। उनको यह मालूम रहता है कि इतने समय तक पार्लियामेंट बैठेगी और तब तक वह समाप्त करेगी। हमें यहां पर यह जबरदस्त कठिनाई है कि हमको यहां पर यह मालूम नहीं हो सकता है कि यह सदन कब तक बैठेगा और कब तक समाप्त होगा और यह असेम्बली की कार्यवाही कब तक समाप्त होगी यह किसी को निश्चित नहीं रहता था। यदि यहां पर साल भर में ३ महीने सेशन चलता है तो बाकी समय के लिये हम अपना कोई कार्यक्रम नहीं बना सकते थे और हमारा तमाम समय नष्ट हो जाता था। इसलिये बिजनेस कमेटी की आवश्यकता थी ताकि यह सब निश्चय हो जाय और नेता सदन, नेता विरोधी दल और माननीय अध्यक्ष सब मिल कर यह तमाम प्रोग्राम बना लें और यह निश्चय कर लें कि यह सदन कब तक बैठेगा और कितना काम करेगा। यह सभी कार्य-क्रम उसके अन्तर्गत आता है। इसलिये हमारे मित्र का यह कहना कि यह प्रायरिटी के लिये बनाना चाहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो सदन में किसी भी समय प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। महज इतने काम के लिये उसकी आवश्यकता नहीं थी। इसलिये माननीय बालेन्दुशाह जी को भ्रम है कि वह प्रायोरिटी के लिये ही कमेटी बनायी गयी है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)— श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसको कुछ गलतफहमी हो रही है। श्री रामनारायण जी ने आपसे एक व्यवस्था का प्रश्न पूछा था। उससे कहीं भी ऐसी ध्वनि नहीं पैदा होती जिससे यह मालूम हो कि यह समिति रहे या न रहे और इसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। उन्होंने तो केवल एक व्यवस्था चाही थी कि जो नियमावली उस समिति के द्वारा आयी है वह नियमावली इस सदन में प्रथम बार आयी है और इस सदन के सदस्य होने के नाते हम लोग उस नियमावली में कुछ परिवर्तन, परिवर्द्धन और संशोधन कर सकते हैं या नहीं? यह भी हो सकता है कि हमारे संशोधन और परिवर्तन अभी तक जो नियमावली है उससे अच्छे हों। इसलिये उन्होंने व्यवस्था उठायी थी कि क्या हम उस पर अब भी संशोधन दे सकते हैं और वह समिति उस पर विचार कर सकती है या नहीं? इस पर सफाई होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जैसा अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस समिति की क्या आवश्यकता हुई और क्यों? हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आयी जिससे यह साबित हो कि इसकी आवश्यकता हम नहीं समझते। तो जहां तक मैं समझ पाता हूं बालेन्दुशाह जी ने रामनारायण जी का समर्थन किया है। जैसा रामनरेश जी ने कहा सदन के नेता जो चाहते हैं उसका मसविदा आपके सामने रख देते हैं तब जिस तरीके से वे चाहते हैं मसविदा सदन में आ जाता है और उस समय पर कार्य होता है और उस पर हम लोगों को अपनी सम्मति को रखने का अधिकार होता है। अगर ऐसी समिति बनने मात्र से सदन अपने अधिकारों से वंचित नहीं होता है तो माननीय बालेन्दु-शाह जी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है न हमको। आधा घंटे का जो समय रक्खा गया है वह इसीलिये रक्खा गया है कि उसमें जो सुझाव हम देना चाहें वे दे सकें। तो जो नियमावली माननीय अध्यक्ष जी ने पढ़ी, उस पर सब माननीय सदस्य विचार-विनिमय कर सकें और अपना जो भी मत बना पायें उसको माननीय अध्यक्ष की सेवा में भेज दें, इसके लिये हम चाहते हैं कि नियमावली की एक एक प्रति हम लोगों को मिल जाय तो ठीक होगा और जो सुझाव उसके बाद हम लोग भेजें उस पर माननीय अध्यक्ष फिर से विचार कर सकें।

तीसरी बात यह कि माननीय बालेन्दुशाह जी को शंका हुई इसके लिये यह जो आध घंटे का समय रक्खा है उसको आप थोड़ा सा और बढ़ा दें। इससे उनकी शंका का भी समाधान हो जाता है। जिस रूप में भी समिति बनी है अगर वह सरकारी साधन न बन कर सुचारु रूप से कार्य कर पायेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—(महाराजकुमार बालेन्दुशाह के खड़े होने पर)— मैं आपको भाषण को दुहराने का मौका नहीं दूंगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—क्योंकि सारी बहस मुझी पर केन्द्रित हो गयी, इसलिये मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने यह एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि ये नियम जो मैंने अभी सूचना के लिये सदन के सामने रखे उनको पहले सदन की तरफ से मंजूरी मिलनी चाहिये और तभी वह लागू होंगे अथवा तत्काल लागू हो ही चुके हैं।

दूसरा प्रश्न बालेन्दुशाह जी ने उठाया। उसके बारे में माननीय केशव गुप्त जी ने जो स्पष्टीकरण दिया उसका उस रोज यही आशय था। किस विधेयक पर कितना समय लगे जब यह निश्चित नहीं होता है तो किसी छोटे से विधेयक पर अधिक समय लग जाता है और बड़े विधेयक के लिये बीच में गिलोटिन आ जाता है और उसके बहुत

से भाग पर पूरी तरह से विचार नहीं हो पाता। इसलिये यह उचित समझा गया कि एक समिति बना दी जाय जो इस पर पूर्ण विचार कर ले और उसमें जो नियंत्रण रखने हों उनके सम्बन्ध में सदन को सलाह दे दें। अब पहली बात तो यह है कि केवल इसी कार्य के लिये यह समिति बनायी गयी थी न कि इस कार्य के लिये कि किस कार्य को प्राथमिकता दी जाये इस सम्बन्ध में सुझाव समिति दे। सदन के जो इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं उसके नियम १९ (१) में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है—

"19(1) On days other than those allotted for Private Members' business no business except Government business shall be transacted without the consent of the Speaker. The Government may arrange the order of business in such manner as it thinks fit."

उसमें गवर्नमेंट को पूर्ण अधिकार है कि अपने कार्य में प्राथमिकता निर्धारित करे और स्पीकर की सलाह लेने की उसे आवश्यकता नहीं है। वह गवर्नमेंट का बिजनेस है गवर्नमेंट उसका आर्डर फिक्स कर देगी। यह अवश्य है कि आर्डर फिक्स करते समय कितना नोटिस चाहिये इसके लिये स्पीकर बीच में आ जाता है और उस वक्त स्पीकर की बीच में मदाखलत हो जाती है और उसमें उसका निर्णय हो जाता है लेकिन आर्डर फिक्स करने का काम तो गवर्नमेंट का ही है। लेकिन यह दूसरा सवाल है कि सदन किस विधेयक पर कितने समय तक विचार करे जिससे उस पर उचित विचार हो सके और सदन का समय भी नष्ट न हो। चूंकि यह विचार का समय जनता का समय है वह आवश्यकता से ज्यादा न लगे। अब बिजनेस कमेटी एक एडवाईजरी कमेटी है, इसका फैसला अन्तिम नहीं होगा, वह तो सिफारिश करने वाली, सलाह देने वाली कमेटी है। उसको अपने नियमों में जो यहां के नियम बने हुए हैं सदन का कार्य चलाने के लिये, उसमें शामिल करने के सम्बन्ध में मैंने उस रोज भी जिक्र किया था। उसके साथ ही यह प्रश्न आ गया कि उन नियमों के संशोधन के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये एक समिति बनाई जाये। वह अभी बनी नहीं है। उसके बारे में मेरे पास कुछ नाम आ चुके हैं मुख्य सचेतक की तरफ से लेकिन दूसरी पार्टियों की तरफ से मेरे पास कोई नाम अब तक नहीं प्राप्त हुए हैं। उनकी तरफ से भी मैं नाम ले लेना चाहता हूं, फिर समिति को मैं बना दूंगा। सदन उन अपने नियमों में ये नियम जो इस सदन के सामने अभी रखे गये हैं सम्मिलित करने की सिफारिश कर दे। लेकिन तत्काल कार्य चलाने के लिये उस वक्त यह विचार हुआ था कि मुझे अधिकार दिया जाय कि मैं समिति को नामजद कर दूं। समिति को तो मैं नामजद कर दूं बगैर नियम के और समिति अपनी बैठक भी कर ले और उसके ऊपर निर्णय भी कर दे और कोई नियम लागू न हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि समिति एक तरह से प्राविजनल समिति होगी। यह समिति तब तक कार्य करेगी जब तक दूसरी समिति नये नियमों के अनुसार न बन जाय। जिस वक्त सदन के कार्य संचालन के सब नियम संशोधन के लिए उपस्थित होंगे उस वक्त ये नियम भी सामने आयेगा और उनमें परिवर्तन हो सकता है। तत्काल काम चलाने के लिये मैं नियम बना दूंगा और उसकी सूचना भी सदन को दे दूंगा, यह बात मैंने उस रोज भी भाषण में कही थी कि उसके अनुसार मैं नियम तो बना देता लेकिन मैंने यह उचित समझा कि जब समिति बनेगी और सभी दल के लोग समिति में होंगे तो उनसे भी परामर्श कर लूं। अब लोक सभा के नियमों में कुछ परिवर्तन करके समिति की सलाह से नियम मैंने बना दिये हैं। नेता विरोधी दल और दूसरी पार्टी के नेता अगर किसी बिल को समिति के सामने लाना चाहें तो वे भी ला सकते हैं। यह लोक सभा के नियमों में नियम नहीं है। लेकिन उन्हीं की सलाह से यह परिवर्तन किया गया है। समिति की इच्छा हुई कि नियमों में परिवर्तन किया जाय और उसको तत्काल ही अमल में लाना चाहिये। इसी दृष्टि से मैंने नियम बनाये हैं और केवल

[श्री अध्यक्ष]

सूचना की दृष्टि से सदन को बतला दिया है। मुझको सदन ने उस रोज अपनी सम्मति दी थी इसलिये ये नियम तत्काल ही लागू हैं और तब तक लागू रहेंगे जब तक कि दूसरे नियम न बन जायं। हां, एक सुझाव श्री राजनारायण जी ने दिया है कि सही जानकारी के लिये नियमों की प्रति सभी को दे देनी चाहिये। इसकी हिन्दी कहीं कहीं थोड़ी सी कठिन हो गयी है इसलिए मैंने यह विचार किया था और मेरी इच्छा थी कि हिन्दी को थोड़ा सा बदल कर ऐसा कर दिया जाय ताकि सबकी समझ में जाय। नियम तो लागू हो गये हैं। सदन ने निर्णय किया है कि प्राविजनल कमेटी के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि दूसरे नियम न बन जायं। जब तक नये नियम न बन जायं इस बीच के लिये यह समिति बनायी गयी है इसलिये यह नियम लागू हैं, यह मेरा स्पष्ट निर्णय है।

श्री कालीचरण टण्डन (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी स्वीकृति से यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सदन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ आपसे ज्यादा नहीं कहना है। मुझे आशा है कि जो इतनी बहस हो चुकी है और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, का द्वितीय वाचन का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है अब उसके लिये जितना वक्त रिजनेबिली चाहिये उस पर समिति ने काफी विचार-विनिमय के बाद निर्णय किया है। मुझे बहुत खुशी है यह कहने में कि समिति में सर्वसम्मति से यह समय का निर्धारण किया गया है। मुझे आशा है कि सदन उसी तरह से सर्वसम्मति से इस निर्णय से सहमत होगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक दूसरा संशोधन रखना चाहता हूं कि ता० २१ के पहले दो दिन माननीय गेंदासिंह और माननीय नारायणदत्त तिवारी के विशेषाधिकार की जो अवहेलना हुई है उसके सम्बन्ध में समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—दूसरा संशोधन तो नहीं हो सकता। हां, यह संशोधन आ सकता है कि समिति के पास फिर दोबारा विचार के लिये यह प्रश्न भेज दिया जाय। लेकिन मैं आपकी सूचना के लिये बता दूं कि मेरे भी दिमाग में ऐसी बात आई थी और मैंने इस चीज को समिति के सामने रखा था यह शीघ्र आना चाहिये, लेकिन आपके प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि ने कहा कि उसको दिवाली बाद लेना चाहिये, मैंने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया वर्ना मैं चाहता था कि अगले हफ्ते में एक दिन इसके लिये मुकर्रर हो जाय लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि विषय समिति के सामने वह प्रश्न नहीं है, अगर दिवाली के बाद पहले रोज उन प्रतिवेदनों को ले लें तो अनुचित न होगा। यह सुझाव आपके दल के एक सदस्य ने जो समिति में हैं दिया था, इसलिये मैंने अवसर नहीं दिया। यह मैंने केवल सूचना के लिये कहा, यह विषय सामने नहीं है, ऐसा कोई संशोधन इस समय नहीं आ सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)— अध्यक्ष महोदय, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य होने के नाते यह उचित नहीं समझता था कि मुझे यहां बोलने की आवश्यकता है लेकिन जब श्री काली चरण टंडन ने 'सर्वसम्मति' का जिक्र किया तो मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि श्रीमन् आप जानते हैं कि मैं अकेला अन्त तक इसका विरोध करता रहा कि इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिये और अन्त में उठते समय जब 'सर्वसम्मति' की बात थी तभी मैंने कह दिया था कि मैं उसी समय स्वीकार करूंगा कि जब उसमें से सवा बजे और ४ बजे के लिमिटेशन को हटा दिया जाय। यह मैंने स्पष्ट रूप से अन्त में कहा था। मैं समझता हूं कि

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को गिलोटीन का स्वरूप देकर इस तरह से प्रस्ताव को नहीं रखना चाहिये। वह गिलोटीन की शक्ल प्रस्ताव को दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी सदन समझे कि बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी गिलोटीन का प्रस्ताव ला रही है, यह आवश्यक है कि उसका प्रस्ताव एक प्रस्ताव के रूप में ही सदन के सामने आये, यह न होना चाहिये कि सदन समझे कि गिलोटीन की सिफारिश कमेटी ने की है। इसलिये मैं श्री काली चरण टंडन से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस लेकर दोबारा कल सुन्दर तरीके से लावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव में 'सर्वसम्मति' से नहीं लिखा है वह भाषण में ऐसा बोल गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उनका भाषण तो मूल प्रस्ताव का अंग था, इसलिए मुझे यह कहना पड़ा। वह कल को इसे ठीक करके ला सकते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार का जो प्रश्न ह वह किसी दल के ऊपर की चीज है। अगर हमारे दल के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को टाल कर वह दूसरे काम को करने के लिये तैयार हैं...

श्री अध्यक्ष—मुझसे बाद में परामर्श कर लें। वह प्रश्न दूसरा है, या अगर वह उसे उठाना चाहते हैं तो प्रेस करें मैं तो खुद वैसा चाहता था, उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री गेंदासिंह—मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि नियमों और परम्परा के अनुसार और कार्य की अपेक्षा विशेषाधिकार की रिपोर्टों को प्राथमिकता दी जाती रही है।

श्री अध्यक्ष— उस पर मैं विचार कर लूंगा।

(श्री काली चरण टंडन के खड़े होने पर) आप केवल दो तीन मिनट बोल सकते हैं।

श्री कालीचरण टण्डन—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना स्पष्ट करना चाहता था कि अगर माननीय नारायणदत्त जी थोड़ी सी अपनी याददाश्त को ताजा करें तो उनको याद आ जायगा...

श्री अध्यक्ष—अन्दर की बात को ताजा करने की बात न कहें, वहां जो कहा वह यहां कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कालीचरण टंडन—अध्यक्ष महोदय, मुझे आप के आदेश के अनुसार इतना ही अनुरोध करना है कि अभी जो नियमावली यहां सुनाई गई है और जिस पर माननीय अध्यक्ष ने लागू होने का निर्णय किया है उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय के आदेश या निर्देशन पर जो प्रस्ताव आप के सम्मुख पेश करना चाहिये वही मैं पेश कर रहा हूं। इसलिये मुझे आशा है कि सदन इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इसमें संशोधन लाने की इजाजत है?

श्री अध्यक्ष—यूं संशोधन तो आ सकता है लेकिन आप वह ला नहीं पा रहे हैं। आपने संशोधन पेश ही नहीं किया, आप तो सुझाव की तरह बात कह रहे थे।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि यह सदन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैंने कल भी आपकी सेवा में निवेदन किया था और इस समय मैं देख रहा हूं कि बहुगुणा जी भी यहां मौजूद हैं। ग्राम चितौरी (इलाहाबाद) के सम्बन्ध में जो माननीय मलखान सिंह ने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था। उस सम्बन्ध में बहुगुणा जी ने समाचार-पत्रों में बयान देकर भ्रम फैलाया है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसको नामंजूर कर दिया है। आप कृपा करके मुझसे मेरे कमरे में पूछ लीजियेगा तो आपको जवाब मिल जायगा। आपने जो पत्र लिखा था उसके सम्बन्ध में भी मैंने दफ्तर से कह दिया है और उस सम्बन्ध में भी खुलासा से आपको जवाब भी आ जायगा।

एक ही विषय पर विरोधी दल के प्रश्नों को स्थगित करके सरकारी दल के प्रश्नों को कार्य-सूची में रखने के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—अभी-अभी मेरे सवाल के बारे में जो सवाल माननीय नेता जी ने उठाया था उसमें आपका जो निर्णय हुआ वह बतलाया। माननीय शिवप्रसाद जी का सवाल ६० नम्बर पर था और मेरा सवाल उनसे पहले ५१-५२ नम्बर पर था लेकिन उसके बारे में हमें कोई निर्णय नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—अब इतना सब हो जाने के बाद, इतनी कार्यवाही हो जाने के बाद, प्रश्नों के बाद में सवाल आप नहीं उठा सकते। यह प्रश्न तो आप प्रश्नों के बाद तत्काल उठा सकते थे। आप कल प्रश्नों के बाद जो कुछ कहना चाहेंगे वह बात मैं सब सुन लूंगा। या मेरे कमरे में आ जाइये और आप जो कुछ कहना चाहें वह मैं सुन लूंगा।

* इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड २ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (aa) के अन्त में निम्न-लिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"In a subject or subjects which or not taught by the University"

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लाज (aa) इस तरह से है—

"(aa) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† ११ अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

तो क्लाज (aa) के "आल दि टीचिंग" के माने साफ यह होते हैं कि जितने सबजेक्ट्स वहां पढ़ाये जाते हैं वे सभी सबजेक्ट्स की उनमें टीचिंग होगी। अब इसके बाद जब यह रख दिया जाता है कि "इन ए सबजेक्ट आर सबजेक्ट्स" तो उसके माने साफ यह हो जाते हैं कि "आल दी टीचिंग" के शब्द बेकार हो जाते हैं। और उसके बाद मैं इन शब्दों पर भी जोर दूंगा "नेसेसरी फार ऐडमिशन टु डिग्री आफ दि युनिवर्सिटी।" तो "ए सबजेक्ट" के बढ़ाने से कुल तालीम देने से क्वालिफाईड फार ऐडमिशन टु डिग्री नहीं हो जाता। तो यह लफ्ज अगर इसमें रखा रहता है "टु इम्पार्ट आल दि टीचिंग नेसेसरी" उसके रहते हुये "ए सबजेक्ट और सबजेक्ट्स" रखा जायगा या बढ़ाया जायगा तो अननेसेसरी हो जायगा। इसलिये यह संशोधन आउट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

यह असंगत नहीं है। इसलिये कि "आल दि टीचिंग" तो किसी एक सबजेक्ट में भी हो सकता है तो इस तरह से वह असंगत नहीं है संगत हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि एक विषय यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त करने के लिये न हो कई विषय हो सकते हैं। लेकिन एक विषय एक कालेज में हो सकता है और वह रिकग्नाइज्ड हो और वह इस तरह से असोसियेटेड कालेज हो सकता है और दूसरा विषय दूसरे कालेज में हो लेकिन लड़का जो है वह तो हर सबजेक्ट में बैठेगा जो करीकुलम में होगा। इसलिये यह किसी तरह से असंगत नहीं मालूम होता कि यह लिमिटेशन रखा जाय अगर सदन उसको मंजूर कर लेता है। अगर सदन मंजूर नहीं करता तब तो दूसरी बात है लेकिन जहां तक वैधानिक आपत्ति है वह उठ नहीं सकती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि अगर असोसियेटेड कालेजज को रखने की व्यवस्था मान ही ली जाती है तो वह एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे युनीवर्सिटी के पठन-पाठन के स्टैन्डर्ड को किसी प्रकार से नीचे न गिराकर, उसकी अगर सम्भव हो सके थोड़ी सहायता की जाय। और यह तभी हो सकता है जब कि ऐसे असोसियेटेड कालेजेज खोले जायं कि जिनमें ऐसे सबजेक्ट या विषय के पढ़ाने की व्यवस्था हो जिनको कि युनीवर्सिटी न पढ़ाती हो या किसी सबजेक्ट का कोई दूसरा हिस्सा है जिसमें यूनीवर्सिटी ज्यादा ध्यान नहीं दे सकती हैं, उनको अगर असोसियेटेड कालेज को डिग्री के हेतु अगर यूनीवर्सिटी मान लेगी तो उपयुक्त होगा। जैसे मिसाल के लिये ऐग्रीकल्चरल इंस्टीटचूट, नैनी है जिसका एक विशेष विषय कृषि शिक्षा देना है। यह ऐसा विषय है जो युनीवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, न साइंस कालेज में, न आर्ट्स कालेज में और न ला फैकल्टी में, कहीं नहीं। एक स्वतन्त्र विषय है और उसके लिये नैनी, ऐग्रीकल्चरल इंस्टीटचूट को बहुत सी ग्रान्ट्स मिलती है, बहुत सी सहायता मिलती है, तो नैनी ऐग्रीकल्चरल इंस्टीटचूट जैसे इंस्टीटचूशन को असोसियेटेड कालेज मानने में हमें कोई ज्यादा एतराज नहीं हो सकता। और इसी प्रकार के ऐसोशियेटेड कालेज खोले जायं। जैसे मान लीजिये माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने यह निश्चय किया सन् १९४८ में कि इलाहाबाद में एक मेडिकल कालेज खोला जाय और चैथम लाइन्स के पास सरकार ने जमीन मांगी थी। अगर ऐसा हो तो एक बात थी। या जैसे लखनऊ में आयुर्वेदिक कालेज खोले जाने की बात थी या जैसे कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कालेज सरकार खोले, एक विशेष विषय के नाते उसकी डिग्री युनीवर्सिटी दिलवाये। तो ऐसे कालेज की व्यवस्था हो सकती है। जब इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की कोर्ट और ऐकेडेमिक काउन्सिल के सामने मामला आया सन् १९५० में पहली

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बार तो उस समय जो प्रस्ताव शुरू में पास हुआ तो यूनीवर्सिटी की अथारिटीज को भी यही इच्छा रही कि ऐसे नये विषयों में शिक्षा देने के लिये कालेज को माना जा सकता है। यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के सामने जब मामला आया, जिसके हृदयनाथ कुंजरू चेयरमैन थे, उन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि अगर असोसियेटेड कालेज नये खोले जायं तो नये विषयों में खोले जा सकते हैं। यह शर्त होनी चाहिये कि अध्यापकों का वेतन वही होना चाहिये जो यूनीवर्सिटी के अध्यापकों का हो। एक शर्त यह भी थी नये विषयों के दर्जे कालेज में होने चाहिये। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे और केवल ऐसे ही विषयों के दर्जों के कालेजेज को स्वीकृत देंगे जिनको यूनीवर्सिटी नहीं पढ़ाती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। क्योंकि यह संशोधन यदि स्वीकार कर लिया गया तो जिन कालिजों को मान्यता प्राप्त हो गई है वह खत्म हो जायेगी और एक भारी कनफ्यूजन पैदा हो जायगा। जैसा इस संशोधन का मतलब यह हो जाता है कि केवल उन्हीं कालेजेज को मान्यता दी जाय जो ऐसा विषय पढ़ाते हों जो यूनीवर्सिटी में न पढ़ाया जाता हो। तो इससे हमारी समस्या का हल नहीं होगा। इसका भयंकर परिणाम होगा। विद्यार्थियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और उनको अगर हमें शिक्षा देना है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने के इच्छुक हैं तो हमको असोसियेटेड कालेजज का प्रबन्ध करना पड़ेगा। अगर इनका संशोधन माना जाता है तो माने यह होंगे कि खाली आयुर्वेदिक कालेज या ऐग्रीकल्चरल कालेज जो उस विषय को पढ़ाता हो जो यूनिवर्सिटी न पढ़ाती हो। वही असोसियेटेड कालेज मान लिया जाय। यह गलत चीज होगी। आवश्यकता यह है कि, जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जैसे लखनऊ में आई० टी० कालेज है, महिला कालेज है, इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला है यह पहले से एफिलियेटेड हैं, और यदि यह संशोधन मान लिया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि इनका भी एफिलिएशन समाप्त हो जायेगा और इतनी बड़ी तादाद छात्रों की कन्फ्यूजन में पड़ जायेंगी। माननीय तिवारी जी का जो आशय है कि कतई एफीलियेशन न हो ऐसा एक नीचे संशोधन है तो मुझे इतराज नहीं हो सकता। उसमें तो आपने यह कर दिया है कि कतई इसको निकाल दिया जाय। लेकिन अगर उसूलन हम यह चीज मान लें कि असोसिएटेड कालेज होने ही चाहिए तो यह बात नहीं मानी जा सकती कि वह एक ही विषय की शिक्षा दें, एक ही विषय पढ़ायें, यह एक असंगत सी बात है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी ने रखा है उसका मैं भी विरोध करता हूं। उनके संशोधन लाने का कारण साफ यह मालूम पड़ता है कि वह एफिलियेटेड कालेजेज के बिल्कुल खिलाफ हैं और इस संशोधन के जरिये से अपना वह मकसद हल करना चाहते हैं जो कि उन्होंने अपने दूसरे संशोधन में लाने का प्रयत्न किया है। इस वक्त उनकी साफ मंशा यह जाहिर होती है कि वह कुछ विषयों को स्पेशलाइज्ड करना चाहते हैं कि जो सबजेक्ट्स यूनिवर्सिटी पढ़ाये उनके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल सबजेक्ट्स भी हों जिन्हें कालेजेज पढ़ायें। जिन सबजेक्ट्स को यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती है उनमें से केवल कोई विषय केवल एफिलिएटेड कालेज में पढ़ाया जायगा तो उसकी एफिश्येंसी स्पेशलाइज्ड हो जायगी, यह इस संशोधन का जो अच्छा आशय है वह कहा जा सकता है। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में यह दरख्वास्त करना चाहता हूं सदन से कि यह जो एफिलिएशन का क्लाज लाया गया है उसका एक कारण यह भी है कि रेजिडेंश्यल कालेज जो हैं शहर के अन्दर, यूनिवर्सिटी

की सीमा के अन्दर उनकी समस्या कैसे हल की जाय। सवाल यह था कि आगरा यूनिवर्सिटी में एफिलियेट किया जाय या कि रेजीडेंश्यल यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद की है उसमें एफिलियेट कर दिया जाय। अगर आगरा यूनिवर्सिटी में एफिलियेट किया जाता है तो एक केन्द्र जो कि इतने मील की दूरी पर है वह उसका इन्तजाम ठीक तरह से नहीं कर सकता है इसलिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनको रखा गया।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा जोर से आपस में बातें न करें।

श्री नौरंगलाल—अगर यह संशोधन माननीय तिवारी जी का मान लिया जाता है तो इसके माने यह हैं कि यह जो व्यवस्था की गई है कि जो रेजीडेंशल कालेजेज हैं इलाहाबाद में वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी में अगर एफिलिएट कर दिये जाते हैं तो जो-जो सबजेक्ट्स उस कालेज में पढ़ाये जाते हैं, वह सब बेकार हो जायंगे। जो विषय युनिवर्सिटी में पढ़ाये जाते हैं, उनके ही पैरेलल विषय वहां भी हैं। तो फिर अब वह क्या करें। यह उनके सामने एक ऐसी समस्या पैदा हो जाती है जिसका कोई हल हो नहीं निकल सकता। तो वह जो एक व्यवस्था की गई थी कि इन विद्यार्थियों की संख्या जो कि दिन पर दिन बढ़ रही हैं वह समस्या हल की गई थी, उस हल करने की व्यवस्था को बिल्कुल तिवारी जी ने खत्म कर दिया। वह जो उसका मकसद था कि वह बिल्कुल खत्म हो जाता है इस संशोधन से। इसलिये यह संशोधन माना नहीं जा सकता। एक बात और है। इसमें एक यह संशोधन कर दिया जा सकता है कि ये मौजूदा कालेज जो सबजेक्ट्स पढ़ाते हैं उनके लिये तो ऐसा ही रहे मगर आगे के लिये ऐसा कर दिया जाय कि आगे अगर कोई एफिलिएट होना चाहे तो वह किसी सबजेक्ट को पढ़ाये जो युनिवर्सिटी न पढ़ाती हो। तो उसमें भी वह उनका एफिलिएट होना बेकार हो जायगा क्योंकि जो सबजेक्ट्स यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, वह लिये नहीं जा सकते, वही रह जाता है मेडिकल या ऐग्रीकल्चर। लेकिन कल को अगर यूनिवर्सिटी ने ऐग्रीकल्चर अपने यहां खोल दिया या मेडिकल भी पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर वह कालिज क्या करेंगे। तो यह तो फिर ऐसा ही हो गया कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का करीक्यूलम बदलता जाय, युनिवर्सिटी अपने यहां नये-नये सबजेक्ट्स खोलती जाय, वैसे ही वैसे उनका फेट जो है एफिलिएटेड कालेज का वह भी उसी पर निर्धारित होता रहे। तो इस तरह से एक चेंजिग पलक्स हमेशा रहेगा। अस्तु जो संशोधन माननीय तिवारी जी का है वह बिल्कुल असंगत सा मालूम पड़ता है। जिस मकसद से यह व्यवस्था रखी गई है, उस मकसद को बिल्कुल खत्म करता है और आगे चल कर एक टेम्पोरेरी पलक्स पैदा करता है जो किसी हालत में भी नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय तिवारी जी से कहूंगा कि खुलकर के अगले संशोधन पर बहस कर लीजिये। यह क्या कि एक तरफ से देना और दूसरी तरफ से ऐसी व्यवस्था कर देना कि वह बेकार हो जाय। अगर आप एफिलिएटेड कालेज रखते हैं तो उनको वही स्टेटस दीजिए, जो युनिवर्सिटी का है। तब तो वे किसी काबिल हो सकते हैं और वे अच्छी एजूकेशन भी देंगे। और यदि हम एफिलियेशन नहीं देना चाहते हैं तो तिवारी जी का संशोधन है उसे पास करा लें। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे और जहां तक मेरा ख्याल है उसमें भी यह चीज बतलाई गई होगी कि जो मौजूदा कालेजेज इलाहाबाद युनिवर्सिटी में हैं और उनको मान्यता प्राप्त हुई है, उनके ख्याल से विशेष तौर पर यह संशोधन लाया गया है। यहां जब सामान्य वादविवाद हो रहा था उस वक्त भी माननीय मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने बतलाया था कि विशेष तौर पर उन्हीं के लिये यह संशोधन लाया गया है। उनकी मान्यता कहां तक कानूनी है और

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

कहां तक नहीं है, ऐसी बहस-मुबाहसे को खत्म करने के लिये यह संशोधन लाये। असल में एक नजरिया यह भी माननीय तिवारी जी को सामने रखना है कि जिन कालेजों को मान्यता मिल चुकी है और इस समय वहां पठन-पाठन हो रहा है उस व्यवस्था को खत्म कर देना है जारी रखना है। जब यह चीज अच्छी तरह से बतला दी गई कि उसका एक मंशा यह भी है तो मैं तो नहीं समझता कि माननीय तिवारी जी का यह मंशा होगा कि उस व्यवस्था में एकदम से उथल-पुथल पैदा कर दी जाय, जितने छात्र वहां हैं, उनका समय, खर्चा, पठन-पाठन, वह सब समाप्त कर दिया जाय और एक नये सिरे से दूसरी व्यवस्था उठाई जाय। मेरी समझ में माननीय तिवारी जी का मंशा यह होगा कि भविष्य के लिये क्या व्यवस्था हो। इसके लिये तो अलबत्ता वह सोच सकते थे। लेकिन जब उनको यह बतला दिया गया कि डिफैक्ट (defact) को डिजू) करना है तो उसमें माननीय तिवारी जी का संशोधन स्वीकार करने से, नये छात्र, अध्यापक और विषय ढूंढ़ने होंगे और जो मान्यता कालेजेज को मिल चुकी है उसे हटा कर कोई दूसरी व्यवस्था करनी होगी। तो इस लिहाज से क्या माननीय तिवारी जी हमारे छात्रों और अध्यापकों के साथ न्याय करेंगे कि उनका इतना समय और पठन-पाठन बरबाद कर दिया जाय? मेरी समझ में ऐसा तिवारी जी का मंशा नहीं होगा और मेरी समझ में ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिये। इन सब बातों को सोचकर मैं निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि इस संशोधन के मान लेने से बहुत सी कठिनाइयां हमारे सामने आवेंगी। अभी अपने वक्तव्य में माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने इस पर प्रकाश डाला है कि एक तरह से इस प्रकार की भावना पैदा करने से हम युनिवर्सिटी की सब बातों में विषमता पैदा करेंगे। यह ऐफीलियेटेड कालेजेज की मीनिंग में कहा गया है लेकिन दुनिया के और देशों में दूसरे सबजेक्ट्स में जाकर मान लेते हैं। जैसा कि मान लीजिये एग्रीकल्चर का कोई विद्यार्थी है वह बोटेनी फिजिक्स और कैमिस्ट्री वगैरह लेता है, इस बात को छोड़िये लेकिन यहां अगर हम इस चीज को मान लेते हैं तो बहुत बड़ी विषमता जो इस बिल को लाने की है वह खंडित कर दी जायगी। इन सब बातों को देखते हुये मैं माननीय तिवारी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। और मैं चाहूंगा कि तिवारी जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हर दिन नई आशायें लेकर आता है। यद्यपि कल तक यूनेटरी करेक्टर कायम रखने के लिये काफी प्रयत्न किया गया लेकिन वह असफल रहे। मैं समझता हूं कि यह आखिरी राउंड है और इसमें भी असफल होने वाले हैं। लेकिन नई आशायें हैं, नये विचार आते हैं और बुद्धि में कुछ न कुछ परिवर्द्धन होता है और उसमें नई रोशनी पड़ती है। इस आशा से मैं माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। इसका केवल मकसद जैसा कि मैं समझा हूं वह यह है कि जो नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीटयूट है उसको एसोशियेटेड कालेज मान लिया जाय और साथ ही आगे के लिये और भी जो कालेजेज हों जहां विशेष शिक्षा दी जाती हो जिसका प्रबन्ध युनीवर्सिटी में न हो वह भी एफीलियेशन ले सकें और इस तरीके से युनीवर्सिटी की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है जिसका प्रबन्ध वह स्वयं नहीं कर सकती। इसके लिये ही यह प्रबन्ध करते हैं कि आगे ऐसे कालेजेज का भी एफीलियेशन हो सके और सारी कमी पूरी हो जाती है।

कल माननीय नवल किशोर जी ने प्रस्ताव रखा था कि स्टेटस जो है उसी को मेन्टेन किया जाय, कायम रखा जाय। जो दो तीन कालेजेज हैं, जिनका एफीलियेशन किया जा चुका है, चाहे वह लीगली हो या इल्लीगली हो, उसको लीगेलाइज किया जाय। लेकिन वह व्यवस्था भी नहीं मानी गई। इससे बड़ा भारी प्रश्न हल हो जाता है आगे जो बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है जिसको रोक नहीं सकेंगे, वह रुक सकती थी। लेकिन जो संशोधन प्रस्तुत है उसके द्वारा केवल नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीटचूट को ही मान्यता मिल सकेगी और भविष्य में दूसरे कालेजेज जिनमें वह शिक्षा दी जाती है जिनका इन्तजाम यूनीवर्सिटी में नहीं है वह भी यूनिवर्सिटी के अन्दर एफीलियेट हो सकेंगे। इससे कोई हानि नहीं होगी बल्कि ज्ञान की वृद्धि होगी और यूनिवर्सिटी की कमी पूरी होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज के दिन माननीय मंत्री जी जरूर इसको स्वीकार कर लें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं। जो संशोधन लाया है उसका अर्थ यह हो जाता है कि इलाहाबाद में जो दो कालेजेज हैं, कायस्थ पाठशाला और इविंग क्रिश्चियन कालेज, इनको यूनिवर्सिटी से एफीलियेशन बन्द हो जाय, जिस आशय से यह क्लाज रखा गया है वह आशय इस संशोधन में नष्ट हो जाता है। आजकल इलाहाबाद में छात्रों की काफी संख्या है? यूनीवर्सिटी में लगभग ७,००० विद्यार्थी हैं और कितने ही विद्यार्थी उन दो कालेजों में पढ़ते हैं और इसके साथ ही साथ जिस तरह से शिक्षा बढ़ रही है उससे यह आशा की जा सकती है कि विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ेगी। इसका अर्थ यह हो जाता है कि वहां विद्यार्थी नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि जो कमीशन बैठा है उसकी रिपोर्ट है कि यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक संख्या ५,००० की होनी चाहिये अगर हम इसको देखते हैं तो यह अर्थ हो जाता है कि वहां के विद्यार्थी यहां न पढ़ सकें या फिर इन कालेजेज को मजबूर होकर आगरा यूनीवर्सिटी से संबंधित किया जाय। यह मानी हुई बात है कि आगरा यूनिवर्सिटी में इस समय लगभग ६० कालेजेज हैं। उनका भी प्रबन्ध वह यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से नहीं कर रही है। तब जो प्रबन्ध आज इन कालेजों का है वह अगर आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कर दिया जायगा तो इनकी दशा और गिर जायगी। जो शिक्षा इन दोनों कालेजों में विद्यार्थियों को मिल रही है उसका स्तर और गिर जायगा जिससे छात्रों को हानि होगी। इसलिये इस संशोधन को मानना कदापि ठीक नहीं है। तिवारी जी को सम्मति यही है कि यूनिटरी कैरेक्टर हो, एसोशिएटेड कालेजेज न हों उसी की पुष्टि के लिये उन्होंने यह संशोधन रखा है। यह संशोधन बिल के आदर्श को ही खत्म करने वाला है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन पर बोलने के पहले मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को और सदन को यह बता देना चाहता हूं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं हूं, क्योंकि वे अक्सर कह दिया करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र सीना तान-तान कर इस प्रकार की बात किया करते हैं।

जहां तक संशोधन की बात है मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा में यह एक बहुत बड़ा स्टेप प्रदान करने वाला है। संशोधन के विरोध में जितने लोग बोले उन्होंने यही कहा कि अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो अभी तक जो कालेज शिक्षा दे रहे हैं वे सब बेकार हो जायंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह संशोधित विधेयक कौन सा ऐसा प्रभाव डालता है जिसकी वजह से इन कालेजों ने आज तक जो डिग्रियां दीं उनको लीगैलिटी मिल जायगी। इस विधेयक से कोई रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट तो पड़ता नहीं

[श्री जोरावर वर्मा]

है। यह ऐक्ट जब पास होगा तभी से लागू समझा जायगा। तो उनकी जो शंका है वह तो मौजूद ही रहेगी चाहे यह संशोधन माना जाय या न माना जाय।

दूसरी बात यह है कि वास्तव में जो यह संशोधन है वह इस प्रकार की बात पैदा करता है कि यूनिवर्सिटी जिस शिक्षा को प्रदान नहीं कर रही है वह नयी ब्रान्च दूसरे कालेजों में खोली जाय। इसका केवल यही मतलब नहीं है बल्कि कल यह भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा हो रही है उसकी एक ब्राञ्च को भी वह किसी एसोसिएटेड कालेज को दे सकती है। तो इस तरह काम के बटवारे से मैं समझता हूं कि जिस कालेज में शिक्षा की जिस लाइन की पढ़ाई होगी उसमें एक प्रकार की विशेष ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा साधन होगा और इस होड़ में प्रत्येक कालेज उस ज्ञान को अन्तिम सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। संसार में जो यूनिवर्सिटियां अच्छी समझी जाती हैं वे इसीलिये कि फलां यूनिवर्सिटी में फलां विषय बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। यह संशोधन सिर्फ इस बात के लिये है और बाकी जो उनकी शंकाए हैं वे तो वैसी ही रहेंगी चाहे इस संशोधन को माना जाय या न माना जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह उसे स्वीकार करेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मेरीलाचारी है कि मैं अपने मित्र माननीय तिवारी जी के संशोधन का समर्थन नहीं कर पा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह कहना सही होगा कि कुल ३ प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक तो प्योर ऐंड सिम्पिल यूनिटरी ही, यानी टीचिंग और रेज़ीडेंश्यल जहां कि शिक्षा यूनिवर्सिटी के अध्यापकों द्वारा ही प्रदान की जाती है। दूसरी वह जहां टीचिंग के साथ कुछ कालिजेज भी जोड़ दिये गये हैं, यानी एफिलिएटेड भी हो गयी, जिसको कहेंगे कि "टीचिंग कम एफ़िलिएटिंग" यूनिवर्सिटी। तीसरे यह कि "प्योर ऐण्ड सिम्पिल एफ़िलिएटिंग। तो इस बात को तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, हालांकि हम भी उसके विरोध में थे, लेकिन सदन ने स्वीकार कर लिया, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ही एक एफ़िलिएटिंग रूप दिया जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय तिवारी जी का संशोधन कुछ उसमें फिट इन नहीं हो पाता है। एक तरफ तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे एफ़िलिएटेड और एसोसिएटेड कालिजेज भी होंगे जो शिक्षा भी दें और इन बातों को मान लेते हैं और इनको एफ़िलिएशन का पूरा रूप भी दे देते हैं। तब यह कहना गलत होगा कि उनकी शिक्षा यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं हुई। या तो वह यूनिवर्सिटी के अंग हैं या अंग नहीं हैं। कल माननीय मंत्री महोदय ने बताया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यह पुरानी बात रही कि जहां एक विषय पर तो उन्होंने एफ़िलिएशन दे दिया और एक पर नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ग़लत बात रही और इसीलिए तिवारी जी का जो संशोधन है यह वही परिस्थिति फिर पैदा करेगा।

इनका कहना यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चूंकि टीचिंग कम-एफिलिएटिंग बना ली गयी है तो जो सब्जेक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिखाती है उनको रिकग्नीशन न दिया जाय, लेकिन जिनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, जैसे कृषि है, तो उन सब्जेक्टों पर उनको एफिलिएशन सौंप दिया जाय। अगर ऐसा हुआ तो अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अनोमलस सी पोजीशन पैदा होने की सम्भावना है और मैं समझता हूं कि यह एक गलत कदम होगा जैसा कि तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि यह एक अन्तिम चेष्टा है कि जिससे उसका रूप फिर कुछ हद तक कायम करने की कोशिश की गयी है कि उसको फिर एफ़िलिएटिंग रूप न दिया जाय। लेकिन वह अब फिजूल है, दीवार पर सर पटकना व्यर्थ है। इस बात को मानते हुए कि एफ़िलिएटिंग उसको

बनना है उसको सही प्रकार यही रूप दिया जाय और इसलिये मैं माननीय तिवारी जी से यह कहूंगा कि यह जो उनका संशोधन है वह फिट-इन नहीं होगा।

एक और बात इसमें कहनी है कि इस संशोधन के मुताल्लिक कुछ ऐसा मालूम होता है कि तिवारी जी यह समझते हैं या इसमें ऐसी झलक है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वह कालिज की शिक्षा से कुछ अलग चीज है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस सब्जेक्ट को एक एसोसिएटेड कालिज पढ़ाता है उसकी डिग्री तो यूनिवर्सिटी की मिल रही है, इसलिए युनिवर्सिटी को एसोसिएटेड कालेज से अलग-अलग करना या यह समझना कि मान्यता पाने के बाद एसोसिएटेड कालिज युनिवर्सिटी का अंग नहीं है, यह एक गलत विचार होगा, हालांकि मैं आगे चल कर यह बताऊंगा कि इसमें सरकार की ओर से भी मेरे विचार से कहा गया है कि एफिलिएशन देने के बाद भी एसोसिएटेड कालिज को युनिवर्सिटी का पूर्ण रूप से अंग नहीं माना गया है और यह एक अनोमलस पोजीशन है, जिसको मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय अवश्य दूर करेंगे। इस समय केवल यही कहूंगा कि माननीय तिवारी जी का यह संशोधन ठीक नहीं जंचता और उनसे कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसे अनावश्यक समझता हूं। इन एसोसिएटेड कालिजेज को मान्यता देने के दो मुख्य कारण हैं। एक कारण तो यह कि उन विषयों में जिनमें कि युनिवर्सिटी में शिक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है उनको पढ़ाने के लिये किसी ऐसे कालिज को मान्यता दी जाय जहां उसके पढ़ाने के साधन मौजूद हों और दूसरा कारण है इन कालिजों को मान्यता देने का वह यह है कि युनिवर्सिटी में जो नित्य प्रति लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनके पढ़ाने के लिए वहां पर्याप्त साधन नहीं हैं, इस बढ़ती हुई तादाद को इन कालिजों में खपा दिया जाय। अगर माननीय नारायणदत्त तिवारी के संशोधन को मान लिया जाय तो दूसरे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है। अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा तो जिन कालेजों को मान्यता दी जा चुकी है वह सब डिसएफिलिएट हो जायंगे और भविष्य में भी जिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह प्राविजन रखा गया है उस लक्ष्य की भी पूर्ति नहीं होगी।

इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है और मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी से आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल इस सदन ने एसोसियेटेड कालेज की जो डेफिनीशन है उसको स्वीकृत किया है जो कि इस प्रकार है—

"Associated College" means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

यह एक बार जब स्वीकृत इस हाउस से हो जाती है तो मैं समझता हूं कि कोई भी प्राविजन इसके साथ ऐड करना जो कि उस स्वीकृत प्राविजन को नलीफाई करता है उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इसके मानी तो यह हुए "Penelopes Web thrives faster" जिसको आपने कल पास किया उसको आज तोड़ दिया और जो आज पास किया उसको कल तोड़ दिया जाय। तो इसका अन्त कभी नहीं होगा। चूंकि इसमें जो डेफिनीशन दी गयी है उसमें पूर्णतया यह प्राविजन हो गया है कि यूनिवर्सिटी जिन सब्जेक्ट्स में पढ़ाती है उन्हीं सब्जेक्ट्स में एसोसिएटेड कालेजेज को रेकगनीशन मिल सकता है और अब उसके प्रतिकूल यह ऐड कर देना एक क्लाज कि जो उसको नलीफाई कर दे, इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इस ग्राउंड पर मैं बड़े जबरदस्त तरीके से इसका विरोध करता हूं।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

दूसरे फैक्ट में हम जाते हैं तो फैक्ट यह है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर विद्यार्थियों के प्रेशर को कम करने के लिए लोकल कालेजेज को एसोसिएटेड कालेजेज बनाना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाये जाते हैं लड़कों को, उनके पढ़ने के लिए लड़कों का इतना रश होता था कि उनके लिए वहां जगह नहीं थी।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह जिक्र कर रहा था कि एसोसियेटेड कालेजेज का आइडिया क्यों ओरिजिनेट हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का बहुत रश बढ़ गया और उस बढ़ते हुये रश को लेसेन करने के लिये यह तजवीज सोची गई कि अगर लोकल कालेजेज को एसोसियेटेड कालेजेज बना दिया जाता है तो विद्यार्थियों का रश इलाहाबाद युनिवर्सिटी में कम हो जायगा। इसके साथ साथ भाई नारायण दत्त जी जो यूनिटरी करेक्टर के इतने बड़े समर्थक हैं उनके इरादे की यह तजवीज पूर्ति करती है। अगर यूनिवर्सिटी में लड़कों की तादाद हजारों हो जाती है तो मैं समझता हूं तो चाहे कितना ही रेजिडेंशियल क्यों न हो तब भी वह अपने यूनीटरी करेक्टर को मेन्टेन नहीं कर सकती। इसलिये यह बात नारायण दत्त जी को सपोर्ट नहीं करती बल्कि उनके उस बड़े ध्येय की जो वे हर तरीके से यूनीटरी करेक्टर को मेन्टेन करने में ही सफलता समझता हूं उस ध्येय को यह असफल बनाने में ही सिद्ध होता है।

इसके अलावा जो दूसरा प्वाइन्ट है वह यह कि अगर आप एसोसियेटेड कालेजेज की डेफिनीशन पढ़ें और माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रक्खा है उसे उसमें रक्खे कि उस डेफिनीशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिये और केवल उन्हीं तीन कालेजेज जिनको अब तक मान्यता दी गई है उन्हीं तक इसे सीमित रहना चाहिये तो वह चीज आपको असंगत सी मालूम होगी। सदन ने उस अमेंडमेंट को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है और स्पष्ट शब्दों में बतला दिया कि वह इस डेफिनीशन को रेस्ट्रिक्ट करने के फेवर में नहीं हैं। अगर एसोसियेटेड कालेजेज की डेफीनीशन के साथ नारायण दत्त जी का अमेंडमेंट रक्खा जाता है और उसको एलाऊ कर दिया जाय तो जो ओरिजिनल डेफिनीशन एसोसियेटेड कालेजेज की है वह नलीफाई हो जाती है।

"Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under-the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the Univerisity, in a subject or subjects which are not taught by the University."

आप देखेंगे कि नारायणदत्त जी का अमेंडमेंट असल में माडिफिकेशन नहीं है, बल्कि डिफेक्टिव क्लाज हो जाता है और जो आरिजिनल डेफिनीशन एसोसियेटेड कालेजेज की दी गई है उसको वह माडिफाई नहीं करता बल्कि नलीफाई करता है। अगर आप समझ से कोई काम नहीं लेना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन एसोसियेटेड कालेजेज की डेफिनीशन से है इसको अगर उसमें एड कर दिया जाता है तो वह इंटेंशन खत्म हो जाता है। इन तीनों कारणों से मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी के अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने अपने मित्र डाक्टर सीताराम तथा अन्य माननीय सदस्यों के वक्तव्यों को अपने संशोधन के संबंध में ध्यानपूर्वक सुना। मुझे इस बात का दुख है कि एक ही प्रकार की गलतफहमी बहुत से मित्रों को हुई। उन्होंने यह समझा कि हमने चूंकि एसोसियेटेड कालेज को स्वीकार कर लिया है, इसलिये अब उसके करेक्टर को लिमिट करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके फलस्वरूप को बदलना उचित नहीं होगा। श्रीमन्, आप देखेंगे कि अभी वह परिभाषा स्वीकार नहीं की गयी। उस परिभाषा में ही यह संशोधन है। अगर परिभाषा स्वीकार हो गयी होती तो हम आगे बढ़े होते लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो इस गलतफहमी से आप इसको बिलकुल भुला देते हैं कि हमने यह कालेजेज स्वीकार कर लिये हैं।

दूसरी बात इसमें यह कही गयी कि अगर इन कालेजेज में कोई नया सबजेक्ट पढ़ाये जाने की बात हम स्वीकार कर लेते हैं तो उन पुराने कालेजेज का क्या होगा। जबकि हम यूनिटरी करेक्टर युनिवर्सिटी का मान लें तो उस समय क्या होगा? उस समय यही होगा कि कालेजेज को बन्द करना पड़ेगा। जो यूनिटरी करेक्टर के हामी रहे हैं उनको परेशानी इस बात की नहीं होनी चाहिये। यूनिटरी करेक्टर अगर रहेगा तो उनको कालेजेज बन्द करना पड़ेगा। लेकिन अब उनको ऐसा करना नहीं पड़ेगा और वह आगरा से एफिलियेट करना पड़ेगा। कम से कम इस बिल में यूनिटरी करेक्टर की युनिवर्सिटी का जिन्होंने सपोर्ट किया है और इस बात की वांच्छा की है कि यूनिटरी करेक्टर रहे तो उनको इस बात का खतरा जो दिखायी दिया वह उचित नहीं था। आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेट करने के संबंध में बहुत से मित्रों ने जिक्र किया कि इलाहाबाद से एफिलियेट होना चाहिये और आगरा में इतने ज्यादा संख्या के कालेज एफिलियेट नहीं हो सकते हैं। मैं उस तर्क को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि बारबार यह कहा जाता है कि इलाहाबाद शहर में विद्यार्थियों की बढती हुयी संख्या को देखते हुये अब नये कालेजेज को एफिलियेट करने की आवश्यकता है इस धारणा को तिकाल देना चाहिये। अगर हम यह मान लें कि चूंकि इलाहाबाद के कालेजों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नजदीक होने की वजह से आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेट नहीं किया जा सकता है चूंकि वह बहुत दूर है और वह इलाहाबाद के नजदीक है अगर हम इस तर्क को मान लें कि आगरा बहुत दूर है तो फिर मैं एक मिसाल देता हूं माननीय मंत्री जी के सामने कि आखिरकार प्रतापगढ़ है जो माननीय रामनरेश शुक्ल जी का जिला है, रायबरेली है, या मिर्जापुर है, या गोरखपुर है। तो इलाहाबाद से गोरखपुर, प्रतापगढ़ या मिर्जापुर या रायबरेली ३० मील के फासले पर पड़ते हैं। तो आगरा के दूरी पड़ने के लिहाज से उनको इलाहाबाद से एफिलिएट होना चाहिये और आगरा से एफिलियेट नहीं होना चाहिये। तो इस हिसाब से जो वहां के कालेज आगरा से एफिलियेट हैं वह सब डिसएफिलियेट होना चाहिये और इस तरह से तो बहुत कालेजेज डिस-एफिलियेट हो जाना चाहिये और वे सब इलाहाबाद से एफिलियेट होना चाहिये। दूरी इस बात को कभी तय नहीं करती यह कभी नहीं हो सकता कि दूरी देखकर हम तय करें कि कहां से एफि-लियेशन हो। इसी प्रकार से विद्यार्थियों की बढती हुई संख्या भी इस बात को तय नहीं करती, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी में पहले ३१ कालेजेज थे और अब ७० हैं जिनमें पहले से दुगुने से ज्यादा विद्यार्थी हो गये हैं। अगर ऐसा होता तो वे कालेजेज आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलियेट न होते। इसलिये जहां तक एफीलियेशन और विद्यार्थियों की संख्या का सवाल है वह उठता ही नहीं। क्योंकि जब तक हम नयी एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी नहीं बनायेंगे तब तक जितने एसोसियेटेड कालेजेज होंगे वे सब लाजिमी तौर पर आगरा यूनिवर्सिटी में एफीलियेट किय जायेंगे, क्योंकि इस प्रांत में केवल एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें नयी डिग्री कालेजेज का एफीलियेशन किया जा सकता है, क्योंकि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में १० मील की पाबन्दी लगी हुई है। इसलिये जब तक कानपुर या और कोई स्थान पर कोई नयी, एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी नहीं बनायी जाती तब तक जितने भी नये डिग्री कालेजेज होंगे वे सब आगरा यूनिवर्सिटी से ही एफीलियेट होंगे।

मैंने अपने संशोधन की महत्ता का एक उपयोगी दृष्टिकोण और भी बतलाया था। शायद माननीय सदस्य उसको समझे नहीं या मेरे समझाने में ही गलती रही। मैं उसको स्पष्ट कर दूं। इसके जरिये से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक टीचिंग फैडरेटिव यूनिवर्सिटी बन जायगी जैसा कि राधाकृष्णन कमीशन का मत था। जब एक कालेज एक विशेष सबजेक्स पढायेगा तो वह फैकल्टी कालेज का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक फैडरेटिव यूनिवर्सिटी है। तो अगर मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो यूनिवर्सिटी की आर्थिक हालत ठीक होने पर वह फैडरेटिव यूनिवर्सिटी का रूप ले लेगी और हम देखेंगे कि कुछ ही साल के बाद हम उसको फैडरेटिव यूनिवर्सिटी बना देंगे। इससे शिक्षा का जो स्तर है वह भी नीचे नहीं गिरेगा और विद्यार्थियों की संख्या भी सीमित रहेगी।

इसके अतिरिक्त माननीय बालेन्दुशाह जी ने जो बात कही उससे उन्होंने उसको रूप ही दूसरा दे दिया। उन्होंने कहा कि एफिलियेटेड कालेजेज को सारे अधिकार होने चाहिये क्योंकि यूनिवर्सिटी का यूनिटरी करेक्टर रहना अब गैरमुमकिन है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात गलत होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दो प्रकार की परिभाषा रखने की कोई जरूरत ही न थी। पुराने ऐक्ट में एक तो रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी है जिसमें हालैन्ड हाल और के० पी० यूनिवर्सिटी कालेज आ जाते हैं और एक दूसरा ऐफीलियेटेड कालेज है जिसमें क्रिश्चियन कालेज आता है। अगर इनमें कोई फर्क न होता तो फिर इन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जायगा। इसलिये यह कहना कि इससे यूनिवर्सिटी का रेजीडेंशियल करेक्टर नहीं रहेगा, ठीक नहीं है। इसके अलावा और ज्यादा ब्यौरे में मैं नहीं जाना चाहता। मैं फिर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसके अलावा मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड २ में प्रस्तावित खंड (aa) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"in a subject or subjects which are not taught by the University."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं एफिलिएटेड कालेज का विरोध करना चाहता था और मैंने वृहत् रूप में पहले भी कहा था कि मैं इसको पेश न करता, लेकिन मुझे मजबूरन इसे पेश करना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर माननीय मंत्री जी अपना भाषण दे दिये होते और मैंने उनका उत्तर दे दिया होता तो.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य पहिले अपना संशोधन तो पेश कर दें।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (aa) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं माननीय मंत्री जी से.....

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, उपखंड (२) में यह है कि खंड (a) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (aa) के रूप में बढ़ा दिया जाय। तो महज यह कहा गया है कि क्लाज (aa) निकाल दिया जाय जो उसके नीचे है और जो ऊपर की शब्दावली है उसको निकालने के लिये नहीं कहा गया है। वह तो वैसे ही बदस्तूर रह जाती है। इसलिये आपका संशोधन नहीं आ सकता, यह बिलकुल असंगत हो जाता है। जो दूसरा संशोधन नीचे दिया हुआ है वह भले ही आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि संशोधन पेश हो सकता है। माननीय सदस्य अपना भाषण शुरू करें।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस संशोधन को जो पूरे खंड का संशोधन था इसलिये नहीं मान सकते कि अगर ऐसा मान लें तो

हमारे यहां लीगल ओपीनियन दो तरह की हो जाती है। हमारे चीफ जस्टिस साहब जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी.....

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो ऐक्ट में किस तरह से पढ़ा जायगा, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने तो केवल इस वजह से कि माननीय सदस्य का मतलब इसका विरोध करने से है उनको मौका दे दिया कि वे अपने विचार इस संबंध में व्यक्त करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं यह चाहता हूं कि यह मालूम हो जाय कि अगर इनका संशोधन मान लिया जाय तो ऐक्ट में जब यह संशोधन किया जायगा तो किस तरह से पढ़ा जायगा, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है।

श्री जोरावर वर्मा—वह तो निकल जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—तो इस तरह से है कि खंड (a) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (aa) के रूप में बढ़ा दिया जाय और (aa) नहीं रहेगा। जब ऊपर वाला रहेगा तो फिर खंड (a) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (aa) के रूप में बढ़ा देने का क्या मतलब है जब कि खंड (a a) नहीं रहेगा।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सदन का टाइम खराब करना है। किसी खंड के निकाल देने पर तो यह सब को मालूम है कि वह धारा निकल जायगी, चाहे माननीय मंत्री जी कुछ भी कहें, दूसरे संशोधन लाने के लिये कहें या जो भी कहें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सारे खंड २ को निकालना चाहते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—जी हां। मैं उपखंड (२) को निकालना चाहता हूं, आप उसे (aa) कहें, चाहे जो कहें, उपाध्यक्ष महोदय, यह खंड जो है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि ऐसा खंड है जो यूनिटरी कैरेक्टर को बिलकुल चेंज करता है। हमारे माननीय सदस्यों को यह शंका हुई है कि अगर इस यूनिटरी कैरेक्टर को नहीं रखा गया तो एसोसियेटेड कालेज के सामने बड़ी विषम समस्या पैदा हो जायगी। और उस विषम समस्या को लेकर कई लोगों ने गरीबों के नाम पर कई लोगों ने शिक्षा के नाम पर दोहाई दी कि उसी के नाम पर इसे परिवर्तित करने का प्रयत्न हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अगर हम एसोसिएटेड कालेजों को हटा दें तो लड़कों की शिक्षा का प्राविजन दूसरे कालेजों में नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि यह दलील किस आधार पर दी गई है ? कालेजेज चाहे इस विश्वविद्यालय से मिलाये जायं या आगरा से मिलाये जायं वहां की पढ़ाई में कोई अन्तर नहीं होगा। यह कहना कि वे ठीक से पढ़ न सकेंगे यह भी गलत है। चाहे अमीर हो या गरीब हों, लड़कों की शिक्षा में इस संशोधन से उसमें कोई बाधा नहीं होगी। इसलिये यह दलील देना कि एसोसिएटेड कालेज इसीलिये रखे हैं कि इससे गरीबों को पढ़ने का मौका मिलेगा, मैं समझता हूं कि यह दलील उचित नहीं है और सत्य से परे हैं। लोगों ने कहा है कि जो लोग मलाई, दूध, रसगुल्ले खाते हैं वही वहां पढ़ने जायंगे और गरीब न जा सकेंगे। इस समय यूनिवर्सिटी में तो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लड़के पढ़ते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है वहां गरीब लड़कों को और बिशेषतः हरिजनों को प्रिफ़ेन्स (तरजीह) दिया जाता है, अगर वह पढ़ाई में कमजोर होते हैं तब भी उनको ले लिया जाता है। जहां फर्स्ट क्लास और सैकिन्ड क्लास हो लिये जाते हैं वहां इन गरीबों में से थर्ड डिवीजनर भी ले लिये जाते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है। इसलिये गरीबों का नाम लेकर इस धारा को यहां रखना मेरी समझ में उचित न होगा। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि एसोसिएटेड कालेजेज वाली क्लाज रखने का मतलब यही होगा कि यूनिवर्सिटी

[श्री जोरावर वर्मा]

का जो कलेवर है, वहां का जो मौजूदा करेक्टर है उसी को आप पूरा चेंज करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि असोसियेटेड कालेज तो पहले से ही थे। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मूथम साहब की राय मैंने पहले पढ़कर सुना दी। उनका निश्चय विश्वास है और माननीय मंत्री जो भी मानते हैं कि एसोसियेटेड कालेजेज का मिलाना इल्लीगल (गैर कानूनी) है और उनको डिगी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अब रहा यह कि लीगल रिमैंबरेंसर ने किस तरह से अपनी एडवाइस यह दी जिस के बारे में मूथम साहब ने कहा है कि हम किसी तरह से उचित नहीं समझते। अब यह कहना कि अपने आप ही विश्व-विद्यालय ने इन कालेजेज को एफिलियेट कर लिया था, डिगरी क्लासेज का अधिकार दे दिया था, तो मैं इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से कहूंगा कि इसका एकेडेमिक कौंसिल ने विरोध किया था, एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने भी विरोध किया था, रिजोलूशन पास कर के विरोध जाहिर किया था। कोर्ट ने भी विरोध किया था और इस तरह से वहां की सभी संस्थाओं ने इस का विरोध किया था। मैं आपकी आज्ञा से मूथम रिपोर्ट से उदाहरण के रूप में पढ़ना चाहता हूं। इसमें रिपोर्ट के १३८ पेज पर दिया हुआ है। जब कोर्ट ने पास कर दिया कि हम अपने यहां यूनिटरी कैरेक्टर को ही मेन्टेन करना चाहते हैं तो यहां से एजूकेशन सेक्रेटरी का परिपत्र जाता है, उसी के आधार पर यूनिवर्सिटी को रिकगनिशन देना पड़ता है। तब कोर्ट ने रिजोल्यूशन पास किया :—

"Having considered the letter of the Secretary of the Education Department U. P. the court resolves, that while maintaining the present unitary teaching and residential character of the University, the Ewing Christian College and the K. P. College be accorded permission to start B.A. classes also under such conditions as the Executive Council may deem fit to impose in order to maintain the high standards of efficiency."

इस पर भी सरकार की ओर से कहा यह जाता है कि हम कोई दबाव नहीं दे रहे हैं और सरकार ने किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया है। मैंने यह उदाहरण सदन के सामने रख दिया ताकि सदन को यह बात प्रत्यक्ष हो जाय कि यूनिवर्सिटी ने अपने आप नहीं चाहा, बल्कि उसको मजबूर कर दिया गया तब उसने इन कालेजेज को मान्यता दी।

श्री हरगोविन्द सिंह—आप गलत कह रहे हैं बी० एस-सी० का एफिलियेशन पहले हो चुका था, बी० ए० का सवाल है। तब यहां से सेक्रेटरी ने लिखा कि बी० एस-सी० को तो आपने मान्यता दे दी है और बी० ए० के लिये कहते हैं कि जाइये आगरे में। तो इन कालेजों में बी० एस-सी० तो इलाहाबाद में रहे और बी० ए० आगरे में रहे। यह इस लेटर का रिफरेंस है।

***श्री जोरावर वर्मा**—अगर मैं फिर, उपाध्यक्ष महोदय, मूथम कमेटी के १३६ से १४० पृष्ठ तक के उदाहरण दूं तो 'बाढ़हि कथा पार नहिं लहऊं।' मंत्री जी तो कहेंगे कि जो वह कहते हैं ठीक है लेकिन मूथम साहब ने जो कहा है वह ठीक है। और जबरदस्ती गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को मजबूर किया है कि वह रिकग्नीशन दे। उपाध्यक्ष महोदय, तो मुझे कहना यही था कि अगर ऐसोसियेटेड कालेजेज को रिकग्नीशन न दी जाती तो भी वहां जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा नहीं पड़ती। चूंकि कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि अगर ऐसा हो जाता तो पढ़ाई में बड़ी भारी बाधा हो जाती। इसलिये मैं बता देना चाहता हूं कि परिस्थिति यह नहीं है। परिस्थिति कुछ दूसरी ही है। जहां तक बुराइयां जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनके संबंध में तो मैं यह कहता हूं कि जब से हमारी सरकार आयी हर एक विभाग में यह वातावरण मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सदन में जब कभी किसी भी विभाग की शिकायत की जाती है कि फलां विभाग में गड़बड़ी है तो हमारे मंत्री महोदय उत्तर दे दिया करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का दोष नहीं है बल्कि चूंकि समाज ऐसा है इसलिये यह सब हो रहा है। तो अगर यही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा जाय कि विश्वविद्यालय में यह सब जो गड़बड़ियां हो रही हैं वह समाज की खराबियों के कारण आयी हैं। जब तक अंग्रेज यहां पर रहे यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी अगर थी तो वह नाममात्र की बुराई होगी लेकिन जब से सरकार आयी तब से उसमें लोगों ने दखलंदाजी करना शुरू किया और सरकार ने मनमानी करना शुरू कर दिया तब से बुराइयां शुरू हुईं। पार्टीबाजी सरकार के कारण हुई। यूनिवर्सिटी में उससे पहले कोई पार्टी नहीं थी और मुझे विश्वास है कि जो ऐफीलियेटेड कालेज रखे गये हैं जैसा नारायण दत्त तिवारी जी ने भी कहा था कि एसोसियेटेड कालेजेज एक थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करके पार्टी पालिटिक्स को घटाने के बजाय बढाया जा रहा है। और इससे जो विश्वविद्यालय ऐक्ट में संशोधन का मतलब है वह पूरा नहीं होगा। हां, यह अवश्य है कि बिल द्वारा वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को उसी ग्रेड में ला रहे हैं जिस ग्रेड में हमारी आगरा यूनिवर्सिटी थी। मैं तो यही समझता हूं कि उसके स्टैंडर्ड को मेन्टेन करने के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं की गयी। मैं तो समझता हूं कि इससे उसका स्टैंडर्ड गिरेगा और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्टैंडर्ड भी गिरेगा। अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने खुद मान लिया है कि जो यूनिटरी और रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी है उसमें खोज और अन्वेषण अच्छा हो सकता है, वहां पढ़ाई अच्छी हो सकती है लेकिन उसमें इतना जरूर है कि व्यय अधिक होगा जो सरकार इस समय बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। अब व्यय बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है यह कहना उचित नहीं होगा इसलिये कि सरकार का लाखों और करोड़ों रुपया किस तरह से फिजूलखर्च होता है उसपर कोई कंट्रोल नहीं किया जाता लेकिन यूनिवर्सिटी के लिये जिसको मैं समझता हूं कि उन्नति का सबसे पहला साधन है कंजूसी की जाती है। दूसरी ओर नये नये डिपार्टमेंट्स खोलकर पानी की तरह रुपया बहाया जाता है लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पर यह कहा जाता है कि रुपया नहीं है। यह उचित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस संशोधन को मान लें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्मा जी को बड़े ध्यानपूर्वक इस सदन में सुनता रहा। मुझे बड़ा दुख है वर्मा जी को सुनकर कि उनकी नीति वही है कि "डिवाइड ऐन्ड रूल" दोअम्ली हुकूमत वाली पालिसी चाहते हैं। इस देश में अंग्रेज थे तो उस हुकूमत ने इस देश में हिन्दू मुसलमान को लड़ाया, ब्राह्मण-चमार को लड़ाया और नाना प्रकार की "डिवाइड ऐन्ड रूल" की पालिसी लगाती रही, जिसकी वजह से हमारे देश की पौग्रेस बिल्कुल पीछे रह गई। मैं वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि अंग्रेज रिजीम में कितने हमारे हरिजन विद्यार्थी डारेक्ट या एम० ए० पास करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकले। एक भी नाम नहीं बताया। मैं कहना चाहता हूं कि डा० अमरनाथ झा, डा० ईश्वरी प्रसाद, रामप्रसाद त्रिपाठी और ऐसे ही जो बड़े-बड़े विद्वान हैं हमारे देश के इन्हीं ऐसोसियेटेड कालेजेज में पढ़े हैं और पढ़कर विद्वान हुये हैं यह कोई निश्चित मत नहीं है कि केवल इलाहाबाद को ही यह श्रेय प्राप्त है कि इलाहाबाद में ही सोना पैदा होता है अन्यत्र मिट्टी पैदा होती है। वर्मा जी को मालूम होना चाहिये कि झोंपड़ी में रहने वाले लोगों में से बड़े से बड़े विद्वान पैदा हो सकते हैं। अब हम पुरानी संस्कृति को देखते हैं। तो देखते हैं गुरू द्रोणाचार्य ने झोंपड़ी में बैठकर अर्जुन को पढ़ाया, तमाम महान विद्वानों को पैदा किया इस देश में, हम अपने देश को अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लाना चाहते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो कदम रखा, इस यूनिवर्सिटी में जो इंटरफीयरेंस किया वह इसलिये नहीं कि हमने पैसा दिया है या नहीं। अपनी प्राइम ड्यूटी समझ कर आज गवर्नमेंट ने इंटरफीयर किया है। यहां ऐसी बातें कह देना कि गवर्नमेंट अनावश्यक अनधिकार चेष्टा करती है, यह गलत है।

मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि दुअम्ली हुकूमत झलकती है जो हमारे भाई ने बताया कि जो साइन्स पढ़ने वाला विद्यार्थी है वह तो इलाहाबाद से तीन मील के एरिया में संबंधित हो जाय और आर्ट वाला आगरा से हो। आर्ट वाले ने बड़ा पाप किया है कि उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। आर्ट जो पढ़ता है क्या वह इंसान नहीं है। मालूम होता है कि साइंस के

[श्री शिवनारायण]

लोग देवता हैं। मैं कहता हूं कि साइंस वालों ने एटम बम बनाकर देशों का विनाश किया। उपाध्यक्ष महोदय, आर्ट्स वाले उनसे लाख दरजे अच्छे हैं। वह अच्छे विद्वान पंडित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि मैं टोटली इसके विरुद्ध हूं कि हमारे एक विद्यार्थी का कनेक्शन आगरा से हो और एक का इलाहाबाद से, यह व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है।

कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिलकुल ठीक किया है। हम डिवाइड ऐन्ड रूल पालिसी एबालिश कर रहे हैं झगड़े को खत्म कर रहे हैं, पार्टी पालिटिक्स को दफनाना चाहते हैं। हम यूनिवर्सिटियों में डिसिप्लिन चाहते हैं। अच्छे टीचर्स चाहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड पावर अपने हाथ में ले और सारा इंतजाम खुद करे और मैं आज भी कहता हूं कि हमारे जो टीचर्स रखे जायें वह सद्व्यवहार के हों, अच्छे विद्वान हों। उनके वे जज अच्छे हों। यह जो एमेंडिंग बिल है वर्मा जी का इससे कितना बड़ा अन्याय हो जायगा। वह कालेजेज जो गरीब कालेजेज हैं, आशा लगाये बैठे हैं, सोचते हैं कि हमारा कालेज डिग्री कालेज हो जायगा, हम ग्रेजुएट्स अपने यहां पढ़ा सकेंगे। इलाहाबाद में ही नहीं, हम लोग भी आशा लगाये हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हमारे यहां भी बस्ती में डिग्री कालेज खुलवा दें। बस्ती वाले रात-दिन नजर लगाये हैं डिग्री कालेज के लिये। प्रान्त भर से मांग आती है। सबकी आशा है कि हम इलाहाबाद के ग्रेजुएट समझे जायं। मैंने स्वयं आगरा से इम्तहान दिया है, मेरी भी इच्छा थी कि इलाहाबाद से प्राइवेट बैठता तो ज्यादा अच्छी बात थी। लेकिन यह मेरी तमन्ना पूरी नहीं हो पायी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं सबकी इच्छा जो है वह पूरी हो, इलाहाबाद में सोना पैदा होता है, खबसूरती इलाहाबाद ही में है और बढ़िया से बढ़िया वहीं लोग पैदा होते हैं तो इसलिये जो कालेज हैं उनको वह इससे मिला रही है। मैं माननीय नारायण दत्त जी से कहना चाहता हूं कि एक सोशलिस्ट मेम्बर होते हुये वह इसका विरोध करते हैं। क्या माने हैं इसके? आप ठंडे दिल से सोचिये। 'कहता बहुता मिले गहता मिला न कोय।' मैं वर्मा जी से भी कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी रिजीम में कितने हरिजन विद्यार्थी इलाहाबाद युनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेज्युएट होकर निकले हैं, वह जरा हमें बतायें। एक हमारी बगल में डा० सीताराम जी बैठे हुये हैं। वह उसके इने गिने लोगों में से हैं। उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है, कोई वन थाउजेंड, टू थाउजेंड नहीं हैं। हमारे डा० साहब जो हैं वह विदेशों से पढ़कर लौटे हुये हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अंग्रेजी रिजीम में हम लोग इलाहाबाद में मौका नहीं पाये। उपाध्यक्ष महोदय, सन् २७ में गवर्नमेंट स्कूल बस्ती से मुझे वापस होना पड़ा। अगर कांग्रेस रिजीम होती तो मैं वापस न हुआ होता। हाई स्कूल में मैं नहीं पढ़ पाया जहां राजाबाबुओं के लड़के पढ़ते थे। इलाहाबाद में क्या है, बड़े बड़े जज, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तमाम बड़े बड़े अफसरों और ताल्लुकेदारों के लड़के ही वहां पढ़ पाते हैं। गरीबों की वहां गुजर नहीं है बीकाज दे कैन नाट मेंटेन दी स्टैंडर्ड। (कुछ आवाजें) आप भी तो शुक्ल जी हैं, आप भी तो बड़े लोगों में से ही हैं, कोई हरिजन थोड़े ही हैं। इसलिये आप लोगों की गुजर थी वहां। मगर हम लोगों की गुजर वहां नहीं थी। तो अध्यक्ष महोदय, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने कहा कि इन गरीबों की भी गुजर हो जाय और उसने सोचा कि चलो रात दिन की खटखट खत्म हो जाय। रात दिन मैं हरगोविन्द सिंह जी को घेरूं, डा० साहब को घेरूं कि हमारे यहां भी डिग्री कालेज क्यों नहीं खोलते हो, उन्होंने सोचा कि चलो इस रात दिन के झगड़े को भी खत्म करो और खोल दिया एफिलिएटेड कालेज। कल जैसा माननीय चन्द्रसिंह जी रावत ने कहा कि सब लोगों को मौका मिलना चाहिये, बिलकुल ठीक है, हमको भी मौका मिले, राजनारायण जी को भी मौका मिले। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इलाहाबाद का शिष्य नहीं हूं, बनारस युनिवर्सिटी का शिष्य हूं। हमने उसको अपना शिक्षा मंत्री बना रखा है जो उस तपस्वी का शिष्य है, इलाहाबाद का नहीं है। (कुछ आवाजें) मेरे भाई ने चीफ मिनिस्टर का नाम लिया। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कल ईमानदारी से इस हाउस के सामने इसके ऊपर प्रकाश डाला। उन्होंने बतलाया कि

गुरुजनों की उनके दिल में बड़ी इज्जत है। लेकिन यहां 'तो पक्षापक्षी कारणे सब जग रहा भुलाय।' सरकार ने तो सिर्फ जरा सा ब्रेक लगाया जो कि उसकी ड्यूटी थी कि इस तरह की चीजों को वह चेक करे। वह उसने किया। इस सदन में जब आगरा युनिवर्सिटी बिल पेश हुआ था तो खूब अलापा लोगों ने, खूब उछले कूदे। उस दिन उनकी हमदर्दी कहां थी। आगरा युनिवर्सिटी ने आज सैकड़ों हजारों लाखों गरीबों को जिनके पास पैसे नहीं थे, उनकी तमन्नायें पूरी कीं। उन्होंने कहीं स्कूल में टीचरी कर ली और फिर आगरा युनिवर्सिटी ने उनकी तमन्नाओं को पूरा कर दिया। झोपड़ियों में बसने वालों की तमन्नायें पूरी हो गईं। मैं कहना चाहता हूं, भाई नवलकिशोर जी ने मुख्य मंत्री का जिक्र किया। मुख्य मंत्री ने वाकई सही कदम रखा, उन्होंने कहा कि गुरुजनों की हमारे दिलों में बड़ी इज्जत है। आज हम भी कहते हैं कि गुरू हमारे देश में आदर्श रहे हैं। हम भी उनकी इज्जत करते हैं, यही हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा और यही मुख्य मंत्री जी ने भी कहा। हम तो सिर्फ पार्टी पालिटिक्स को मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारे वहां पढ़ते हैं, वह पहले पढ़-लिखकर विद्वान बनें, उसके बाद चाहे वह पालिटिक्स ज्वाइन करें, चाहे वकालत करें, चाहे जो भी पेशा करें। मैं विरोधीपक्ष वालों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी आने वाली जनरेशन को मत बिगाड़ो। मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों को मत बिगाड़ो। अगर कौम को बिगाड़ा गया तो देश का नुकसान होगा। हमको इस प्रकार से काम करना चाहिये कि हमारी औलाद समझे कि हमारे बापदादों ने सही काम किया था। इन शब्दों के साथ मैं वर्मा जी का विरोध करता हूं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायन जी का उत्तर देने में मैं समझता हूं कि मेरे सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं। मुझे यह भय है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी उनसे इस बात पर अप्रसन्न न हो जावें कि चूंकि वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी से नहीं हैं तो उन्हें कहीं बदसूरतों की लिस्ट में न शिवनारायण जी रख दें। इतना तो अच्छा है कि उन्होंने कम से कम हाउस का मूड तो बदल दिया, लेकिन मैं आपके जरिये उन्हीं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर जरा सा मुझे शांतिपूर्वक सुन लें और मानना या न मानना उनके अधिकार क्षेत्र में है। माननीय मंत्री जी की आपत्तियां मैं समझता हूं, लेकिन मैं अनुपस्थित था और उसका लाभ उठा रहा हूं। एक बात उनको अवश्य याद रखनी चाहिये कि सन् २१ में जब माननीय सी०वाई०चिन्तामणि जी इस अधिनियम को इस सदन में प्रस्तुत किये हुये थे, एक विधेयक के रूप में, तो उनके ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियां थीं और आज हमारे मंत्री जी के ऊपर भी वहीं जिम्मेदारियां हैं और उस भार को मेरी राय में वह भलीभांति समझ रहे हैं। मैं सामान्य वादविवाद में भी भाग नहीं ले सका। इसलिये मैं उनको यह तो बतला देना चाहता हूं कि मैं किसी भावना के साथ इस बात पर अपने विचार प्रकट नहीं करना चाहता हूं। मैं उनसे यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि माननीय चिन्तामणि जी के बाद आज यह भार जो उनके ऊपर है उसमें कहीं कोई त्रुटि न हो जाय जिससे मुझे दुख होगा।

आप एसोसियेटेड कालेजेज को रखते हैं। आप समझते हैं कि परिस्थिति से विवश होकर आपके लिये यह वांछनीय है कि कायस्थ पाठशाला तथा क्रिश्चियन कालेज को एसोसियेटेड कालेज की लिस्ट में शामिल रखें। आप अवश्य रख लीजिये, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक सिद्धांतया बात है माननीय मंत्री भी कुछ हद तक इस पर तत्पर होंगे कि यूनीटरी और रेजीडेंशल कैरेक्टर के रहते हुये उसमें अवश्य कुछ न कुछ किसी मानी में कुठाराघात होता है। अगर परिस्थिति के कारण वह रखना चाहते हैं तो इस बात को भी देख लें। मैं यह कहने के लिये तो तैयार नहीं हूं कि केवल यूनिटरी और रेजीडेंशल कैरेक्टर की युनिवर्सिटीज की ही पढ़ाई ठीक हो सकती है और दूसरी युनिवर्सिटीज में विद्या नीचे स्तर की होती है। हो सकता है कि उनमें भी ऊंची हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में या तो फैडेरेटिव रखें या एफीलियेटिव रखें या यूनीटरी और रेजीडेंशल कैरेक्टर ही रखना चाहिये था। यदि परिस्थिति के कारण वह रखना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न आने

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

पावे जिससे शिक्षा का स्तर गिर जाय। मैंने यह भी देखा है कि जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय ने यह सतत प्रयत्न किया है कि इसके प्रबन्ध पर किसी न किसी तरह का अंकुश अवश्य रहे। लेकिन इसके साथ ही यह देखने की भी नितांत आवश्यकता होगी कि जो अंकुश वह मैनेजमेंट पर रखते हैं उससे युनिवर्सिटीज उसी स्तर पर पहुंच सकेंगी जो स्तर कि आजकल युनिवर्सिटी में पाया जाता है। श्रीमन्, मैं इन शब्दों में उनका ध्यान आकर्षित करके इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय सदैव इस बात को भी स्मरण रखें कि शिक्षा मंत्री जी के नाते उनकी जिम्मेदारी किसी मंत्री से कम नहीं है। किसी विभागीय कारणों से या किसी एक्सटर्नल या इंटर्नल कारण से ऐसी चीज करनी पड़ती है जो स्वभावतः दिल से नहीं चाहते हुये भी किसी परिस्थिति से विवश होकर उसको ऐसी चीजें स्वीकार करनी पड़ती हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय में साहस की कमी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, इंसान के साथ कुछ मौके मुहाल ऐसे होते हैं कि कठिनाइयों का सामना करते हुये भी आदमी को झुकना पड़ता है। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रबन्ध का सवाल है कि एसोसियेटेड कालेजेज का जो स्तर है उनको मैनेजमेंट में सम्मिलित करने से दलबन्दी या गुटबन्दी में वृद्धि न हो जाय। बहुत सी शंकाओं को माननीय मंत्री महोदय शायद निराधार समझें लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि निराधार नहीं हैं। ऐसी बातों के लिये मैं उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसमें मैं समझता हूं कि उनका कोई दोष नहीं है और निर्दोष हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट में पार्टी पोलिटिक्स की वृद्धि न हो।

जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के करैक्टर का प्रश्न है तो यह जो उसके यूनीटरी और रैजीडेंशियल करैक्टर में परिवर्तन किया जा रहा है, यह अनुचित है। लेकिन साथ ही साथ में उस परिस्थिति को भी भूलना नहीं चाहता हूं कि जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में बहुत सी बुराइयां आ चुकी हैं और उनको दूर करने की नितांत आवश्यकता है। लेकिन हर एक चीज की एक सीमा होती है और जब इस सीमा का कोई व्यक्ति या सरकार उल्लंघन करती है तो यह भय होता है और सदैव यह भय होता है कि उस संस्था के लिये हम जो चीज करने जा रहे हैं वह अकल्याणकारी न हो जाय। जहां तक हस्तक्षेप का प्रश्न है उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है।

ऐसी परिस्थिति में इन सब चीजों को देखते हुये मैं इस बात के लिये अंतिम बार उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक पर किसी हठवादिता के आवेश में या किसी चीज के वशीभूत होकर कोई ऐसी चीज न करें, जिससे वह इस संस्था के हित के लिये सदैव लालायित रहते हैं, उसकी पूर्ति न हो। इस विधेयक पर आज माननीय सदस्यों ने ऐसा आदर्श स्थापित कर दिया है जब माननीय नारायणदत्त जी ने जो कुछ कहा उसके लिये माननीय मदन गोपाल जी को डिक्शनरी देखने की जरूरत आई और अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार भलीभांति सदन में दर्शाये हैं और मैं किसी बात के कहने में संकोच करने के लिये तैयार नहीं हूं। यहां का जो डिवेट का स्तर रहा है उससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी डिवेट थी जिसमें किसी दलबन्दी या गुटबन्दी का कोई अनुभव नहीं हो रहा था तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री महोदय को उदार होना चाहिये और उनको उदारता से काम लेना चाहिये। यह हो सकता है और इंसान से गल्तियां होती हैं। वह भी गल्ती कर सकते हैं और हम भी गल्ती कर सकते हैं। किसी चीज में उन्हें भी गलतफहमी हो सकती है, हमें भी हो सकती है। कोई इस बात का ठेका नहीं ले सकता है कि उसका हर कदम जो उठता है वह सही उठता है तो ऐसी परिस्थिति में जहां तक अमेंडमेंट का प्रश्न है मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि मेरा अभिप्राय कदापि यह नहीं है, मैं जहां तक हो सकेगा कम से कम संशोधनों पर बोलूंगा, इसलिये नहीं कि समय कम लगे बल्कि इसलिये कि आज जो बातें इस सदन में कही गयी हैं वे दोहराई, तिहराई क्या १०–१०, १५–१५ दफे कही जा चुकी हैं। जब सामान्य विवाद हो रहा था तो शायद हम यह भूल गये थे कि वह

सामान्य विवाद है और उसके बाद सेकेंड रीडिंग की कितनी आवश्यकता होती है। इस विधेयक के खास-खास अंगों पर काफी विचार हो चुका है और उसमें सिर्फ एक अंतिम टच देना है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि कोई संशोधन माननीय शिक्षा मंत्री की सैद्धांतिक बातों के प्रतिकूल न हों तो उनको वह मान लें। इन थोड़े से शब्दों में मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके द्वारा यह मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि हमारे माननीय शिवनारायण जी ने दो बार लगातार प्रयत्न किया कि आगरा यूनिवर्सिटी से बी० ए० पास कर लें, लेकिन वह दुर्भाग्यवश पास नहीं कर सके। अब तिवारा अगर उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फार्म भरा हो और माननीय शिक्षा मंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिलाया हो और वह मुझे भी विश्वास दिला दें कि इस बार वह जरूर पास कर दिये जायेंगे और इसीलिये इसके स्टैंडर्ड को लो करने के लिये यह विधेयक लाया गया हो तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (५) में प्रस्तावित खंड (gg) के अन्त के शब्द "but does not include a person enrolled in an Associated College." निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, अगर आप वर्तमान परिभाषा को देखें तो इसमें स्टूडेंट आफ दि यूनिवर्सिटी की परिभाषा दी गयी है। इसमें लिखा है:—

"Means a person enrolled in the University for taking a purse of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted but does not include a person enrolled in an Associated College."

तो ये जो आखिर के शब्द हैं इनको मैं निकाल देना चाहता हूं चूंकि इसमें कहा गया है कि means a person enrolled in the University तो एसोसियेटेड कालेज में जो विद्यार्थी होगा वह पर्सन एनरोल्ड इन दि यूनिवर्सिटी तो हुआ ही नहीं। वह तो पर्सन एनरोल्ड इन दि एसोसियेटेड कालेज हुआ और एसोसियेटेड कालेज का प्रबन्ध अलग है। तो जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ ही नहीं है वह तो बिना इन शब्दों के जोड़े भी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी नहीं माना जा सकता। इसलिये ये शब्द सुपरफ्लुअस हैं और इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिना इनको रखे हुये भी एसोसियेटेड कालेज का विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी नहीं माना जायगा। इसलिये मैं इन सुपरफ्लुअस शब्दों को निकाल देना चाहता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी करीब-करीब यही संशोधन था, लेकिन चूंकि मैं शंका-समाधान करने में लगा रहा, इसलिये पेश नहीं कर सका और तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। क्योंकि ये शब्द जो बाद में रखे गये हैं वह बिलकुल बेकार हैं। उनका भी वास्तव में वही अर्थ है जो ऊपर के शब्दों से प्रकट होता है कि वही युनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहलायेंगे जो युनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं। जो एसोसिएटेड कालिज में स्टूडेंट होंगे, चूंकि उनका एनरोलमेंट हुआ ही नहीं, इसलिये वह होंगे ही क्यों। वह सुपरफ्लुअस शब्द हैं, इसलिये माननीय मंत्री जी इसको मान लें, क्योंकि इसमें कोई विशेष बात नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने जो संशोधन पेश किया है, उसका विरोध करता हूं, इसलिये कि उन्होंने यह आरगूमेंट दिया कि यह शब्द अनावश्यक है। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि यह हो सकता है कि कभी-कभी ऐसा इत्तफाक हो कि संदेह पैदा हो जाये। इंटरप्रिटेशन में युनिवर्सिटी स्टुडेंट के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

संबंध में कि युनिवर्सिटी स्टूडेंट कौन हैं तब उसको दूर करने के लिये शब्द केवल उसका स्पष्टीकरण करते हैं अतः उनके वहां रखे रहने पर कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह मंशा को और ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं। इन शब्दों का होना मैं समझता हूं आवश्यक है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं तो उस ख्याल का हूं कि यदि किसी विद्यार्थी को किसी युनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है तो उस युनिवर्सिटी का उस पर डिसिप्लिन और उस युनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना लाजमी है उसको। एक बड़ी अनोमलस पोजीशन आज हो रही है इस बिल में कि हालांकि एसोसिएटेड कालिज को रिकग्नीशन दिया जा रहा है उसको एक दूसरी श्रेणी में डाल दिया गया है और हालांकि उस एसोसियेटेड कालेज द्वारा पढ़कर जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के इम्तहान से सफल होता है उसको युनिवर्सिटी की डिग्री दी गयी, किन्तु और किसी बात में, न मैनेजमेंट के संबंध में, न डिसिप्लिन के संबंध में और न ऐसे कैरेक्टर बिल्डिंग कार्यों के संबंध में, जोकि युनिवर्सिटी में चलते हैं, युनिवर्सिटी की उसके ऊपर कोई रेख देख नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इस विधेयक में यह एक बहुत बड़ी त्रुटि है और इसकी पूर्ति करना आवश्यक है। अगर हम सही रूप में युनिवर्सिटी को चलाना चाहते हैं, चाहे वह यूनिटरी सिस्टम की हो, चाहे एफिलिएटिंग सिस्टम की हो, लेकिन यह बात मैं कम से कम कम नहीं समझा पाया कि जिस जिस युनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, जिसके नाम पर वह लड़का भविष्य में जाकर अपनी काबिलियत को प्रगट करेगा, उस युनिवर्सिटी का उस लड़के के चाल-चलन के संबंध में या डिसिप्लिन, मेंटलसेट अप जो कुछ भी हो, उसके संबंध में कोई हाथ न हो वह युनिवर्सिटी का विद्यार्थी उस संबंध में न गिना जाये यह गलत तरीका है जहां तक मेरा विचार है, मैं प्रगट कर चुका हूं।

अब माननीय तिवारी जी का जो संशोधन है उसके संबंध में यह कहूंगा कि जबकि मेरा विचार स्वीकृत नहीं है, जिसको किसी कारण से मंत्री महोदय शायद स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि तिवारी जी का संशोधन ठीक है और ये शब्द रिडंडेंट हैं। नवलकिशोर जी कहते हैं कि इनसे वहां सफाया होता है। तो सफायी तो इस प्रकार बराबर हम जगह जगह दे सकते हैं। केवल वहीं सफायी देने की आवश्यकता है जहां गलतफहमी का अंदेशा हो, लेकिन यहां ऐसी कोई संभावना नहीं है, इसलिये यह अनावश्यक है और इस संशोधन को मानना ही ठीक होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने जो संशोधन रखा है कि खंड ५ के (ञ) का अंतिम वाक्य निकाल दिया जाय क्योंकि ये शब्द अनावश्यक हैं, तो मेरा कहना यह है कि इस वाक्य का रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने बताया कि इंटरप्रिटेशन का सवाल उठ सकता है बिना इस वाक्य के गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है तो एक बड़ा अहम सवाल यहां आता है। जैसे कि लखनऊ युनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वे ही मेडिकल कालिज में सिर्फ ऐडमीशन ले सकते हैं स्टूडेंट वार्ड की सुविधायें कर सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन कालिज (महिला कालिज) आई०टी० कालिज है वहां के छात्र उस वार्ड में दाखिल नहीं हो सकते और स्पेशल फैसिलिटीज उनको नहीं मिलतीं।

अनुशासन का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो यूनिवर्सिटी का प्राक्टर है वह केवल विश्वविद्यालय के अनुशासन का जिम्मेदार होता है। उसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर ही उसका नियंत्रण चल सकता है, किन्तु एफिलिएटेड कालिजेज के स्टूडेंट्स पर नहीं। अतः विधेयक में जैसी उपधारा है उसको वैसा ही रहने दिया जावे। तो इन शब्दों को रखना जो इसमें बिल में हैं बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं आपके द्वारा तिवारी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। इन शब्दों का रखना बहुत आवश्यक है।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, जो संशोधन पेश किया गया है उसमें इतना सार तो अवश्य है कि अगर यह शब्द न रखे जायं तब भी उससे काम चल सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसमें कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है और न होनी चाहिये कि जो एसोसिएटेड कालेज के विद्यार्थी हैं वह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी न समझे जायं इस वजह से जो कि नेकराम शर्मा जी ने बताया, वह दिक्कतें हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन का अलग प्रबन्ध है। और यूनिवर्सिटी का कोई हस्तक्षेप एसोसिएटेड कालेज के आन्तरिक प्रबन्ध में नहीं है। इस कारण अगर किसी प्रकार से संभव हो सकता था कि हम एसोसिएटेड कालेज के विद्यार्थी को भी वही मान्यता दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन उसमें इंजताम की इतनी दिक्कतें पैदा होती थीं कि जिससे यह किसी प्रकार संभव नहीं था। लेकिन यह भी एक आशंका इस बात की थी कि चूंकि वह विद्यार्थी एसोसिएटेड कालेज के हैं, और एसोसिएटेड कालेज संबंधित हैं विश्वविद्यालय से, तो ऐसा समझा जा सकता था या ऐसा इसका मतलब लगाया जा सकता है कि वे छात्र भी विश्वविद्यालय के छात्र समझे जायं। इस कारण उसको स्पष्ट कर दिया गया। यूनिवर्सिटी का डेफिनीशन अधिनियम में है, यूनिवरसिटी मीन्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐज रिकांस्टीट्युटेड इन दिस ऐक्ट/आर्डिनेंसेज में जो एक आर्डिनेंस प्रोवाइड किया गया है उसमें यह प्रोवाइड कियानगया है :

"For the admissin of the students to the University and their enrolment and continuance as such."

इसमें यह भी था कि यूनिवर्सिटी तक ही इसको सीमित रखेंगे। लेकिन इसका यह इंटरप्रिटेशन किया जा सकता था कि चाहे उसका अंतिम निर्णय कुछ भी हो, एसोसिएटेड कालेज के विद्यार्थी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी समझे जायं। इसलिये आवश्यकता न होते हुये अगर इस बारे में शंका होती है, तो उसको स्पष्ट करने के ही विचार से इसको रख दिया गया है जिसमें कोई बहस की गुंजाइश न रहे कि यह एसोसिएटेड कालेज के लड़के किसी प्रकार विश्वविद्यालय के विद्यार्थी न समझे जा सकें। इसी लिये उसको स्पष्ट कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक भी है। वरना बहस की गुंजायश हो सकती है। इस कारण इसको रख देना ही ठीक है। अगर इस के कारण उसका स्वरूप कुछ नारायण दत्त जी को अच्छा न मालूम होता हो तब भी मजबूरी है और इसको रखना जरूरी है।

श्री तेजप्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय जो कि स्टूडेंट्स आफ दि यूनिवर्सिटी की यहां डेफिनीशन की गई है, उस सिलसिले में मैं खंड ५ के उपखंड ३ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"Teaching given by teachers of the University shall be supplemented tutorial and other supplementary instruction given in the University or under the authority of the University in colleges and hostels. Teaching given by the teachers of an Associated College shall be supplemented by tutorial and other supplmentary instruction given in the Associated College or in a residenttial unit attached to it or inanother Associated College or in the University under an arrangement made between such Associated Colleges or with the University."

यानी ट्युटोरियल और सप्लीमेंटरी इंस्ट्रक्शंस किसी भी एसोसियेटेड कालेज में उसके टीचर्स ही दे सकते हैं और ऐसा भी है कि दूसरे एसोसियेटेड कालेजेज हैं उनके टीचर्स भी दे सकते हैं और यह भी संभव है कि यूनिवर्सिटी में उसकी व्यवस्था की जाय। तो यह सिद्ध होता है जैसा मैं समझ सका हूं कि यूनिवर्सिटी में भी ट्यूटोरियल क्लासेज ले सकेंगे, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है और इस प्रकार पार्टली वहां वहां का स्टूडेंट हो जाता है। तो यह एनोमली है। या तो फिर खंड ३ और ५ में कुछ रद्दोबदल किया जाय या यूनिवर्सिटी की डेफीनीशन में कुछ चेंज किया जाय। आखिर जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाते हैं वह चाहे पार्टली हों या पूरे तौर से वह उसका स्टूडेंट तो हो ही जाता है, तब हम इसको डिबार कैसे कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर प्रकाश डाला जाय और अगर समझ में आने वाली चीज है तो ठीक है

[श्री तेजप्रताप सिंह]

लेकिन मेरी समझ में तो आई नहीं कि छात्र वहां कुछ क्लाजेज ज्वाइन किये हो और वह डिबार कर दिया जाय जिससे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट न रह सके, इसपर प्रकाश डाला जाय।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तेजप्रताप जी ने जो शंका जाहिर की अगर वह विधेयक के खंड २७ में जो नई धारा ३६-ए रक्खी गई है उसको देखेंगे जो इस प्रकार है :—

It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

तो उनकी शंका दूर हो जायगी। इस विधेयक के जरिये जो एसोसियेटेड कालेज की चीज लाई गई है उसमें यह रक्खा गया है कि एसोसियेटेड कालेजेज और युनिवर्सिटी के जो मेन कालेजेज होंगे जिनकी डेफिनीशन उपखंड १ में की गई उनके अन्दर अगर कोआपरेशन होगा, अगर इसका मौका रहेगा कि टीचिंग और ट्यूटोरियल क्लासेज के जरिये से सप्लीमेंटरी इंस्ट्रक्शंस देने में एक दूसरे से कोआपरेशन होगा तो इसमें आसानी होगी और इस संशोधन में जो कोशिश की जा रही है अगर इसमें युनाइटेड यूनिवर्सिटी के बजाय कालेज होता तो उपखंड १ में जहां कालेज की डेफिनिशन दी गई है उसमें साफ़ कर दिया गया है। उपखंड १ में कालेज के मानी है रेंजीडेंशयल इंस्टीट्यूशन और होस्टल वगैरह जिनको युनिवर्सिटी अपने मातहत अपने इन्तजाम में डायरेक्टली रखती हो और एसोसियेटेड कालेजेज वे हैं जो अलहदा यूनिट्स हैं लेकिन उनका रिश्ता युनिवर्सिटी से कायम रहेगा। तो कालेज के मुकाबले एसोसियेटेड कालेज तो साफ़ है। स्टूडेंट आफ दी कालेज कहा गया होता तो कोई शुबहा नहीं होता लेकिन स्टूडेंट आफ दि युनिवर्सिटी है इसलिये बाज जगह पर युनिवर्सिटी के मानी एसोसियेटेड कालेज के भी हो जाते हैं, जैसे एग्जामिनेशन वगैरह में। इसलिये वह शुबहा पैदा होता है। इसलिये यहां पर उसका क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मेरे माननीय मित्र श्री तेज प्रताप सिंह और अब्दुल मोईज खां जी मेरे संशोधन की प्रस्तावना को शायद ठीक प्रकार नहीं समझ सके। टीचिंग के सम्बन्ध में चाहे कैसा भी अरेंजमेंट हो उस टीचिंग के साथ इन्रोल्ड का कोई संबंध नहीं है। यहां पर तो यह है कि "enrolled in an associated College" इसमें टीचिंग का कोई सवाल नहीं है। यहां पर तो सवाल यह है कि जो विद्यार्थी युनिवर्सिटी में इन्रोल्ड होगा वह युनिवर्सिटी का विद्यार्थी माना जायगा। युनिवर्सिटी का जो एडमिशन का फार्म होता है वह उसको एक रुपये में लेकर रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा और वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा। एसोसियेटेड कालेज के वह विद्यार्थी होंगे जो उसके फार्म पर एप्लाई करेंगे और उसको वह रुपया देंगे। यहां पर विद्यार्थियों के इन्रोलमेंट का बुनियादी सवाल है। कौन मास्टर पढ़ायेगा, कैसा पढ़ायेगा और वह किस क्लास को पढ़ायेगा इसका कोई प्रश्न इसमें नहीं उठता है। इसलिये जो तेजप्रताप सिंह जी, और माननीय अब्दुल मोईज खां जी ने जो बात कही वह उसमें उठती नहीं है।

एक दूसरी बात नवलकिशोर जी और नेकराम जी शर्मा ने कही कि स्पष्टीकरण करने के लिये यह आवश्यक है। तो इस संबंध में मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं इन सज्जनों से और माननीय मंत्री जी से भी कि स्टूडेंड से महत्वपूर्ण टीचर होता है (gg) के बाद जो (g) की क्लास बढ़ाई जा रही है उसमें टीचर आफ दि युनिवर्सिटी की परिभाषा है। वहां पर यह नहीं रखा गया है कि विद्यार्थी की क्या परिभाषा हो। अगर आपने स्पष्टीकरण की बात रक्खी है तो उस टीचर के साथ विद्यार्थी की बात भी जोड़ें उसको क्यों उचित नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझा गया । अगर आप विद्यार्थी की परिभाषा को उसमें शामिल नहीं करते हैं तो यह एतराज की बात है। मुझे इसीलिये एतराज है कि आप ने टीचर के साथ विद्यार्थी की परिभाषा नहीं रखी है। मैं चाहता हूं उसके साथ आप इसको भी जोड़ दें ।

अब मैं अनामिली की बात लेता हूं। मैं जानता हूं कि नैनी एग्रीकल्चर कालेज के विद्यार्थी जो जगह इन्रोल्ड होते हैं। वह एक रुपया इलाहाबाद युनिर्सिटी को भी देते हैं और वहां भी एडमिशन लेते हैं और नैनी एग्रीकल्चर कालेज में भी फीस देते हैं। तो इस अनामिली को आप कैसे रिमूव करेंगे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक रुपया वह नैनी एग्रीकल्चर कालेज को भी देते हैं और युनिवर्सिटी को भी देते हैं और उनका एडमिशन युनिवर्सिटी में होता है। इसलिये मैंने खास तौर से यह बात कही और इसी वजह से मैं यह समझता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार होना चाहिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह---जो पहला ऐक्ट था उसमें स्टूडेंट आफ यूनिवर्सिटी की डैफिनिशन नहीं थी। उसमें टीचर आफ यूनिवर्सिटी की डैफिनीशन थी जिसको यूनिवर्सिटी एप्वाइंट करे और जिसको पे देती हो तो वह वहां का टीचर समझा जाय। इसलिये उसकी जरूरत नहीं थी। इस बात की आशंका हो सकती थी कि एसोशियेटेड कालेज के टीचर अपने को युनिवर्सिटी के टीचर कह सकते थे। अब इसमें आशंका इस बात की नहीं है। इसलिये इसमें उसको नहीं रखा गया है। जैसा अन्य मित्रों ने कहा और माननीय सदस्य ने स्वयं भी कहा कि नैनी इंस्टीट्यूट के लड़के दोनों जगह एडमिशन लेते हैं। तो इसी कारण से यहां पर इसकी आवश्यकता थी ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (५) में प्रस्तावित खंड (*gg*) के अन्त में शब्द "but does not include a person enrolled in an associated college." निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३---मूल अधिनियम की धारा ५ में:---

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ५ का संशोधन ।

(१) खंड (I) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances रख दिये जायं।

(२) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

(2) To institute degrees, diplomas and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who—

(*a*) shall have pursued a course of study in the University or an Associated College, or Carried on research in the University under conditions prescribed in the stutates or Ordinances, or

(*b*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or

(*c*) shall have carried on research in an institution recognised in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the the Statutes and Ordinances and shall have passed the examinations of the University conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances.

(२–क) खंड (४) निकाल दिया जाय।

(३) निम्नलिखित खंड (५) के रूप में रख दिया जाय:—

"(5) to recognise Associated Colleges"

(४) उपधारा (6) में शब्द " hostels " के पश्चात् शब्द "and Associated Colleges," बढ़ा दिये जायं।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द " such degrees " के बाद शब्द " diplomas " जोड़ दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन शाब्दिक है और भाषा को अधिक स्पष्ट कर देता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द "such degrees" के बाद शब्द "diplomas" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* श्री अब्दुल मुईज खां—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को इस परिवर्तित रूप में पेश करना चाहता हूं —

खंड ३ के उपखंड (३) व (४) निम्न प्रकार से रख दिये जायं :—

"(३) निम्नलिखित खंड (५) के रूप में रख दिया जाय :—

(5) To confer on any institution the status of Associated College."

और बाक़ी को मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्रीमन्, इस विधेयक में जो शब्दावली है वह इस प्रकार है—'टू रिकगनाइज एसोशियेटेड कालेजेज' जिसके माने यह होंगे कि इन इंस्टीट्यूशन्स को मान्यता देनी होगी और मान्यता देने के बाद उसको एसोशियेटेड कालेजेज के दायरे में लाना होगा। जो शब्दावली है उससे यह शुबहा पैदा होता है कि जो एसोशियेटेड कालेजेज हैं उनको रिकगनाइज किया जायगा।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि इससे पहले खंड में एसोशियेटेड कालेजेज की डेफीनीशन स्वीकृत हो चुकी है जिसमें दो चीजें हैं —

"Associated College" means an institution recognised by the University and authorised under the provisons of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

इसमें दो चीजें हैं एक तो रिकगनीशन और दूसरा अथोराइजेशन। इसमें केवल रिकगनीशन से दूसरी चीज पूरी नहीं हो जाती है तो यहां अगर इसको इस रूप में रख दिया जाय —

(5) to confer on any institution the status of Associated College.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे रिकगनाइज के बारे में जो शुबहा पैदा होता है वह दूर हो जायगा। और दूसरी बात यह है कि जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको रिकगनाइज करके एसोशियेटेड कालेजेज के दायरे में लाये जा सकते हैं, यह चीज साफ हो जायगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि खंड २ पर आप ने सदन का मत ले लिया है या नहीं? (यह मालूम पड़ने पर कि मत ले लिया गया है) तो इसलिये मैं माननीय अब्दुल मुईज खां से पूछना चाहता हूं कि वे एसोशियेटेड कालेजेज की परिभाषा देखें जो स्वीकृत हो चुकी है उसमें लिखा है—

"Associated College" means as institution recognised by the University and authorised under the provisions of the Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

इस परिभाषा के स्वीकृत हो जाने के बाद उनके संशोधन का कोई अर्थ नहीं रहता है। अतः उसके बाद उपखंड (५) को नये रूप से रखना उचित मालूम नहीं होता। मैं माननीय अब्दुल मुईज खां से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री हरगोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त तिवारी की दलील मेरी समझ में बिलकुल नहीं आयी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अपनी पावर्स है। खंड ५ में तो यह रक्खा गया है—

(5) to any institution the status of Associated College."

तो उसके होने से अब्दुल मुईज खां साहब के संशोधन पर कोई असर नहीं पड़ता। जहां तक अब्दुल मुईज खां साहब के संशोधन के आशय का सम्बन्ध है उससे मुझे विरोध नहीं है लेकिन उस संशोधन की शब्दावली से विरोध है। उसमें सिर्फ एक बात है कि अगर वह संशोधन मान लिया जाय तो एक बात की आशंका होती है और वह यह कि अगर कोई इंटरमीडियेट कालेज जो हो वह इंस्टीट्यूशन तो है, तो यूनिवर्सिटी उसको रिकगनाइज कर सकती है ऐज एसोशियेटेड कालेज। विधेयक में यह कहीं भी अधिकार नहीं दिया गया है कि इंटरमीजियेट कालेज को हम एसोशियेटेड कालेज बना देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था होती है जो केवल कालेज में ही डिग्री क्लास तक ही होल्ड करती है, आपको याद होगा कि कायस्थ पाठशाला को हमने एसोशियेटेड कालेज नहीं बनाया है। महादेव प्रसाद डिग्री कालेज एक अलग संस्था है, उनको डिग्री कालेज बनाया गया है। तो चूंकि अभिप्राय इसका यही है कि इंटरमिडिएट सेक्शन या ऐसे जो कालेज हैं जिनके पास इंटरमिडिएट क्लास है वे अपने यहां बी० ए० क्लास न खोल सकें। इस वजह से इस संशोधन में कई दिक्कतें हैं। उसका मतलब यह लगाया जा सकता है कि हर एक इंटरमिडिएट कालेज को अब यह स्वतंत्रता हो गयी है कि वे अपने यहां डिग्री क्लास खोल करके यूनिवर्सिटी के पास जाकर कहें कि हमको एसोसिएटेड कालेज की मान्यता दीजिये। यह चूंकि विधेयक का अभिप्राय नहीं है, विधेयक का अभिप्राय यह है कि ये आज जो एसोसिएटेड कालेज हैं इनके अतिरिक्त यदि कभी आवश्यकता पड़े तो वे एसोसिएटेड कालेज जो भविष्य में होंगे वे केवल डिग्री क्लास से ही सम्बन्धित होंगे, उसे इंटरमिडिएट क्लास से कोई मतलब न होगा। तो इसलिये मुझे इसका विरोध है कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

*श्री अब्दुल मुईज खां—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बदकिस्मती है कि जो इस संशोधन का मतलब था शायद मैं साफ नहीं रख सका। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरे संशोधन से कहीं यह आशंका होती कि डिग्री कालेज के अलावा इंटरमिडिएट कालेजों को भी अख्तियार हो जायगा कि वे रिकाग्नीशन प्राप्त करें। तो यह चीज पैदा हो गयी है लेकिन जैसा कि अभी हमने एसोसिएटेड कालेज के डेफिनिशन को पास किया है उसकी भी वर्डिंग देखें एसोसिएटेट कालेज मीन्स इंस्टीट्यूशन रिकाग्नाइज्ड बाई दि यूनिवर्सिटी है। ऐसे इंस्टीट्यूशन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल मुईज खां]

और भी हो सकते हैं, यह इंस्टीट्यूशन डिग्री कालेज भी हो सकता है, इंटरमिडिएट कालेज भी हो सकता है लेकिन यह अधिकार तो यूनिवर्सिटी अथारिटीज को ही होगा कि वे जिसको मान्यता चाहें दें। अगर वे डिग्री कालेज को ही मान्यता देना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में इंटरमिडिएट कालेज कैसे मान्यता हासिल करेंगे? जिस एसोसिएटेड कालेज के डेफिनिशन में ही कहा गया है कि "एसोसिएटेड कालेज मिन्स ऐन इंस्टीट्यूशन रिकाग्नाइज्ड बाई दि यूनिवर्सिटी" तो जिसको यूनिवर्सिटी रिकाग्नाइज कर ले और या जिसको ऐक्ट के अधीन अथाराइज कर दे वह एसोसिएटेड कालेज हो जायगा लेकिन यहां जो दिक्कत पैदा हो गयी है वह इस शब्दावली 'टु रिकाग्नाइज एसोसिएटेड कालेज' से है। इससे यह शुबहा पैदा होता है कि वह उस कंडिशन को प्रीवेंट करती है जो एसोसिएटेड कालेज के रिकाग्नीशन के लिये है। अगर यह शुबहा पैदा होता है तो मैं इसको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि एसोसिएटेड कालेज पहले से जो होंगे जैसा कि डेफिनिशन में दिया हुआ है वे उसके अन्दर आ जायेंगे। जो कंडिशन हासिल है जिसके बिना पर उसे रिकाग्नीशन हासिल है और ऐक्ट के मातहत वह अथाराइज होगा तो उस सूरत में इस प्राविजन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आलरेडी वह रिकाग्नाइज्ड है। सवाल यह है कि रिकाग्नीशन किसी संस्था को दिया जाता है अगर पहले से ही इस शब्दावली को रखते हैं तो एसोसिएटेड कालेज के रिकाग्नीशन के लिये कोई शुबहा नहीं रह जाता है। इसको अगर इस तरह से रखते हैं कि "टु रिकाग्नाइज एनी इंस्टीट्यूशन ऐज एसोसिएटेड कालेज" तो वह शुबहा पैदा नहीं होता।

श्री हरगोविन्द सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि यह अभिप्राय इसका नहीं है, जहां तक बिल की धाराओं का सम्बन्ध है तो वह तो दिया हुआ है कि असोशियेटेड कालेजेज को रिकाग्नाइज किया जाय इस काम के लिये कि "to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University". लेकिन जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है उसमें यह जोड़ा जा रहा है कि टुरन असोशियेटेड कालेजेज इससे कोई इस तरह की आशंका नहीं है कि भविष्य में किसी असोशियेटेड कालेज को मान्यता दे सकते हैं। लेकिन अगर इन्स्टीट्यूट शब्द रखा जाता है और डेफिनिशन में रखा हुआ है कि "to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University" तो वह काम केवल यूनिवर्सिटी ही करेगी पर अगर इस तरह से हम मान लें तो उसका अर्थ यह हो सकता है कि इन्टर कालेजेज भी इसमें आ जायं और उनको भी मान्यता दी जाय। वह अभिप्राय नहीं है कि इन्टरमीडिएट और डिग्री कालेजेज एक ही रहें। अगर हम इसको मान लें तो इसका ऐसा अर्थ हो सकता है इसलिये मजबूरी है इसलिये टु रिकगनाइज असोशियेटेड कालेजेज इतना ही रखा जाय तो कोई आशंका नहीं होती और अर्थ में भी कोई खराबी नहीं होती।

श्री अब्दुल मुईज खां--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ६ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ६ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ७ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में उपधारा (1) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(1) Teaching of the University shall include lecturing, work in laboratories and workshops and other teaching conducted in or by the University or in an Associated College in accordance with any syllabus prescribed by the Ordinances and Regulations. The authorities responsible for organising such teaching shall be prescribed by the Statutes.

(2) The courses of study and the curricula shall be prescribed by the Ordinances and subject thereto by Regulations.

(3) Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the University or under the authority of the University in colleges and hostels. Teaching given by the teachers of an Associated College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the Associated College or in a residential unit attached to it or in another Associated College or in the University under an arrangement made between such Associated Colleges or with the University..

(4) Where attendance at a course of instruction is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University, such condition shall include provision for attendance at teaching referred to in sub-section (1)."

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :—

खंड ५ में प्रस्तावित उपधारा (१) के प्रारम्भिक शब्द "Teaching of the University" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:—

"Teaching in courses prescribed for the degrees of the University."

यह एक सिम्पिल सा संशोधन है। आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, मुझे स्वीकार है।

श्री तेजप्रताप सिंह—'डिग्रीज" के बाद अगर 'डिप्लोमाज' भी रख दिया जाय तो कैसा रहेगा यह देख लिया जाय, अगर उचित हो तो मंत्री जी बढ़ा दें। आपने 'डिप्लोमाज' की व्यवस्था भी रखी है।

श्री हरगोविन्द सिंह—वह तो 'डिप्लोमा' 'डिप्लोमा' रहेगा और 'डिग्री' 'डिग्री' रहेगी। डिप्लोमा अलग चीज है और डिग्री अलग चीज है। जहां डिप्लोमा देते हैं वहां के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं होंगे। जैसे म्युजिक वाले डिप्लोमा देते हैं तो वह कोई युनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मानी जायगी और न टीचर्स ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माने जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह कि खंड ५ में प्रस्तावित उपधारा (१) के प्रारम्भिक शब्द "Teaching of the University" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

"Teaching in courses prescribed for the degrees of the University."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(कोरम पूरा करने के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री उपाध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तिवारी के अपने प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिये खड़े होने पर) कोरम नहीं है इसलिये आप बैठ जाइये।

(कोरम पूरा होने के पश्चात्)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित उपधारा (4) के अन्त में शब्द "sub-section (1)" के बाद शब्द "and (3)" जोड़ दिये जांय।

श्रीमन्, अगर खंड ५ में जो प्रस्तावित उपधारा (४) है उसको देखा जाय तो वह इस प्रकार है .....

श्री हरगोविन्द सिंह—आप क्यों समय ख़राब करिये। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित उपधारा (4) के अन्त में शब्द "sub-section (1)" के बाद शब्द "and (3)" जोड़ दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ८ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Visitation.

8. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any college, hostel or other institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an Associated College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be hear at such inspection or inquiry.

(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council and the Court the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions."

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा 8 की उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "may' के स्थान पर शब्द "shall" रख दिया जाय।

श्रीमन्, वैसे तो यह "मे" के स्थान पर "शैल" शब्द का रखा जाना शाब्दिक समझा जा सकता है लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण संशोधन है और इससे जो बहुत सी गलतफहमी हो सकती है या हो रही है वह दूर हो सकती है। अगर आप धारा ८ की उपधारा ३ को देखें तो वह इस प्रकार है :—

"(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council and the Court the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon."

तो इसमें "मे" शब्द जैसा यहां पर है उसको और भी स्पष्ट करना चाहिये। कभी सम्भावित परिस्थिति आ सकती है और सरकार इन्क्वायरी कराती है तो युनिवर्सिटी और प्रदेश के सभी लोग इस बात को जानना चाहेंगे तो उस इन्क्वायरी का क्या नतीजा निकला। तो "मे" को जरा और स्पष्ट करना चाहिये कि सरकार जो इन्क्वायरी बैठायेगी उसका क्या नतीजा निकला। वह सब को मालूम हो जाय। अब इसी धारा के अनुसार मूथम इन्क्वायरी कमेटी बैठायी गयी थी अब कल्पना कीजिये कि हजारों रुपये खर्च करे उस कमेटी पर और उस कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को दी तो सरकार तो अवश्य उस रिपोर्ट को युनिवर्सिटी के पास भेजेगी, उसकी राय के लिये। ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई सरकार इन्क्वायरी कराये और उसका क्या परिणाम निकला यह युनिवर्सिटी को न बताया जाय। इसलिये, इसको लाजिमी करने के लिये कि जो इन्क्वायरी हो उसकी रिपोर्ट युनिवर्सिटी को अवश्य भेजी जाय सरकार द्वारा, यह संशोधन रखा है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इसे मंजूर करने में मुझे थोड़ी हिचक है और उसका कारण यह है कि मैं यह जरूर चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार उस वक्त रहे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट समझे कि इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही करना है तो

[श्री हरगोविन्द सिंह]

भेजी जायगी। और अगर रिपोर्ट आये और उसमें यह मालूम हो कि कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है तो क्यों स्टेट गवर्नमेंट परेशान हो कि वाइस-चांसलर के पास भेजे फिर कोर्ट की मीटिंग बुलाने में खर्च किया जाय उसके सामने वह रिपोर्ट रखी जाय। तो इसी कारण वहां पर "may" रखा गया है। और अगर रिपोर्ट में ऐसी चीज निकलती है कि आवश्यकता प्रतीत होती है कि हम उस पर कोई कार्यवाही करें, युनिवर्सिटी की राय लें, तो उसको भेजा जायगा। इसीलिये "may" रखा गया है और मैं समझता हूं कि यह युनिवर्सिटीज के हित में है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद मुझे और भी आवश्यक प्रतीत होता है कि "may" के स्थान पर "Shall" रखा जाय क्योंकि इन्क्वायरी किसी युनिवर्सिटी की बराबर नहीं होती। माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे कि ३१ साल के इतिहास के बाद एक बार युनिवर्सिटी की इन्क्वायरी करायी। आखिर बार-बार तो इन्क्वायरी होती नहीं। और जब इन्क्वायरी होगी तो कोई बात तो छिपी रहेगी नहीं, सारी जनता जानेगी, विद्यार्थी जानेंगे, और सब जानेंगे कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी की इन्क्वायरी हो गई और युनिवर्सिटी इसको अपने पर एक बड़ा भारी आरोप मानेगी कि हां हमारी इन्क्वायरी हो रही है। तो ऐसी इन्क्वायरी होने के बाद युनिवर्सिटी को हक़ है यह जानने का कि आया जो आरोप उस पर लगाया गया वह इन्क्वायरी में सही साबित हुआ या निराधार था, यह उनको मालूम होना चाहिये। यह नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी करा ले और फिर रिपोर्ट ठप्प हो जाय, तो यह ठीक नहीं है। हर आदमी का यह हक़ है जानने का कि जो उस पर आरोप था वह रहा या नहीं। उसको सस्पेंस में नहीं रहना है।

तो इस लिये गवर्नमेंट के हित में भी है, युनिवर्सिटी के हित में भी है, इन्क्वायरी करने वाले अध्यक्ष के हित में है, कमीशन के हित में है कि वह रिपोर्ट युनिवर्सिटी को जरूर भेजी जाय चाहे ऐक्शन लेने की बात हो या न हो। जैसे मूथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है यह युनिवर्सिटी को जरूर भेजी जाय, भले ही कोई ऐक्शन हो या न हो। तो हमने ऐसा तो नहीं किया कि मूथम कमेटी की रिपोर्ट के दो हिस्से कर दे एक वह जिस पर कोई ऐक्शन नहीं लेना है उसको न भेजें और जिस पर ऐक्शन लेना है उसको भेज दें। यह उचित नहीं मालूम होता कि किसी रिपोर्ट के दो हिस्से किये जायं।

श्री हरगोविन्द सिंह—दो हिस्से करने की बात कहां है। वह तो जिस पर ऐक्शन लेना होगा वही भेजी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दो हिस्से तो हो ही जायंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस क्लाज पर विचार स्थगित कर लें और हम लोग उनसे बीतचीत कर लेंगे और फिर इस खंड को कल ले लेंगे। मुमकिन है कि मंत्री जी विचार करने के बाद हमारा मन्तव्य समझ जायं और हम भी समझ जायं। हम भी इसे वापस ले सकते हैं। तो मैं श्रीमन्, यह प्रस्ताव करूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक इस क्लाज पर विचार स्थगित कर लें और वह मुझे समझा लें शायद मैं ही समझ जाऊं या उनको समझा लूं, शायद वही हमारी बात समझ जायं।

श्री हरगोविन्द सिंह—अगर आप यही चाहते हैं तो इतना तो हमें मान्य है ही कि अगर इन्क्वायरी में यह आये कि कोई ऐक्शन नहीं लेना है तो हम वाइस-चांसलर को लिख दें कि इन्क्वायरी का रिजेल्ट यह आया और हम कोई ऐक्शन नहीं लेना चाहते हैं। मगर यह कि हम रिपोर्ट छपवायें उसकी और उसको सौ डेढ़ सौ उसके कोर्ट के और सिनेट के जितने मेम्बर हों उनमें बंटवावें या और सब को दें, तो इसमें बेकार बहुत सा खर्च पड़ेगा।

इसीलिये वह नहीं रखा है। वरना और कोई बात नहीं है। अगर कोई इन्क्वायरी होगी और कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऐक्शन नहीं लेना होगा तो वाइस-चांसलर को अवश्य लिखा जायगा। लेकिन कोई रिपोर्ट छपवावें उसकी, यह नहीं रखा है। तो मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसके लिये इसे कल के लिये रखा जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो कल ले लीजिये न। उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह तो ठीक है। लेकिन उसकी क्या जरूरत है। जैसा मैंने कहा ऐक्शन तो कुछ नहीं लेना है, मगर उसकी रिपोर्ट छपवाने में हजारों रुपया हमको खर्च करना होगा। इसीलिये इसको नहीं रखा है। और कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा 8 की उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "may" के स्थान पर शब्द "shall" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह—श्रीमन्, इसमें मेरा संशोधन था। उस पर आप ने मुझे मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—वह खंड ६ का विरोध है, वह संशोधन नहीं माना जा सकता है।

श्री तेजप्रताप सिंह—लेकिन विरोध करने का अधिकार मुझे है ही।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह मेरे लिये अनुचित होगा कि जब एक फ़ैसला दे चुका हूं उसके बाद उसे उलटूं।

श्री तेजप्रताप सिंह—लेकिन मुझे अधिकार था कि मैं उस धारा का विरोध करता। मेरा यह संशोधन था कि खंड ६ निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जब मैंने इसको सदन के सामने उपस्थित किया था उस समय आप को विरोध के लिये खड़ा होना चाहिये था। आप का विरोध उस समय तक सुना जा सकता था जब तक कि सवाल हाउस के सामने पुट नहीं किया गया था।

श्री तेजप्रताप सिंह—आपकी आज्ञा को मैं मानता हूं। मगर मैं उस समय खड़ा हुआ था।

श्री नेकराम शर्मा—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष जी, जब रूलिंग हो चुकी है तो उसके बाद माननीय सदस्य को खड़ा नहीं रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं रूलिंग दे चुका हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं रूलिंग स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं बार-बार कह चुका हूं कि माननीय सदस्य विरोध कर सकते थे लेकिन उसका समय जब था, जब मैं इस प्रस्ताव को हाउस के सामने रखने के लिये खड़ा हुआ था। मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य खड़े हुये थे या नहीं लेकिन, मैंने उनको नहीं देखा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि जिस समय से आपने खंड ६ पर राय ली उस समय से जितनी वार्ता सदन में हुई वह प्रोसीडिंग्स से निकाल दी जाय और फिर से कार्यवाही हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव मुनासिब नहीं है।

नया खण्ड ६-क

श्री उपाध्यक्ष—जो माननीय सदस्य नया संशोधन पेश करना चाहते हैं उसकी प्रति विरोधी दल को भी देने की कृपा करें।

(डाक्टर सीताराम ने एक प्रति श्री अवधेशप्रताप सिंह को दी।)

डाक्टर सीताराम—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय :-

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा एक संशोधन इसी प्रसंग का पहले यहां दिया जा चुका है। पहले वह आना चाहिये था और उसके बाद डाक्टर साहब का आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास यहां कोई आपका संशोधन नहीं है। माननीय सदस्य का अगर कोई संशोधन आया है तो वह कल ही कार्यवाही में छपेगा। मेरे पास कोई नहीं आया है, इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मान लीजिये नहीं आया। मगर पहले नारायणदत्त जी ने इस संबंध में संशोधन दिया है और वह आप के आफ़िस के पास पहुंचा है। कार्यक्रम में छपने या न छपने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यदि हमारा कोई संशोधन नहीं छपा है और आप की जानकारी में यह बात आयी है कि हमारा संशोधन वही है और वह पहले आया है तो आप हमारे संशोधन पर पहले विचार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ठीक तरीका तो यही होगा कि माननीय डाक्टर सीताराम संशोधन को पेश कर दें और माननीय सदस्य उसका समर्थन कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने बिल्कुल यही संशोधन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—यदि माननीय सदस्य ने ठीक इसी तरह का यदि कल संशोधन दिया है तो मैं समझता हूं कि माननीय डाक्टर सीताराम जी को कोई एतराज नहीं होगा कि माननीय नारायण दत्त जी यदि उसको पेश कर दें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सदन में शांति स्थापित होनी चाहिये और किसी वक्ता को जब तक आप बुलायें नहीं तब तक नहीं बोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि शान्ति स्थापित करना मेरा काम है। माननीय सदस्य का नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

मैं समझता हूं कि माननीय डाक्टर सीताराम जी को कोई एतराज नहीं होगा यदि नारायण दत्त जी इसको पेश कर दें।

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ६-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:

६– क——मूल अधिनियम की धारा 9 में मद (IV) तथा (V) के बीच में निम्नलिखित नई मद (iv-a) के रूप में रख दिया जाय :——

"iv-a. The dean of students welfare."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कार्य प्रणाली का सवाल है उस पर मैं बाद में कहूंगा। यहां पर इतना ही कह कर संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह——मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ६ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ६-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:——

६–क——मूल अधिनियम की धारा ९ में मद (iv) तथा (v) के बीच में निम्नलिखित नई मद (iv-a) के रूप में रख दी जाय।

"iv-a. The dean of students welfare."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि नया खंड ६-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय ४ बज कर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

खण्ड ७

७——मूल अधिनियम की धारा १० में : यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (I) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :——

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

(२) उपधारा (2) निकाल दी जाय——

श्री जोरावर वर्मा——अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :——

"७——मूल अधिनियम की धारा १० में :

(१) उपधारा (I) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:——

(I) The Chief Justice of the High court, Uttar pradesh shall be the Chancellor,

(२) उपधारा (२) को निम्न रूप में रख दिया जाय।

(2) Where power is conferred upon him by the Act or the Statutes to nominate persons to authorities and bodies, the Chancellor shall to the extent necessary and without prejudice to such powers, nominate persons to represent the scheduled castes not otherwise adequately represented."

जहां तक संशोधन के प्रथम खंड का संबंध है वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने संशोधित विधेयक में यह रखा है कि यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होगा वह गवर्नर होगा लेकिन मेरा प्रस्ताव यह है कि गवर्नर के स्थान पर चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा।

[श्री जोरावर वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, यह देखा जाता है कि गवर्नर, जिनको पूरे प्रदेश का शासन भार संभालना पड़ता है, उनको कार्य भार के कारण इतना अवकाश नहीं मिल पाता है कि वह यूनिवर्सिटी की ओर विशेष ध्यान दे सकें। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक होगा कि.....

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई चीफ जस्टिस नहीं है, हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट गलत है। मैं चाहता हूं कि आप इसको रूल आउट करें।

श्री अध्यक्ष—इलाहाबाद हाई कोर्ट है, क्या और कोई दूसरा हाई कोर्ट है ?

श्री शिवनारायण—इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—यह कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि चांसलर अगर इस यूनिवर्सिटी के गवर्नर महोदय होंगे तो जितना समय या जो सेवा उनको यूनिवर्सिटी की करनी चाहिये वह कार्यभार के कारण न कर सकेंगे। यह मेरा ही विचार नहीं है बल्कि राधाकृष्णन कमीशन ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रान्त में एक से अधिक यूनिवर्सिटीज हों वहां यह आवश्यक होगा कि एक से अधिक यूनिवर्सिटी के चांसलर वहां के गवर्नर न हों। अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम ही होगा कि अभी हाल ही में आन्ध्र की सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि वहां की यूनिवर्सिटी के चांसलर वहां के चीफ जस्टिस ही होंगे। यही नहीं, अगर हम विदेशों की यूनिवर्सिटीज को देखें तो वहां भी यह नहीं मिलेगा कि जो उस सूबे के गवर्नर हैं, वही उसके चांसलर हों। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन आवश्यक है और आप की आज्ञा से राधाकृष्णन् कमीशन ने अपनी जो राय प्रकट की है कि गवर्नर क्यों चांसलर नहीं होना चाहिये उसे पढ़ देना चाहता हूं। यह पहले पार्ट के पेज ४२१ पर है—

"Chancellor: Present practice varies, but in most provincial Universities the Governor of the province is the ....,,

श्री अध्यक्ष—यह नारायण दत्त तिवारी जी ने पढ़ दिया था। अब इसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—जो आज्ञा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राधाकृष्णन् कमीशन ने इस बात पर पूर्ण प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, बल्कि इस कमीशन के सामने जो गवाह आये उन्होंने भी बिलकुल सफ़ाई से कह दिया है। डाक्टर अमरनाथ झा जो कि इस यूनिवर्सिटी के दो बार वाइस-चांसलर रह चुके हैं उन्होंने भी यही कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि गवर्नर चांसलर हो और उन्होंने एक खतरे की ओर भी संकेत किया था कि अगर हम आज कल के संविधान के अनुसार देखें तो गवर्नर एक कांस्टीट्यूशनल हेड होता है और कांस्टीट्यूशनल हेड के होने के नाते यह आवश्यक है कि वह कोई भी कार्य बिना मंत्रिमंडल से पूछे नहीं कर सकता है और जब उसे मंत्रिमंडल से पूछना पड़ेगा तो चांसलर का सीधा अर्थ एजुकेशन मिनिस्टर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि गवर्नर महोदय चांसलर होंगे तो यूनिवर्सिटी के साथ वे किस प्रकार जस्टिस कर सकेंगे, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अभी पिछले जनरल भाषण में यद्यपि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस पर भाषण दिये हैं, एक दलील यह दी है कि हम इसलिये गवर्नर को चांसलर रखना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में वह एक लिंक स्थापित करे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझता कि आखिर यह कोई बीच के इंटरमिडियरी तो हैं नहीं जो कि इस प्रकार

लिक पैदा करेंगे। वह तो गवर्नमेंट के खुद ही अगुआ हैं और हमारी सरकार जैसा तय करेगी उनको मजबूरन कांस्टीट्यूशनली उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में यह उचित नहीं समझता हूं कि यह दलील क्यों दी जाती है।

यह भी कहा गया है कि गवर्नर अगर चांसलर रहेंगे तो यूनिवर्सिटी को बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि इससे उनको विशेष जानकारी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है। यदि आप इस अमेंडिंग बिल को पढ़ें तो आप को मालूम हो जायगा कि प्रत्येक कमेटी में, जो उसकी ऐकेडेमिक कौंसिल है, जो कोर्ट है, जो एग्जिक्युटिव कौंसिल है, कमेटी आफ़ रेफ़रेंस है, इस प्रकार की जितनी कमेंटियां मिलेंगी, उन सब में गवर्नमेंट के नामिनेशंस जितने होने चाहिये वह आवश्यकता से अधिक मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब उन नामिनेशंस के द्वारा, अपने आदमियों के द्वारा पूरी जानकारी विश्वविद्यालयों की रहेगी तो यह आवश्यक नहीं है कि गवर्नर महोदय ही जब चांसलर हों तभी उनको विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी होगी।

मेरी तो राय यह है कि गवर्नर महोदय, जिन पर शासन का पूरा भार है, उनको चांसलर न बना कर के उनको यूनिवर्सिटी के भार से मुक्त कर देना चाहिये, क्योंकि यह बिलकुल निश्चित है कि जिस आदमी के ऊपर आवश्यकता से अधिक भार होता है, तो वह उसको अच्छी तरह से निभा नहीं पाता है। इसलिये जो मैंने संशोधन रखा है वह उचित है कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हो वही चांसलर बनाया जाय।

जहां तक कि दूसरे संशोधन की बात है, वह यह है कि अगर हम पिछले ऐक्ट को पढ़े तो अध्यक्ष महोदय, उसमें माइनारिटीज (अल्पसंख्यक) जो हैं उनके लिये रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) था। अगर आप की आज्ञा हो तो जो पुराना ऐक्ट था उसको पढ़ दूं। उसकी धारा १० की उपधारा (२) इस प्रकार है —

"Where power is conferred upon him by the Act or the Statutes to nominate persons to authorities and bodies, the Chancellor shall, to the extent necessary and without prejudice to such powers, nominate persons to represent minurities not otherwise adequately represented."

अध्यक्ष महोदय, यह सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि जब तक हमारा यह संविधान नहीं बन गया था तब तक माइनारिटीज में कितनी कम्युमिटीज थीं। मुस्लिम थे, शेड्यूल्ड कास्ट्स थे और इस प्रकार से और भी अल्पसंख्यक व्यक्ति आते थे, लेकिन जिस समय हमारा संविधान पास हो गया और लागू हो गया तो संविधान में केवल शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये, यहां के पहले के अछूत या दलित कहे जाने वाले लोग या जातियां जिनको हमारे बापू हरिजन कहा करते थे, उनके लिये प्राविजन है कि उनके लिये १० वर्ष के लिये विशेष स्थान हर क्षेत्र में दिये जायें ताकि वे भी समाज की ऐसी परिस्थिति में सम्भवतः अपनी कुछ उन्नति कर सकें। अध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन कमीशन ने अपनी यह फाइंडिंग (राय) दी है कि यद्यपि इस प्रकार की माइनारिटीज का रिप्रेजेंटेशन शिक्षा में नहीं होना चाहिये, लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में भी होना आवश्यक है। आप की आज्ञा से मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं। उसकी जो रिपोर्ट पेज ५२ पर माइनारिटीज के बारे में है उसमें उनकी यह राय दी हुई है —

"We cannot banish social situations by democratic phrases. Our Constitution has abolished communal electorated, privileges and waitages for all except the Scheduled Castes. We are in great sympathy with the anxiety of these Scheduled Castes and backward communities to raise their cultural level. Their backwardness is the result of a long period of unequal opportunity and it should be remedied as speedily as possible. We must provide them with additional assistance which will enable them to give their children equal educational opportunities with the others in the nations."

[श्री जोरावर वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, आगे के पृष्ठों पर भी इसमें इस प्रकार कहा गया है। लेकिन चूंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सदन का अधिक समय लूं इसलिये इतना कह देने से ही माननीय सदस्यों की समझ में आ जायगा और माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि राधाकृष्णन् कमीशन ने मैं समझता हूं कि जिसने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सब से अधिक परिश्रम कर के यह धारायें बनायी हैं उनके ऊपर गौर करेंगे और जैसा कि पहले जो यूनिवर्सिटी ऐक्ट था उसमें भी इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन था और इस समय हमारी सरकार की भी नीति यही है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स को जितना अधिक प्रिफरेंस दिया जा सके उतना ही अधिक अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले से हरिजनों के लिये दस प्रतिशत रिजर्वेशन है। लेकिन हमारी सरकार ने सिर्फ इसलिये कि हरिजन समाज में बहुत पिछड़े हुए अंग हैं, समाज के बराबर आ सकें, १८ प्रतिशत गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन कर दिया गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस संशोधन पर वह विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यह इसका आवश्यक अंग है जो कि उन्होंने पुराने ऐक्ट में से डिलीट कर दिया है और अमेंडिंग बिल में भी नहीं रखा है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय वर्मा जी ने उपस्थित किया है मैं उस संशोधन कि चांसलर गवर्नर के बजाय चीफ जस्टिस रखा जाय इसका विरोध करता हूं।

एक तजुर्बा हम लोगों को हो चुका है। गवर्नर जहां-जहां चांसलर रहे वहां पूरी कामियाबी रही। जितने कमीशन या कानफ्रेंसेज इस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में नियुक्त हुए उन सब की यही रिपोर्ट है कि चांसलर गवर्नर के रहने पर अच्छी कामियाबी रही और काम सुन्दर रहा। यह कहा जाता है कि गवर्नर के पास समय कम होगा। और इसलिये चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाय। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस के पास भी तो बहुत काफी काम है। रोजाना उनको अपनी कोर्ट में बैठना पड़ता है। फैसले करने होते हैं और हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देखते हैं। तो ऐसी हालत में यह कहना कि एक के पास बहुत ज्यादा काम है और एक के पास कम है मेरी समझ में ठीक नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है तो यह बात भी तो पैदा हो सकती है कि वहां के मामले के बारे में हाई कोर्ट में कोई रिट दाखिल हो जाय अगर उसकी रिट वहां पर आ जाती है तो चीफ जस्टिस के ही खिलाफ अगर रिट आ गया हाई कोर्ट में तो कितनी एम्बैरिसिंग पोजीशन चीफ जस्टिस के लिये होगी। ऐसी हालत में यह चीज बिलकुल नामुनासिब होगी कि चीफ जस्टिस को इन मामलों में खींचा जाय। उनकी पोजीशन खराब की जाय। मेरी समझ में गवर्नर जो हमेशा किया जाता है उनको मुख्तलिफ बातों का तजुरबा होता है और वेल इक्सपीरिएंस्ड होते हैं जब कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में ही महदूद हैं और पब्लिक अफेयर्स का उनको कोई तजुरबा नहीं है तो जो काफी तजुरबा रखते हैं वह अगर चांसलर मुकर्रर किये जाते हैं तो मेरी समझ में बहुत सी बातों का सुधार कर सकते हैं। और यह बात लाजिमी है कि गवर्नर के पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में कोई इंसीडेंट होता है या कोई क्राइसिस होती है तो उसको एवर्ट करने के लिये गवर्नर ही ज्यादा उपयुक्त हैं बनिस्बत चीफ जस्टिस के। यह जो कहा जाता है कि गवर्नर को चांसलर बना कर गवर्नर और यूनिवर्सिटी के बीच में एक लिंक हो जायगा इसका महत्व मेरी समझ में बहुत कम किया जा रहा है। यह चीज विशेष महत्व रखती है। बहुत सी बातों के लिये गवर्नमेंट की सहायता की जरूरत होती है और अगर चांसलर वहां पर गवर्नर है तो जितनी सहायता मिलनी चाहिये उसमें गवर्नर अधिक सहायक हो सकता है। इसमें दो रायें नहीं हो

सकतीं। तो मैं समझता हूं कि एक नया रास्ता अख्तियार करना, जिस पर अभी तक कोई तजुर्बा नहीं हुआ है यह कहां तक उचित होगा और यह तजुर्बा हम हासिल कर चुके हैं कि गवर्नर की वाइस-चांसलरशिप में हमें कोई शिकायत का मौक़ा नहीं मिला।

राधाकृष्णन् कमीशन के रिपोर्ट में जो यह बात लिखी हुई है चीफ जस्टिस के बारे में तो साथ ही यह भी लिख दिया है कि यह कहां तक मुनासिब होगा यह उसमें वहां की स्थिति पर छोड़ दिया है यानी यह कि अगर चांसलर गवर्नर मुकर्रर किया जाता है तो हमें यह देखना है कि गवर्नर को कितना काम करना पड़ता है और आया वह इस भार को संभाल भी सकता है या नहीं और ऐसी कोई बात हमारे सामने आई नहीं और न माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात बतलाई है जिससे यह साबित होता कि गवर्नर इस भार को नहीं संभाल सकेंगे। अभी तक वे संभालते चले आये हैं और उसके बारे में कोई शिकायत भी नहीं है तो ऐसी हालत में मैं कोई नया रास्ता अख्तियार करना नामुनासिब समझता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

दूसरा संशोधन जो माननीय सदस्य का है वह यह कि अछूत जातियों का अगर वहां कोई प्रतिनिधि नहीं है तो गवर्नर उसे रक्खे। इस पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन वहां पर इन सब बातों का उठाना मेरी समझ में नामुनासिब होगा। वहां पर तो असल में यह देखना है कि वहां का जो प्रबन्ध है उसके लिये कौन लोग अच्छे होंगे जो कि शिक्षा का ठीक तौर से वहां पर प्रसार कर सकें। इन बातों के विषय में यहां पर छेड़ना अनुचित समझता हूं। इसलिये मैं इस संशोधन का भी विरोध करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन रक्खा है मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे देश की जो जुडीशियरी रही है वह साधारण संघर्षमय जीवन से सदैव अलग रही है और उसके अलग रहने से एक ऐसी पवित्र परम्परा हमारे देश में चल पड़ी है कि जुडिशियरी निष्पक्ष रहती है और अगर हम उसको अपने संघर्षभय जीवन में घसीटने की कोशिश करेंगे तो जो पवित्र परम्परा अब तक चली आई है वह टूट जायगी और जनता का विश्वास उस पर से धीरे-धीरे उठता जायगा। यूनिवर्सिटी में उसका प्रधान तो एक प्रशासक होना चाहिये जिसके लिये किसी प्रदेश के गवर्नर से अधिक उपयुक्त आदमी हम पा नहीं सकते। प्रदेशों के गवर्नर प्रायः हमारे यहां वही नियुक्त किये जाते हैं जिनको अपने जीवन में इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हो कि वे प्रशासन को अच्छी तरह से चला सकें। जिस प्रकार एक प्रदेश का प्रशासन आवश्यक है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय के लिये सुयोग्य प्रशासन की आवश्यकता है। जैसा कि मेरे मित्र कुंवर कृष्ण वर्मा ने कहा कि जुडीशियरी का प्रधान होने के नाते चीफ जस्टिस का जीवन केवल एक विशेष भाग से गुजरता है। उनके जीवन पर कानून और न्याय के विभिन्न प्रश्नों के अतिरिक्त मानव जीवन की विभिन्न गतिविधि को जानने का अवसर अन्य व्यक्तियों से कम होता है। विश्वविद्यालयों में प्रायः ऐसी समस्यायें उत्पन्न हुआ करती हैं जब कि वहां पर झगड़े हुआ करते हैं। अभी गत वर्ष हमने क्या नहीं देखा? विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों ने माननीय चांसलर के विरुद्ध किस प्रकार के नारे नहीं लगाये? क्या आप ऐसा नहीं समझते कि कभी भी विश्वविद्यालय के शासन में ऐसी बातें उठना सम्भव है? जब कि चांसलर के विरुद्ध अनावश्यक विद्यार्थियों में या किसी अन्य वर्ग में असन्तोष हो तो वह इस प्रकार से चांसलर के विरुद्ध सड़कों पर नारे लगायें जो अनुचित हों। यदि चीफ जस्टिस चांसलर होगा और उसके विरुद्ध इस प्रकार प्रदर्शन हो और नारे लगें तो यह उनके सम्मान के विरुद्ध होगा और उसकी प्रतिष्ठा का ह्रास होगा। इसलिये यह संशोधन जो उपस्थित किया गया है वह किसी भी मायने में उससे उत्तम नहीं हो सकता। अभी वर्मा जी ने इससे अधिक कई तर्क यहां पर दिये हैं अतः इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। उस दूसरे संशोधन के विषय में इतना निर्णय करूंगा कि वस्तुतः हमारे देश में जो रोग जाति-पांति का है उसको हमें दूर करना है। उसको हम जितना भी संरक्षण देते जायंगे उतना ही वह भयंकर

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

दिखाई देता जायगा और उतना ही वह बजाय दूर होने के और बढ़ता जायगा। विश्वविद्यालय ही ऐसी संस्थायें हैं जहां से हम इस रोग को दूर कर सकते हैं। उससे अधिक उपयुक्त और कोई जगह नहीं हो सकती है। इसलिये वहां पर ही संरक्षण और सुरक्षित प्रतिनिधित्व को दूर करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिये। जो हमारे विश्वविद्यालय के लिये वर्तमान अधिनियम हैं उसमें यह विधान था कि जहां कहीं चांसलर को नामिनेट करने का अधिकार है वह अल्पमत वालों से भी नामिनेट करे। उस चीज को इस विधेयक के द्वारा दूर किया जा रहा है। यह हमारे आगे जाने का क़दम है और वहां से यह साम्प्रदायिकता और जांति-पांति को ख़त्म करने का क़दम है। माननीय जोरावर वर्मा जी का जो यह प्रस्ताव है वह उसको फिर वापस लाने का है। इससे उस वर्ग का हित नहीं होगा, जिसके फायदे के लिये वह उसको रख रहे हैं। आज प्रजातान्त्रिक युग में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जहां पर इस बात की चेष्टा न की जाती हो कि शिड्यूल कास्ट या पिछड़ी जाति के भाइयों को जहां तक हो सके समाज में आगे ले जायं। वर्तमान सरकार की भी सदैव यही नीति रही है। इसलिये इस संरक्षण की बात को पनपने देना मुझे उचित नहीं जान पड़ता और हमारे समाज में जहां जहां भी ऐसा अवसर मिले की इसको जल्दी ही हम दूर कर सकें उतना ही मुनासिब होगा। संविधान में भी हमने जो संरक्षण दिया है वह कुछ वर्षों के लिये ही किया है। कुछ काल के बाद हम नहीं चाहते हैं कि वह हमारे समाज में उसी प्रकार से बना रह जाय और उसी प्रकार से भेदभाव और जातिवाद चलता रहे। जितना जल्दी हो सके उतना ही इसको समाज से दूर करने का प्रयत्न होना चाहिये और उतना जल्दी ही इसको दूर करना आवश्यक है। इस लिए यह जो संशोधन है वह एक ऐसी संकुचित मनोवृति को उत्पन्न करने वाला है जिसको जितना जल्दी हो सके दूर किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इस संशोधन के विपक्ष में जितनी बातें हैं वह अधिक जोरदार और प्रबल हैं और पक्ष में जो बातें हैं वह हल्की हैं। मैं माननीय जोरावर वर्मा से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इस प्रदेश में यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसके ऊपर बहुत समय से लोगों का ध्यान आकर्षित होता रहा है और बहुत से कमीशन ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

जहां तक गवर्नर का सवाल है उसमें किसी प्रकार सन्देह नहीं है और माननीय मंत्री जी ने जो कि यह सुन्दर वकील रह चुके हैं उनको भी इस तरह का पूर्ण परिचय है कि एक कांस्टीट्यूशनल हेड होना चाहिये। श्रीमन्, यह आशंका रखना कि गवर्नर महोदय निर्बल होने के कारण किसी समय शासन के विपक्ष में होकर शासन से किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा लें यदि कहा जाय कि यह बात निराधार है तो मैं इन लोगों से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों को किसी जनतंत्र में निराधार और निर्मूल नहीं कहना चाहिये। इन्हीं बातों को बचाने के लिये रोकने के लिये और हर तरह से देखने के लिये और इस बात के लिये कि शासन किसी भी प्रकार से कोई अनुचित लाभ न उठा जाय हर तरह के प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। श्रीमन्, जहां तक कांस्टीट्यूशनल राइट्स का सवाल है मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है और आजकल जो माननीय मुन्शी जी हैं उनके प्रति भी मुझे किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। लेकिन यह एक समय की बात तो नहीं है कानून जो बनाया जाता है वह एक दिन के लिये तो नहीं बनाया जाता वह तो भविष्य को सोच कर बनाया जाता है। इसलिये जहां तक इस विषय का ताल्लुक है कि मैं गवर्नर के खिलाफ हूं यह बात नहीं है क्योंकि इस सदन के कुछ लोगों को शायद यह अरुचिकर प्रतीत हो रहा है मैं उनका ध्यान इस बात के लिये दिलाऊंगा कि यह कोई असंगत बात नहीं है जरा वे मुझे सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—आप अपना ध्यान मेरी तरफ रक्खें, पीछे न देखें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं ध्यान रख रहा हूं । भूल नहीं सकता । इलाहाबाद की रिपोर्ट में यह लिखा है कि गवर्नर महोदय के पास समय के अभाव के कारण यह हो सकता है कि वह यूनिवर्सिटी की तरफ पूरा ध्यान न दे सकें । इसमें कोई संदेह भी नहीं क्योंकि इस प्रदेश में ५ यूनिवर्सिटीज हैं और वे ही सब के चांसलर हैं । लेकिन अगर स्टेट समझती है कि उनके पास इतना समय है कि वे सब काम को कर सकते हैं तो इसमें फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस पर भी किसी से कम काम नहीं है लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि यह देखते हुए कि सदन के कुछ हिस्से में आशंका है और महसूस करते हैं कि किसी तरह से कोई निर्बल राज्यपाल हो गया तो सरकार अनुचित लाभ उठा सकेगी । उनको यह भी सोचना चाहिये कि हमारे प्रांतों में ५ विश्वविद्यालय हैं और गवर्नर के लिये काफी काम भी है तो जिस प्रकार से आंध्र में चीफ जस्टिस को चांसलर बनाया गया है उसी प्रकार हमारे प्रदेश में भी कम से कम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये इस बात का एक्सपेरीमेंट करना चाहिये था । यदि यह सिस्टम अच्छी प्रकार से कार्यान्वित न हो पाता तो जबकि हम किसी भी समय संशोधन इस सदन के सामने ला सकते हैं, माननीय मंत्री जी के यह अधिकार क्षेत्र में था वे संशोधन लाते और फिर सदन के किसी भी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होती । अध्यक्ष महोदय, सामान्य वादविवाद के समय यह भी कहा गया कि अगर चांसलर चीफ जस्टिस को बना दिया जाता है तो उसमें यह आपत्ति पैदा हो जाती है कि कल कोई रिट का मुकदमा या और कोई मुकदमा हाईकोर्ट में आये जैसा कि उधर से कहा गया तो उसमें चीफ जस्टिस के लिये बड़ी दिक्कत की बात होगी । इससे संबंधित जो भारतीय संविधान की आर्टिकल २२६ है उसमें किसी न किसी रूप में संशोधन करने को पार्लियामेंट चाहती है । केन्द्रीय सरकार चाहती है, कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि आर्टिकल २२६ में संशोधन किया जाय और बहुत से विषय ऐसे हैं जिनको उसके अधिकार क्षेत्र से और परव्यू से निकाला जाय । श्रीमन्, अगर सरकार को इससे किसी बात का भय था तो वह इसे आर्टिकल २२६ के अधीन न रख कर इसको खतम कर सकते थे । मैं इस समय उनको एक सामयिक सुझाव देता हूं कि यदि उनको आपत्ति है तो श्रीमन् यह भी देख सकते हैं कि किस चीफ जस्टिस या जस्टिस के पास सम्पत्ति नहीं है या यह परिस्थिति नहीं आ सकती है कि किसी चीफ जस्टिस या जस्टिस के भाई भतीजे के खिलाफ किसी हाईकोर्ट में मुकदमा जा सके । इस उत्तर प्रदेश में ही श्रीमन् क्या है? उसका उपचार यह है कि जिस चीफ जस्टिस के खिलाफ या उससे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध होता है तो उसको हटा दिया जाता है और उस मुकदमे को बेंच के सामने कर दिया जाता है । इसको तो हम सभी समझते हैं कि उनके पास सम्पत्ति भी रह सकती है । बहुत सी जगह मिसालें ऐसी भी हाईकोर्ट में आ चुकी हैं तो वह किसी तरह से भी हाईकोर्ट या इस सदन के लिये मुफीद साबित नहीं हो सकता है कि इस तरह की बातें यहां कही जायं । जो इसको नहीं समझ सकते हैं । जो सब परिस्थितियों को किसी न किसी प्रकार से नहीं समझ सकते हैं उनके सामने यह कहा जा सकता है । श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल इस बात को कहता कि इसका एक्सपेरिमेंट किया जाय । आंध्र में भी ऐसा हुआ है, ऐसी चीज नहीं है कि गवर्नर महोदय और किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर न रहें । रही यह कि जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परिस्थिति है अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता और वह अनसक्सेसफुल रहता तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं । अगर उनके पास समयाभाव है और इस बात की आशंका है तो इन सब बातों के देखते हुए अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । रही यह कि लोगों को आशंका है । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में भाषण सुने कि कदापि नहीं होना चाहिये । श्रीमन्, हो सकता है कि बहुत से लोग या माननीन जोरावर वर्मा जी उन सीमाओं का उल्लंघन कर गये हों या कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कह गये हों, यह मुमकिन हो सकता है लेकिन जहां तक उनके अधिकारों का सवाल है भारतीय संविधान

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

में भी हरिजनों के लिये १० साल तक उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है और पता नहीं कि कब तक उनको सुरक्षित रखा जाय, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जो कुछ भी उनके लिये किया जाय वह उचित हो और हितकर हो। श्रीमन्, मगर चीज यह है कि माननीय जोरावर वर्मा जी को हरिजनों के अधिकार की सुरक्षा के लिये कोई शंका नहीं हो सकती है क्योंकि माननीय सीताराम जी के रहते हुये जहां तक उनके अधिकार हैं, प्रिविलेजेज हैं वे उसी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इस सम्बन्ध में माननीय सीताराम जी किसी से पीछे नहीं रह सकते हैं। जहां तक उनका यह कहना है यदि वे इस शब्द 'शैल' की जगह पर शब्द 'मे' को रख देते तो मैं समझता हूं कि इसमें न तो माननीय शुक्ला जी को कोई आपत्ति होती और न सरकार को ही आपत्ति होती। जैसे—

(2) Where power is conferred upon him by the Act of the Statutes to nominate persons to authorities and bodies, the Chancellor may to the extent necessary and without prejudice to such powers.

इसका भी उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि जहां तक हो सके हरिजनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय जिससे वे उन्नतिशील हो सकें, जिससे वे अपने अधिकारों को भविष्य में अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हर जगह वह सीना ऊंचा करके समाज में चल सकें और वह किसी तरह से भी अपने में नीचता की या कमजोर भावना न आने दें। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि सरकार को इस में क्या आपत्ति है जो वह श्री जोरावर वर्मा के संशोधन को नहीं मान रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का जो कर्त्तव्य था और सरकार को जो काम करना चाहिये था वह उन्होंने किया है और सरकार को मार्ग दिखलाया है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और अच्छा है कि सब के लिये नहीं तो केवल एक यूनिवर्सिटी के लिये ही राज्यपाल महोदय को मुक्त कर दिया जाय और बकिया सब जगह उन्हें रखे रहें। उत्तर प्रदेश की सरकार को किसी ऐक्ट में संशोधन करना या केन्द्रीय सरकार को संविधान में संशोधन करना एक साधारण सी वस्तु है। इसलिये सरकार को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरावर वर्मा के संशोधन का विरोध करता हूं। इस प्रश्न पर मैंने जनरल डिबेट में कुछ कहा था और इसलिये मैं उन बातों को इस वक्त नहीं दोहराऊंगा लेकिन हमारे सामने आंध्र का उदाहरण रखना कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। आंध्र ने क्या किया इसको दोहराया जाय, महज इसलिये कि एक बात आंध्र में हुयी है यह वहां भी रख दी जाय, यह ज्यादा फायदेमंद नहीं मालूम होता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोर्ट की सभाओं में भी बहस हुयी थी और इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि कोई लाजमी बात नहीं है कि गवर्नर को ही चांसलर रखा जाय। विलायत में इंगलैन्ड और अमेरिका में जहां बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं वहां गवर्नर तो सब जगह हैं ही नहीं पर वहां भी चांसलर सम्मानित व्यक्ति हुआ करते हैं। आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज व कोलम्बिया में भी यही होता है। कोलम्बिया में आइसन होवर चांसलर थे। तो कोई लाजमी बात नहीं है कि चांसलर गवर्नर ही हो। यह प्रश्न पहले भी उठ चुका है और बहस हो चुकी है और मूथम कमेटी ने भी इस पर गौर किया है और वह भी इसी नतीजे पर पहुंची थी कि इस वक्त की परिस्थिति को देखते हुए कोई दूसरा सुन्दर आल्टरनेटिव हमारे सामने नहीं है और उन्होंने भी यही सूझ रखी थी कि जैसा अब तक चला आया है उसी तरह से गवर्नर को चांसलर कायम रखा जाय। इस के उन्होंने कुछ कारण भी दिये हैं। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में जो एक लड़ी है उसको गवर्नर चांसलर के पद से अच्छी तरह से कायम रख सकता है।

चांसलर को जहां और अधिकार हैं वहां उस को स्टेचूट्स को नामंजूर करने का भी अधिकार है और वह आर्डिनेंस को भी नामंजूर कर सकता है और बहुत से कई और स्टेचूट्स ऐसे हैं जिन का आर्थिक सम्बन्ध हुआ करता है, उनमें गवर्नमेंट से मशविरा लेना जरूरी होता है। इस में मूथम कमेटी ने भी सिफारिश की है कि जहां चांसलर अपने इनडिविजुअल डिसक्रिशन से काम करें वहां वह आर्डिनेंस और स्टेचूट्स के मामले में सरकार के मशवरे से काम करें। इस से यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच के सम्बन्ध पर कोई चोट नहीं आती। यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार कोई पृथक चीज हो और यूनिवर्सिटी अपनी जगह पर पृथक हो और उस से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रहे, मैं समझता हूं कि कोई मुनासिब बात नहीं है। मूथम कमेटी और जो और यूनिवर्सिटी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उन्होंने इस समस्या पर प्रकाश डाला है। मूथम कमेटी ने कहा है कि गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच का सम्बन्ध पार्टनरशिप का है और जब आजकल की गवर्नमेंट एक जनतांत्रिक सरकार है तो वह अपने आपको यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी की समस्याओं से पृथक् नहीं कर सकती। इन सब हालात को देखते हुए मूथम कमेटी ने खुद यह तजवीज की है और खुद अपने विचार जाहिर किये हैं कि गवर्नर को चांसलर रखा जाय। मूथम कमेटी की रिपोर्ट की दो लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं :—

"Upon the whole we are of the view that the Governor should continue to be Chancellor of the Universisty,

(i) Governors are likely to be men of broad outlook and with a wide experience of public affairs extending beyond the confines of a single state.

(ii) A Chancellor who is also Governor will be an invaluable link between the University and the Government, and in so far as he is also Chancellor of other Universities in the State, between all Universities...."

श्री अध्यक्ष—यह तो सदन में पहले पढ़ा जा चुका है। अब आप इसको रहने दीजिये।

श्री शिवनाथ काटजू—खैर, तो मैं अब यहीं रहने देता हूं।

तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तरीका जो यहां रखा गया है कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट को बिलकुल अलग रखा जाय और अलग करने के सुझाव के तरीके पर यह कहा गया है कि गवर्नर को चांसलर ही न बनाया जाय, यह कोई उचित बात नहीं है।

दूसरे जहां तक चीफ जस्टिस का सम्बन्ध है उसके अन्दर बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती हैं। कुछ कठिनाइयों पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। हमारे संविधान की धारा २२६ के अन्तर्गत रिट्स पड़ते हैं और पिछले १ साल में हाई कोर्ट में कई रिट्स पड़ चुके हैं। लड़कों की तरफ से पड़े हैं जहां उनके इम्तहान के सम्बन्ध में कोई रोकथाम हुयी है, उसके जो अध्यापक निकाले जायं या जिनका डिसमिसल हो वह रिट दाखिल कर सकते हैं और बहुत से मामले आ सकते हैं जो हाईकोर्ट के सामने पेश किये जा सकते हैं। अभी-अभी का जिक्र है कि हमारे कौंसिल के सदस्य डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर थे उनको चांसलर ने एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मेम्बरी की जगह से हटा दिया था और निर्णय दिया था कि वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर नहीं हो सकते। यह अभी कोई डेढ़ दो महीने की बात है और उसकी रिट इस वक्त हाई कोर्ट में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस को यूनिवर्सिटी के मामलों में लाना कोई मुनासिब बात नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां तक चीफ जस्टिस का सम्बन्ध है हमारी जुडीशियरी जितनी चीजों से एक्जीक्यूटिव से पृथक् रहे जहां तक सम्भव हो तो मुनासिब होगा। जैसा मैंने निवेदन किया चांसलर को अधिकार है कि स्टेट्यूट्स के बारे में या आर्डिनेंस के बारे में अपने निर्णय दें। अगर चीफ जस्टिस चांसलर होता है तो उससे गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस के बीच यानी चांसलर के बीच पारस्परिक विरोध हो सकता है। ऐसी हालत में चीफ जस्टिस को ऐसी स्थिति में लाना मुनासिब नहीं है।

[श्री शिवनाथ काटजू]

चीफ जस्टिस का अपनी जगह पर एक बिलकुल स्वतंत्र स्थान है और उनको ऐसे वातावरण में लाना जहां बहस मुबाहिसा हो सकता है, जहां मतभेद हो सकते हैं और जहां उनके निर्णयों के ऊपर टीका-टिप्पणी की जा सकती है उससे चीफ जस्टिस को दूर रखना ही मुनासिब है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो तजवीज रखी गयी है कि चीफ जस्टिस को चांसलर बनाया जाय यह किसी भी हालत में मुनासिब नहीं है।

जहां तक संशोधन के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, श्रीमन्, मैं इसका बहुत जोरदार शब्दों में विरोध करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यूनिवर्सिटी के वातावरण में इस प्रकार के सुझाव रखना बहुत ही नामुनासिब है। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय के वातावरण में कभी भी इस प्रकार की बात नहीं उठी।

कभी भी इस प्रकार की बात नहीं उठाई गयी कि वहां पर हरिजनों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है या बेइन्साफी होती है। आज कल यूनिवर्सिटी के अन्दर.....

श्री अध्यक्ष—अभी आप भाषण देंगे कुछ देर।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१३ अक्तूबर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर।)

यह दुर्घटना ७ सितम्बर, १९५४ को हुयी थी। सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेंट्रल प्रिजन और अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, बरेली की रिपोर्टों से यह पता चलता है कि झगड़ा एक छोटी सी बात पर शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उक्त तारीख को सुबह आठ बजे से कुछ पहले वारिस अली नामक एक कन्विक्ट ओवरसियर ने अपना तसला लापता पाया। उसने यह तसला बैरक नं० ७ में रखा था जिसमें हल्द्वानी की वाहन-विभाग की हड़ताल से संबंधित कुछ दंडित कैदी थे। इन कैदियों में लीलाधर पाठक नामक एक व्यक्ति था जिसका अपने साथियों पर काफी प्रभाव था और ऐसा मालूम पड़ता है कि वह उनका मुखिया था। इस व्यक्ति ने यह शक किया कि वारिस अली का तसला रमेश नामक रसोइया ले गया है। जब वारिस अली ने रमेश से पूछंताछ की उस समय पुत्तू सिंह और हर्ष बहादुर सिंह नामक दो कन्विक्ट ओवरसियर आ गये। हर्ष बहादुर ने खोया हुआ तसला अपने पास से निकाल कर दिया और इस पर पुत्तू सिंह ने वारिस अली को रमेश पर झूठा आरोप लगाने के लिये मारना शुरू कर दिया। लीलाधर पाठक जब बीच बचाव करने लगा तो पुत्तू सिंह ने उसको भी गालियां दीं। इस पर लीलाधर ने बिगड़ कर अपने साथियों को इकट्ठा करने के लिये नारे लगाने शुरू कर दिये। फलतः १०, १२ साथी वहां आ गए और उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिये। उस सर्किल के इंचार्ज जेलर श्री कल्लन खां तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गये और उन्होंने कैदियों को शांत किया। थोड़ी देर के बाद इन कैदियों ने फिर नारे लगाने शुरू कर दिये। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने भी इन लोगों को शांत करने की कोशिश की लेकिन वे सब नारे लगाते रहे। चूंकि लीलाधर इन लोगों का मुखिया मालूम पड़ता था इसलिये डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसको बाड़े के बाहर निकलने के लिये कहा। जब कन्विक्ट ओवरसियर्स उसको निकालने लगे तो वह अपनी जगह से नहीं हटा और उसके साथियों ने कहा कि या तो बैरक से हम सब साथ जायेंगे या कोई नहीं जायगा। इस बीच में कैदियों ने ईंटें फेकनी शुरू कर दीं। परिस्थिति बिगड़ती देखकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने खतरे का घन्टा बजाने की आज्ञा दी और तत्पश्चात् जेल के समस्त कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गये। जब कैदियों से अपनी बैरक में जाने के लिये कहा गया तो उन्होंने इसका प्रतिरोध किया और उनमें से एक ने कन्विक्ट ओवरसियर को मारा जिसके परिणामस्वरूप कन्विक्ट ओवरसियरों और इन कैदियों में मारपीट शुरू हो गयी। किन्तु जेल कर्मचारियों ने बीच-बचाव करके शीघ्र ही परिस्थिति पर काबू पा लिया। इस मारपीट में १६ कन्विक्ट ओवरसियरों और १८ कैदियों को मामूली चोटें आयीं और एक कैदी की एक पसली टूट जाने के कारण गहरी चोट आयी। जब शांति स्थापित हो गयी तो घायल व्यक्तियों को चिकित्सा के लिये अस्पताल भेजा गया। कन्विक्ट ओवसियरों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त सभी कैदी अब छूट चुके हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर।)

जिलों के नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	रिक्त होने की तिथि
देहरादून	१ ..	नवम्बर, १९५३
सहारनपुर	५ ..	१६ फरवरी, १९५१
		२ जून, १९५२
		२ जून, १९५२
		१४ जून, १९५२
मुजफ्फरनगर	२ ..	८ जनवरी, १९५४
		१४ जुलाई, १९५४
मेरठ	२ ..	नवम्बर, १९५३
		मई, १९५४
बुलन्दशहर	३ ..	२१ मई, १९५३
		८ अगस्त, १९५३
		४ अक्तूबर, १९५३
अलीगढ़	२ ..	नवम्बर, १९५३
		मार्च, १९५४
मथुरा	२ ..	मार्च, १९५२
		जनवरी, १९५४
आगरा	१ ..	२५ अगस्त, १९५४
एटा	७ ..	मई, १९५२
		जुलाई, १९५२
		२० अगस्त, १९५२
		२ जुलाई, १९५३
		३० दिसम्बर, १९५३
		५ मई, १९५४
		१६ जुलाई, १९५४
बिजनौर	१ ..	१४ नवम्बर, १९५३
बदायूं	४ ..	९ सितम्बर, १९५३
		१७ सितम्बर, १९५२
		२९ सितम्बर, १९५३
		१९ दिसम्बर, १९५३
मुरादाबाद	५ ..	१६ जून, ९१५२
		९ जुलाई, १९५२
		अक्तूबर, १९५३
		६ जनवरी, १९५४
		१८ जून, १९५४
शाहजहांपुर	२ ..	१ जनवरी, १९५०
		मई, १९५४
पीलीभीत	१ ..	१५ जनवरी, १९५२
फर्रुखाबाद	२ ..	३१ जुलाई, १९५२
		३ सितम्बर, १९५२

जिलों के नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	रिक्त होने की तिथि
इटावा	२ ..	फरवरी, १९५३
		अगस्त, १९५३
फतेहपुर	३ ..	३१ अक्तूबर, १९५०
		१५ दिसम्बर, १९५२
		१२ जून, १९५४
इलाहाबाद	१ ..	२४ अप्रैल, १९५३
हमीरपुर	२ ..	२४ सितम्बर, १९५२
		७ अक्तूबर, १९५३
झांसी	१ ..	दिसम्बर, १९५३
बनारस	२ ..	१३ नवम्बर, १९५२
		१० अप्रैल, १९५४
जौनपुर	३ ..	मार्च, १९५२
		मार्च, १९५२
		दिसम्बर, १९५३
बलिया	३ ..	अक्तूबर, १९५२
		मार्च, १९५३
		अक्तूबर, १९५३
गोरखपुर	५ ..	८ अगस्त, १९५१
		२३ अक्तूबर, १९५२
		फरवरी, १९५३
		२६ सितम्बर, १९५३
		१९ जनवरी, १९५४
बस्ती	२ ..	अगस्त, १९५१
		जनवरी, १९५३
आजमगढ़	२ ..	दिसम्बर, १९५२
		मई, १९५३
नैनीताल	५ ..	.. १९५३
अल्मोड़ा	३ ..	१८ अगस्त, १९५२
		२७ फरवरी, १९५४
		१४ अप्रैल, १९५४
पौड़ी–गढ़वाल	५	१९५०
		१९५१
		१९५२
		१९५३
		१९५३
		१९५३
सीतापुर	१ ..	२८ जुलाई, १९५४
हरदोई	२ ..	मई, १९५३
		अक्तूबर, १९५३
खेरी	९ ..	१३ अगस्त, १९४९
		सितम्बर, १९४९
		२७ जुलाई, १९५०
		दिसम्बर, १९५०

जिलों के नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	रिक्त होने की तिथि	
		१३ जून,	१९५१
		१ अक्तूबर,	१९५०
		जनवरी,	१९५१
		२५ अगस्त,	१९५१
		अक्तूबर,	१९५३
गोंडा	६ ..	२५ फरवरी,	१९५१
		२६ अप्रैल,	१९५२
		४ मार्च,	१९५२
		४ फरवरी,	१९५३
		३१ अक्तूबर,	१९५३
		३१ अक्तूबर,	१९५३
बहराइच	५ ..		१९५१
			१९५१
			१९५१
			१९५१
			१९५१
			१९५३
प्रतापगढ़	२ ..	१२ जनवरी,	१९५२
		१ जनवरी,	१९५३
बाराबंकी	२ ..	मई,	१९५२
		३ अक्तूबर,	१९५३
योग	१०६		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर।)

संख्या ३६५३/३३—११-३३-५३

प्रेषक,

श्री सैयद अली अख़्तर रिज़वी,
उपसचिव, स्वशासन,
उत्तर प्रदेशीय सरकार।

सेवा में,

समस्त जिलाधीश,
उत्तर प्रदेश (जिला बस्ती को छोड़ कर)।

लखनऊ, दिनांक ३१ जुलाई, १९५४ ई०

विषय:—अवशेष पंचायत करों की वसूली।

महोदय,

पंचायत राज विभाग

मुझे यह निवेदन करने का आदेश है कि शासन को ऐसा ज्ञात हुआ है कि कतिपय स्थानों में अवशेष पंचायत करों की वसूली में सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों द्वारा त्रासकारी उपायों का प्रयोग किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे आप से यह अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दें कि पंचायत करों की वसूली में इस समय त्रासकारी उपायों (coercive measuses) से काम न लिया जाय।

भवदीय
सैयद अली अख़्तर रिज़वी,
उपसचिव।

संख्या ३६५३(१)३३—११-३३-५३

प्रतिलिपि जिलाधीश, बस्ती को शासकीय आदेश संख्या २६१२/३३—११-३३-५३, दिनांक ११ मई, १९५४ के क्रम में प्रेषित।

आज्ञा से,
सैयद अली अख़्तर रिज़वी,
उपसचिव।

संख्या ३६५३(२)३३—११-३३-५४

प्रतिलिपि, संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
सैयद अली अख़्तर रिज़वी,
उपसचिव।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर।)

फर्रुखाबाद जिले के सीमेंट विक्रेताओं के नाम तथा उन्हें जो सीमेंट १९५२–५३ में दी गई है, उसके विवरण की तालिका।

विक्रेता के नाम	१९५२–५३ में आयात किये गये सीमेंन्ट की मात्रा।
	बोरे
१—सर्वश्री अलाइड ट्रेडर्स, फर्रुखाबाद . .	४,८०३
२— ,, सुन्दर लाल राम प्रसाद, फर्रुखाबाद . .	८,६६०
३— ,, सोहन लाल बाबू राम, फर्रुखाबाद . .	७,९४७
४— ,, बांके लाल लज्जाराम . .	८,७७९
५— ,, गोपीनाथ परमानन्द . .	३,७००
६— ,, ज्वाला प्रसाद रामेश्वर दयाल, कमालगंज . .	१,२६०
७— ,, बचन लाल लक्ष्मी नारायण, कन्नौज . .	४५४
८— ,, महावीर प्रसाद गुप्त, कन्नौज . .	३,४००
९— ,, मथुरा प्रसाद बल्देव प्रसाद, कन्नौज . .	३,४००
१०— ,, आनन्द मोहन राजेन्द्र मोहन, छिबरामऊ . .	१,३००
११— ,, सुखबासी लाल रामरतन, कायमगंज . .	२,२२०
१२— ,, रामदीन गंगादीन, कायमगंज . .	२,२२०
१३— ,, जहान सिंह मकरन्द सिंह, शमशाबाद . .	३,४३०
प्राप्ति का योग . .	५१,५५३

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१९५ एल० ए०—१९५४—८५०।